₹ 20

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

सितम्बर 2014

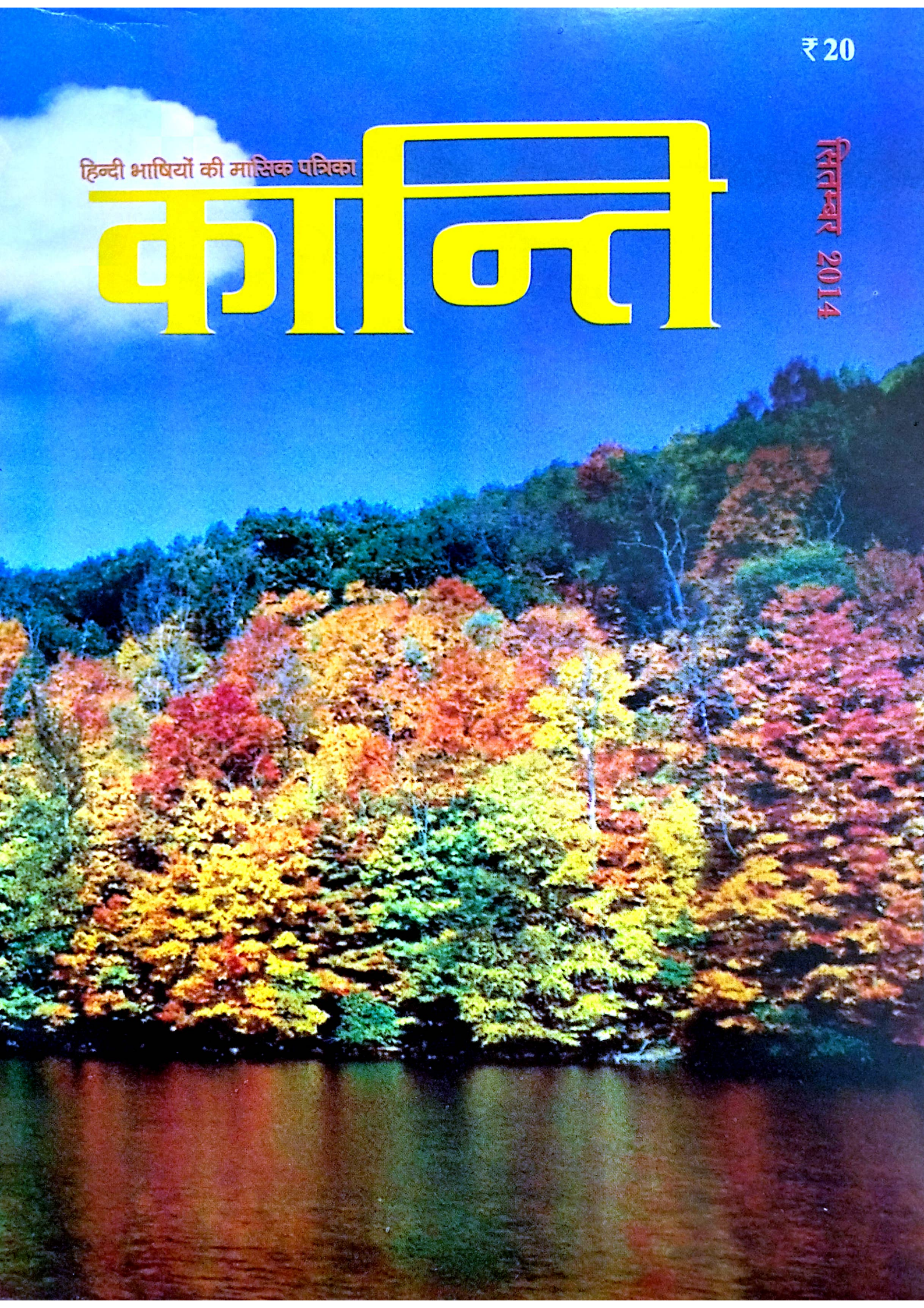

पुरुषों ने जो कुछ कमाया है,
उसके अनुसार उनका हिस्सा है
और जो स्त्रियों ने कमाया है
उसके अनुसार उनका हिस्सा है ।
–क़ुरआन

"जिस किसी ने तंगदस्त को
मुहलत दी या अपना हक़ जो उस
पर था माफ़ कर दिया तो अल्लाह
क़ियामत के रोज़ की सख़्तियों से
उसको निजात अता फ़रमाएगा ।"
(मुस्लिम)

A. Salam Ansari
Mumbai

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 24 अंक 3 सितम्बर 2014

अल्लाह न्याय और भलाई और नातेदारों के हक़ अदा करने का आदेश देता है और बुराई और अश्लीलता और ज़ुल्म व ज़्यादती से रोकता है । वह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम शिक्षा लो । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

09818799223, 011-26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 20/- विशेषांक रु० 30/-

वार्षिक रु० 220/-, दो वर्ष 425/-

पांच वर्ष 1000/-, आजीवन रु० 5000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–100 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–35 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ग़ज़ल

हम तवज्जोह के सज़ावार न थे
सीधे-सादे थे अदाकार[1] न थे

हम से क्यों बच के ज़माना गुज़रा
हम कोई संग[2] न थे ख़ार[3] न थे

इसलिए गिर गये नज़रों से तेरी
हम तेरे हाशिया-बरदार[4] न थे

इनको तो चारागरों[5] ने मारा
इतने बीमार ये बीमार न थे

देखते रह गये हक़दार सभी
ले उड़े चन्द जो हक़दार न थे

बात मनसब से न दौलत से बनी
क्योंकि हम साहिबे-किरदार[6] न थे

पास आकर भी कोई क्या लेता
हम कोई साया-ए-दीवार न थे

ख़ौफ़े-रुसवाई[7] से पीछा छूटा
दश्त[8] में कूचा-ओ-बाज़ार न थे

मोल पानी के बिका ख़ूने-जिगर[9]
मुत्मइन[10] फिर भी ख़रीदार न थे

हम थे रिन्दों[11] के भी ग़मख़्वार[12] 'हफ़ीज़'
ये अलग बात कि मैख़्वार[13] न थे ।

● **हफ़ीज़ मेरठी**

1. अभिनेता, 2. पत्थर, 3. कांटे, 4. चापलूस, 5. चिकित्सकों, उपचारकों, 6. चरित्रवान, 7. रुसवाई के भय, 8. बियाबान, जंगल, 9. जिगर का ख़ून, हृदय-रक्त, 10. संतुष्ट, 11. शराबियों, 12. हमदर्द, दिलासा देने वाले, 13. मद्यप, शराबी



कहां क्या है ?

ग़ज़ल	–हफ़ीज़ मेरठी	3
कुरआन ज्योति		5
हदीस मंजरी		6
उ०प्र० में बढ़ रही अशांति और सांप्रदायिकता पर रोक लगे (संपादकीय)		7
स्वतंत्रता दिवस पर नयी सोच (आपके पत्र)		9
बेमौत मरते ये रिश्ते (उद्बोधन)	–प्रो० शामलाल कौशल	12
कब मिलेगी भ्रष्टाचार से आज़ादी ? (चिंतन)	–मुहम्मद सलीम इंजीनियर	13
दरकते मानव मूल्य (परिवेश)	–विद्या प्रकाश	16
लड़कियों के प्रति सोच बदलनी होगी (अभिमत)	–सी० के० रहमानी	18
धारा 370 (दृष्टिकोण)	–राम पुनियानी	19
रोकिए मादा भ्रूण हत्याएं (ज्वलंत सामयिक)	–संपादन प्रभाग	21
बंधे देश के पांव (कविता)	–डॉ० राम निवास 'मानव'	22
परजीवी (व्यंग्य कथा)	–मुहम्मद इलियास हुसैन	23
पौष्टिक तत्वों से भरपूर है गुड़ (स्वास्थ्य चर्चा)	–डॉ० अनुराग कुमार श्रीवास्तव	25
कुछ विचारणीय बातें (विशेष आयोजन)	–डॉ० राम बहादुर वर्मा	26
हिन्दुत्व : कथ्य एवं तथ्य (विशेष आयोजन)	–शीतला सिंह	30
कम ज़्यादा नहीं करता (कविता)	–हितेश कुमार शर्मा	32
साम्प्रदायिक समस्या की चर्चा (पुस्तक समीक्षा)		33
लघुकथाएं		35
भ्रष्टाचार (कविता)	–सतीशचन्द्र शुक्ल	36
मिथिला : जहां दागी जाती है नवविवाहिताएं (व्यथा)		37
हाथ की लकीड़ों में क़िस्मत (विचारणीय)	–लालचन्द चौहान	38
लो आ गये अच्छे दिन (फेसबुक उवाच)	–डॉ० मुहम्मद अहमद	39
नबी (सल्ल०) के उपदेश	–अबुज़र कमालुद्दीन	40
दहेज का केस (आखों देखी)	–सी० के० रहमानी	41
ग़रीबी (कविता)	–देवेन्द्र कुमार मिश्रा	42
अप्रैल फूल (कहानी)	–सुशांत सुप्रिय	43
कविताएं		45
दलित कौन ? (इक दूजे को जानें)	–डॉ० प्रेमलता चुटैल	47
इस प्रकार अस्तित्व में आये 'ओ०के०' और 'हेलो' (बालवीथी)	–विद्या प्रकाश	49



(60) ये सदक़े तो वास्तव में फ़क़ीरों[61] और मिस्कीनों[62] के लिए है और उन लोगों के लिए जो सदक़ों के काम पर नियुक्त हों[63], और उनके लिए जिनका मन मोहना हो । –क़ुरआन, 9 : 60

61. फ़क़ीर से तात्पर्य वह व्यक्ति है जो अपने जीवन-यापन के लिए दूसरों की मदद का मुहताज हो । यह शब्द तमाम ज़रूरतमंदों के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है, चाहे वे किसी भी वजह से मदद के मुहताज हो गये हों, जैसे यतीम बच्चे, विधवा औरतें, बेरोज़गार लोग और वे लोग जो सामयिक घटनाओं के शिकार हो गये हों ।

62. 'मस्किनत' शब्द में विनम्रता, विवशता, मजबूरी और अपमान का अर्थ सम्मिलित है । इस दृष्टि से मसाकीन वे लोग हैं जो सामान्य ज़रूरतमंदों के मुक़ाबले में अधिक ख़स्ताहाल हों। नबी (सल्ल०) ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए मुख्य रूप से ऐसे लोगों को मदद का अधिकारी ठहराया है जो सख़्त तंगहाल हों, मगर न तो उनका स्वाभिमान किसी के आगे हाथ फैलाने की अनुमति देता हो और न उनकी ज़ाहिरी हालत ऐसी हो कि कोई उन्हें ज़रूरतमंद समझकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए ।

63. अर्थात वे लोग जो सदक़े वुसूल करने और वुसूलशुदा माल की रक्षा करने और उनका हिसाब-किताब लिखने और उन्हें बांटने में सरकार की ओर से लगाये जाएं, ऐसे लोग चाहे फ़क़ीर व मिस्कीन न हों, उनके वेतन बहरहाल सदक़ों ही के मद से दिये जाएंगे ।

इस सिलसिले में यह बात उल्लेखनीय है कि नबी (सल्ल०) ने अपनी ज़ात और अपने परिवार (अर्थात बनू हाशिम) पर ज़कात का माल हराम क़रार दिया था, अतः आपने स्वयं भी सदक़ों के वुसूल करने और बांटने का काम सदैव अवैतनिक किया और दूसरे बनी हाशिम के लिए भी यह नियम बना दिया कि अगर वे यह सेवा अवैतनिक करें तो वैध है, लेकिन वेतन लेकर इस विभाग की कोई सेवा करना उनके लिए वैध नहीं है ।

अरबी शब्द 'तालीफ़े क़ल्ब' का अर्थ है मन मोहना । इस आदेश से अभिप्रेत यह है कि जो लोग इस्लाम के विरोध में सक्रिय हों और माल देकर उनकी भड़कती दुश्मनी को ठंडा किया जा सकता हो या जो लोग शत्रुओं के कैम्प में ऐसे हों कि अगर माल से उन्हें तोड़ा जाए तो टूटकर मुसलमानों के सहायक बन सकते हों या जो लोग नये-नये इस्लाम में दाख़िल हुए हों और उनकी कमज़ोरियों को देखते हुए डर हो कि अगर माल से उनकी सहायता न की गयी तो फिर कुफ़्र (अधर्म) की ओर पलट जाएंगे, ऐसे लोगों को, इससे हटकर कि वे निर्धन हैं या धनी, स्थायी रूप में वज़ीफ़े जारी करके या सामयिक रूप में उपहार देकर इस्लाम का समर्थक व सहायक या अनुयायी या कम से कम अहानिप्रद शत्रु बना लिया जाए । इस मद पर ग़नीमतों (युद्ध में दुश्मनों से प्राप्त माल) और आमदनी के दूसरे साधनों से भी माल ख़र्च किया जा सकता है और अगर ज़रूरत हो तो ज़कात की मद से भी । इस बात पर तो सभी सहमत हैं कि नबी (सल्ल०) के समय में बहुत-से लोगों को 'तालीफ़े क़ल्ब' के लिए वज़ीफ़े और उपहार दिये जाते थे, लेकिन इस बात में मतभेद हो गया है कि क्या आपके बाद भी यह मद बाक़ी रही या नहीं । इमाम अबू हनीफ़ा (रह०) और उनके साथियों का मत यह है कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) और हज़रत उमर (रज़ि०) के समय में यह मद समाप्त हो गयी है और अब 'तालीफ़े क़ल्ब' में कुछ देना वैध नहीं है । इमाम शाफ़ई (रह०) की राय यह है कि फ़ासिक़ (अवज्ञाकारी) मुसलमानों को तालीफ़े क़ल्ब के लिए ज़कात की मद से दिया जा सकता है मगर कुफ़्र करने वालों को नहीं, और कुछ दूसरे फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) के नज़दीक तालीफ़े क़ल्ब का हिस्सा अब भी बाक़ी है अगर उसकी ज़रूरत हो । हमारे नज़दीक (यही अन्तिम मत सही है । इस संबंध में) हज़रत उमर (रज़ि०) और सहाबा किराम जिस बात पर एकमत हुए थे वह केवल यह था कि उनके समय में जो हालात थे, उनमें 'तालीफ़े क़ल्ब' के लिए किसी को कुछ देने की वे लोग ज़रूरत न महसूस करते थे । इससे यह नतीजा निकालने का कोई उचित कारण नहीं है कि सहाबा किराम की सहमति ने इस मद को क़ियामत तक के लिए समाप्त कर दिया जो क़ुरआन में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक हितों के लिए रखी गयी थी ।

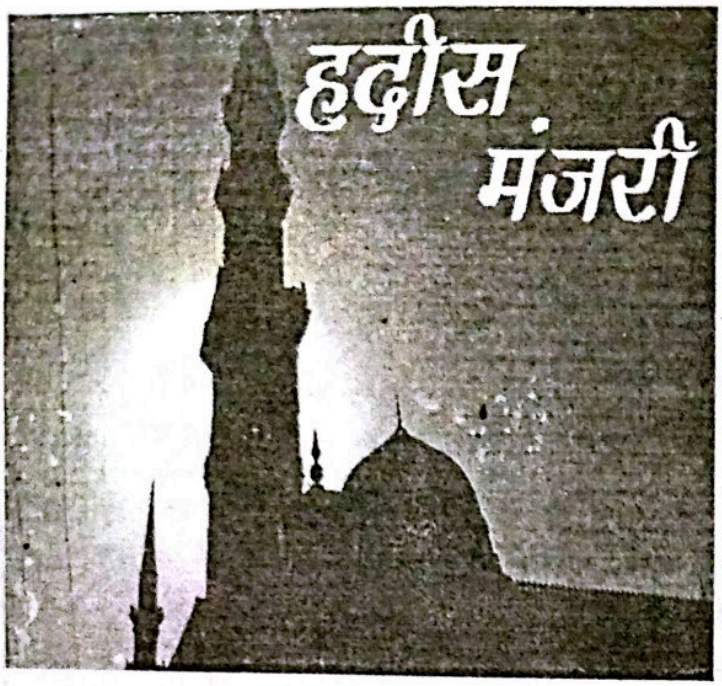

मुहर्रम, शाबान और दूसरे पवित्र महीनों के रोज़े का माहात्म्य

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "रमज़ान के बाद सर्वश्रेष्ठ रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं और अनिवार्य (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद सर्वश्रेष्ठ नमाज़ रात की नमाज़ (तहज्जुद) है ।" –मुस्लिम

● हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहती हैं कि नबी (सल्ल॰) शाबान से अधिक (स्वैच्छिक) रोज़े किसी महीने में नहीं रखते थे । क्योंकि आप पूरे शाबान के महीने में रोज़ा रखते । और एक रिवायत में है कि आप कुछ थोड़े दिन के अतिरिक्त शाबान का पूरा महीना रोज़ा रखते ।

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत मुजीबह अल-बाहिलियह अपने बाप या चचा से रिवायत करते हैं कि वे अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के पास आये और फिर चले गये । एक साल के पश्चात वे फिर आपके पास आये । उनकी हालत और रंग-रूप बिल्कुल बदला हुआ था । उन्होंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), क्या आप मुझे पहचानते नहीं ? आपने कहा : तुम कौन हो ?" उन्होंने कहा : मैं वही बाहली हूं जो पिछले साल आपकी सेवा में आया था । आपने कहा : "तुम तो सुन्दर रंग-रूप वाले थे । किस चीज़ ने तुम्हारी हालत बदल दी ?" उन्होंने कहा : जब से मैं आपके पास से गया हूं मैंने रात के अतिरिक्त कभी भोजन नहीं किया । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "तूने तो अपने आपको यातना दी है ।"

फिर कहा : "सब्र के महीने-(रमज़ान) का रोज़ा रखो फिर हर महीने में एक रोज़ा रख लिया करो ।" उन्होंने कहा : मेरे लिए कुछ और बढ़ा दीजिए क्योंकि मुझमें शक्ति है । आपने कहा : "दो दिन रोज़ा रख लिया करो ।" उन्होंने कहा : मेरे लिए और बढ़ा दीजिए ? आपने कहा : 'तीन दिन रोज़ा रखा करो ।" उन्होंने कहा : मेरे लिए कुछ और बढ़ा दीजिए ? आपने कहा : "आदर वाले महीनों में रोज़ा रखो और छोड़ भी दिया करो, आदर वाले महीनों में रोज़ा रखो और छोड़ भी दिया करो, आदर वाले महीनों में रोज़ा रखो और छोड़ भी दिया करो ।" आपने यह कहते हुए अपनी तीन उंगलियों से इशारा किया, उन्हें मिलाया, फिर उन्हें छोड़ दिया ।

–अबू दाऊद

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

संपादकीय

उ०प्र० में बढ़ रही अशांति और साम्प्रदायिकता पर रोक लगे

आगामी अक्तूबर महीने में लोकसभा की मैनपुरी सीट और विधानसभा की बारह सीटों के होने वाले उपचुनावों की राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही तैयारियों के बीच बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं ने प्रदेश की शांति छीन ली है । अन्य अपराधों में आयी तेज़ी भी लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है । प्रमुख अंग्रेज़ी समाचारपत्र 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 600 से ज़्यादा हिंसक झड़पें और सांप्रदायिक दंगे हुए हैं । इस समाचारपत्र का कहना है कि अधिकांश घटनाएं लाउडस्पीकर, डीजे जैसी छोटी-मोटी बातों से शुरू होती हैं । गृह मंत्रालय के निकटवर्ती आंकड़ों के अनुसार, देश भर में वर्ष 2013 में इस तरह की 823 वारदातें हुईं जिसमें 2269 लोग घायल हुए । उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक सांप्रदायिक हिंसा वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र (88), मध्य प्रदेश (84), कर्नाटक (73) और गुजरात (68) का नंबर है । उत्तर प्रदेश वर्ष 2013 में सबसे अधिक दंगों की सूची में सांप्रदायिक हिंसा की 247 घटनाओं के साथ शीर्ष पर रहा और वर्ष 2014 में भी स्थिति में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि स्थिति अति भयावह होती जा रही है ! सांप्रदायिक हिंसा में बीते वर्ष 133 जानें गईं जिसमें से 77 मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में हुईं । इस साल के आंकड़ों को गृह मंत्रालय अभी एकत्रित कर रहा है । उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में हुए दंगों में पिछले साल अगस्त-सितम्बर के दौरान 60 से अधिक लोग मारे गये । इसमें 90 से अधिक लोग घायल भी हुए और 50 हज़ार से अधिक लोग हिंसा के कारण विस्थापित हुए थे । वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं में 360 लोग घायल हुए । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में 118 सांप्रदायिक घटनाएं हुई थीं जिनमें 39 लोग मारे गये थे जबकि 500 से अधिक घायल हुए थे । यह भी सत्य है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बहुत अधिक प्रभावित हुआ है । ग़ैर-सरकारी आंकड़ों पर एक नज़र डालें, तो पता चलता है कि इस साल 16 मई के बाद 600 सांप्रदायिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं । ग़ौरतलब है कि 200 घटनाएं केवल 12 विधानसभा क्षेत्रों के आसपास ही हुई हैं और इन्हीं सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर 259 घटनाएं हो चुकी हैं । कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से हाल के दिनों तक सांप्रदायिक हिंसा की लगभग 600 वारदात हो चुकी हैं, जिनमें से 400 ऐसे क्षेत्रों में हुई हैं जहां उपचुनाव होने वाले हैं । लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के हिंसक झड़पों पर ग़ौर करें तो मुज़फ़्फ़रनगर में 47, शामली

में 30, मेरठ में 30, अमरोहा में 30 और संभल में 30 घटनाएं हो चुकी हैं । अभी हाल फ़िलहाल ताज़ा मामले में मेरठ में गैंग रेप और धर्म परिवर्तन के झूठे और पूर्वनियोजित आरोपों के बाद तनाव व्याप्त है । उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक स्थिति के बिगड़ने की बात कहकर सभी राजनीतिक दल अपना-अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं ।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यह सच बात कही है कि देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे जान-बूझकर फैलाये जा रहे हैं । श्री गांधी ने एक अंग्रेज़ी दैनिक से बातचीत में परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में विशेष् रूप से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक टकराव सोच-समझकर पैदा किया ज़ा रहा है । उन्होंने आरोप लगाया कि सोची-समझी रणनीति के तहत ग़रीबों को बांटने तथा भाई-भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है ताकि वे असमानता, ग़रीबी तथा अवसरों की कमी जैसे अस्ली शत्रु से लड़ने के लिए एकजुट नहीं हो सकें । कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि चुनावी फ़ायदे के लिए लोगों का ध्रुवीकरण करने और उन्हें विभाजित करने की राजनीति ख़त्म होनी चाहिए । उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक घटनाएं इस राष्ट्र की आत्मा के ख़िलाफ़ हैं और उस नींव को भारी क्षति पहुंचाती है जिस पर यह बना है । इससे देश के भविष्य के लिए भारी ख़तरा पैदा होता है । कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं तेज़ी से बढ़ी हैं । श्री गांधी के नेतृत्व में गत अगस्त 2014 को लोकसभा में पार्टी के सदस्यों ने सांप्रदायिक घटनाओं पर चर्चा कराने की मांग को लेकर भारी हंगामा किया था । बाद में श्री गांधी ने आरोप लगाया था कि सदन में विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है । कांग्रेस को अब सांप्रदायिक हिंसा निवारक विधेयक की भी काफ़ी याद सताने लगी है । उत्तर प्रदेश में लोकसभा की मैनपुरी सीट के साथ विधानसभा की सहारनपुर, कैराना, ठाकुरद्वारा, हमीरपुर, लखनऊ पूर्व, बिजनौर, बलहा, चरखारी, रोहनिया, नोएडा, सिराथू और निघासन सीटों पर चुनाव होने हैं । बसपा इन उपचुनावों से दूर रहने में अपनी भलाई समझती है । बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश में क़ानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के मद्देनज़र अखिलेश सरकार को बर्ख़ास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तो करती हैं, लेकिन उपचुनावों में हिस्सा लेने एवं प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करने की बात नहीं करतीं ! दूसरी ओर सपा लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद इन उपचुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में सरगर्म है, परन्तु इस पार्टी के लिए दिक्कत की बात यह है कि उपचुनावों में जिन 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 11 सीटें भाजपा के पास थीं । मुलायम सिंह की मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की बात अलग है । ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह के भाजपा अध्यक्ष बनने से उन्हें मिलने वाली संभावित चुनौती कम हुई है, मगर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, उस पर क़ाबू पाना भाजपा सहित सभी दलों के लिए चुनौती अवश्य बनी हुई है । सभी दलों को चाहिए कि इसे प्राथमिक रूप से लें और प्रदेश में शांति और सद्भाव बनाने में पूर्ण योगदान दें ! सांप्रदायिकता को बढ़ावा किसी पार्टी को क्षणिक लाभ चाहे पहुंचा भी दे, लेकिन यह समाज, देश और मानवता के लिए सर्वथा हानिकारक है । अतः इसका हरहाल में परित्याग होना चाहिए ।

स्वतंत्रता दिवस पर नयी सोच

15 अगस्त । ये तो हिन्दुस्तान के दिल पर ये तारीख़ एक उपहार है । सदियों की गुलामी की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने का साहस । हर साल 15 अगस्त के दिन एक नया उत्साह तथा एक नया जोश देखने को मिलता है । टी०वी० पर सुबह से ही रंगारंग कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है । सड़कों पर छोटे-छोटे बच्चे अपने हाथ में तिरंगे लिए दिखायी पड़ते हैं । पूरे दिन यशोगान होता है, पर एक प्रश्न कि क्या 15 अगस्त सिर्फ़ एक त्योहार या तारीख़ बनकर तो नहीं रह गया है ।

दस देश में हर युवा, बच्चे एवं बूढ़े को देश से बड़ी ही उम्मीदें हैं । बजट पर हम आंख गड़ाए बैठे रहते हैं, कौन-सी सरकार हमारे लिए क्या कर रही हैं ? महंगाई कितनी बढ़ गयी है ? बेरोज़गारी कितनी बढ़ गयी है । विकास कब होगा । इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अक्सर अख़बार में या टी०वी० में ढूंढ़ते हैं । पर शायद 15 अगस्त की एक ख़ास बात, एक ऐसा दिन जो विश्वास तथा अडिग साहस का प्रतीक है । उसके सही मतलब को हम भूल जाते हैं ।

इस देश की आन-बान और शान के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उन्हें देश से कुछ नहीं चाहिए । उनके मन में तो देश के प्रति श्रद्धा, त्याग और समर्पण का भाव था । यह भाव तो आज कहीं भी दिखायी ही नहीं पड़ता । तीन रंगों में लिपटा तिरंगा जो 15 अगस्त को हर किसी के हाथ में दिखायी देता है, पर उसका अर्थ तो शायद आज भी हम से कोसों दूर है । गीता में 'निष्काम कर्म' की प्रेरणा दी गयी है । कर्म के फल का त्याग करना परमार्थ और समाज के लिए दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करना ही मनुष्य जीवन का धर्म बताया गया है । पर आज तो हमने अपने कर्म का ही त्याग कर दिया है । क्या हमारे देश के बहादुरों ने किसी सरकार या सेना पर भरोसा किया था ? ये उनका विश्वास था कि एक दिन हम अवश्य ही स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे ? तो आज क्यों एक आम इन्सान अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता । क्या देश को स्वच्छ बनाना प्रकृति की रक्षा ये एक आम नागरिक का कर्तव्य नहीं है ? या देश के विकास का ज़िम्मा सिर्फ़ सरकार का है । 15 अगस्त सिर्फ़ सलामी देने या यशोगान का ही दिन नहीं है ? ये दिन हम से सवाल करता है कि भारत का नागरिक होने के नाते हमने अपने देश के लिए क्या किया ? सिर्फ़ देश की सीमा पर खड़े होकर ही फ़र्ज़ नहीं निभाया जाता । इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं पर उनके निर्वाह की बात हम कभी नहीं करते । हज़ारों लोग बिना किसी प्रेरणा, बिना किसी उत्साह के 15 अगस्त मनाते हैं । राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को वे कभी नहीं समझते । कहा जाता है यदि 'निर्माण' रचनात्मकता 'सजगता' जहां हो उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता । क्यों न हमारा ये प्रण हो कि इस '15 अगस्त' को हम यह सोचें कि राष्ट्र ने हमारे लिए नहीं, हमने राष्ट्र के लिए क्या किया है ? विकास तभी संभव है, जब एक नयी सोच का कोंपल फूटे । आज इस पूरी युवा पीढ़ी को या '15 अगस्त' की मिसाल को एक नयी सोच की आवश्यकता है, जिसमें निर्माण तथा 'रचनात्मकता' हो ।

निक्की सक्सेना
रक्षक नगर, फेस-2, खराड़ी बाईपास,
पुणे (महाराष्ट्र)

भले कर्म

ख़ुदा ने तमाम इन्सानों को बनाया है, इसलिए तमाम इन्सानों को ख़ुदा की हिदायत के अनुसार ही ज़िन्दगी बसर करनी चाहिए । ख़ुदा ही सबकी हिफ़ाज़त करता है, उसकी मर्ज़ी से ही तमाम लोग ज़िन्दा हैं ।

इन्सान के पास चाहे कितनी दौलत हो, चाहे कितना ही रुपया-पैसा हो, मगर उसे अल्लाह की मर्ज़ी के बिना, सुकून, राहत और ख़ुशी नहीं मिल सकती । जिस शख़्स पर ख़ुदा का करम नहीं है वह दौलतमन्द होते हुए बेचैन है । हालांकि ये बातें लोग आये दिन देखते रहते हैं, फिर भी दौलत के साथ पैदा हो जाने वाला ग़ुरूर (घमंड) कई बार लोगों को भलाई अपनाने से रोक देता है ।

एक से बढ़कर एक दौलतमन्द इस दुनिया से चले गये, उनकी दौलत उनके साथ नहीं गयी । हां लोगों के भले कर्म मरने के बाद भी उनके साथ होते हैं । भले कर्म का वृहद अर्थ यह है कि आदमी दुनिया में रहते हुए खुदा और उसके बन्दों के हुक़ूक़ की सही-सही अदायगी करे । खुदा ने इन्सानों को पैदा ही इसलिए किया है कि वे भलाई के काम करें । दूसरे मज़हब के मानने वालों को भी इस्लाम की ये बातें बतायी जानी चाहिए । खुदा का कलाम उसकी किताब (क़ुरआन) सारी मानवजाति के लिए है । बस कुछ लोग न जानने की वजह से इससे दूर हैं । मगर खुदा का कलाम हासिल करने के लिए पैसा भी ख़र्च करना पड़े तो करना चाहिए ।

प्रो॰ डॉ॰ विश्वमोहन कुमार सिन्हा
उर्दू विभागाध्यक्ष, खगौल, पटना (बिहार)

भ्रष्टाचार

❖ भ्रष्टाचार अधिकार की कोख से पैदा होता है और अधिकार उस क़ानून से प्राप्त होता है, जिसके निर्माण के लिए कोई सरकार अस्तित्व में आती है ।

❖ क़ानून के द्वारा प्राप्त अपनी दंडात्मक शक्तियों के प्रयोग न करने की क़ीमत ही रिश्वत है ।

❖ आवेदन पत्रों की प्राप्ति स्वीकार की सूचना न देना या उनके निस्तारण के लिए समय-सीमा का निर्धारण न करना या सिलसिलेवार और नीतियों के अनुसार निर्णय न लेना भ्रष्टाचार है ।

❖ दंड न्याय की ज़मानत और न्याय देश भक्ति की अलामत है ।

❖ सच्चाई की खोज और अन्याय के विरुद्ध एक न समाप्त होने वाला संघर्ष भी धर्म है ।

❖ अगर हम तुम्हारी जायज़ मांगें न माने तो हमारे विरुद्ध संगठित बग़ावत कर देना ।

सैयद अज़ीम रहमानी/सैयद लुत्फ़ुल्लाह
संगी मस्जिद, शेख़पुर, गोरखपुर (उ॰प्र॰)

धर्मनिरपेक्षता पर बहस हो

'कान्ति' का नया अंक पढ़ा । आपका संपादकीय विचारोत्तेजक है । धर्मनिरपेक्षता आज बहस की मांग कर रही है । 'धर्मनिरपेक्षता' धर्म-उपेक्षा नहीं है । सभी धर्मों से मूल सिद्धांत मानवीयता का पाठ शिक्षा का हिस्सा भी बनना चाहिए ताकि जो नयी पीढ़ी सामने आए वह धार्मिक संकीर्णता से मुक्त हो । परन्तु शिक्षा का तो सत्यानाश किया जा रहा है । 'कान्ति' के लेख व्यावहारिक विचारोत्तेजक और समसामयिक होते हैं । इस बार भी श्याम नारायण चौहान और मुहम्मद अली शाह शुऐब एवं सी॰के॰ रहमानी के आलेख उपयोगी हैं ।

एक गीत भेज रहा हूं । यद्यपि यह मेरे गीत संग्रह में है परंतु मुझे अच्छा लगता है । आपको भी ठीक लगे तो देख लें । यह आज की सही अर्थव्यवस्था का चित्र है ।

डॉ॰ रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर'
तिलक नगर, फ़ीरोज़ाबाद (यू॰पी॰)

जीवन का अधिकार

पत्रिका का जुलाई अंक पढ़ा । हर बार की तरह स्तरीय रचनाओं से भरा हुआ । इसमें एक रचना पेरियार ई॰वी॰ रामास्वामी और इस्लाम के बारे में अच्छी व नयी जानकारी दी गयी है । अगर दलितों को पग-पग पर बेइज़्ज़ती व शोषण सहना पड़े, तो धिक्कार है ऐसे समाज व अपने को कुलीन वंश का कहने वालों पर । हर इन्सान चाहे वह धरती के किसी भी कोने में जन्मा है, उसे पूरा अधिकार है अपना जीवन इज़्ज़त के साथ जीने का । पहले हम स्वयं को ठीक करें फिर दूसरों को देखें ।

हां, हिन्दू जाति बहुत सारे कर्मकांडों और ऊंच-नीच आदि जाति विवाद में फंसकर अपना ही मज़ाक़ बना रही है । हर व्यक्ति, हर जीव जगत में ईश्वर का निवास है तभी तो कहा जाता है वो कण-कण में व्याप्त है, फिर विरोधाभास क्यों ? बालवीथी में अच्छी ज्ञानवर्द्धक जानकारी दी गयी है ।

माला वर्मा
हाजी नगर, प॰ बंगाल

इस्लाम की उदारता

इस्लाम धर्म में रोज़े रखने का अपना एक अलग महत्व है । वैसे रोज़े (उपवास) सभी धर्मों में किये जाते हैं । दूसरे रूप में इन्हें करने से शरीर, मन, बुद्धि स्वच्छ होती है । इसी लिए सबसे प्रथम सुख निरोगी काया को कहा गया है । जो उपवास से ही संभव है । इस्लाम धर्म में रोज़े सायंकाल खाले जाते हैं और यदि कोई रोज़े खुलवाये उसका यहां अत्यंत महत्व है जबकि हिन्दू धर्म में उपवास करने वाला कभी भी दूसरों के द्वारा दिया गया प्रथम खाना नहीं खाएगा क्योंकि मान्यता यह है कि यदि ऐसा किया जाए तो उपवास

का फल खाना खिलाने वाले को मिलता है । उदाहरण की दृष्टि से विचार करने पर यह आभास ज़रूर होता है कि मुस्लिम बंधु स्वयं तो रोज़े का सुख भोगते हैं ही लेकिन रोज़ा खुलवाने वाले को भी वे अपने सुख में भागीदार बना लेते हैं क्योंकि सुखी को देखकर देने वाला भी सुख का अनुभव करता है । जब रोज़े समाप्त होते हैं, ज़कात निकाली जाती है हय परंपरा भी अद्‌भुत और न्यारी है जो समाज में बराबरी लाने का एक प्रयास होता है जो किसी भी धर्म में नहीं ।

घेवर चन्द गोदीका

किशनपोल बाज़ार, जयपुर

मौत का सौदागर है अमेरिका

जहां-जहां पैर पड़े संतन के, वहां-वहां बंटाधार, यह कहावत अमेरिका पर अक्षरक्ष्य सही प्रतीत होती है । सभी नव-विकासमान देश अमेरिका की दादागिरी से परेशान हैं । अमेरिका यानी पेंटागोन अपने शस्त्रों का विश्व बाज़ार ढूंढ़ता रहता है तथा विनाशकारी शस्त्रों को आतंकवाद फैलाने में मदद कर अपना हित व पूंजीवादी व्यवस्था को मज़बूत करता रहता है । ख़ूनी पंजे से शोषण करता है ।

1945 में अमेरिका ने जापान पर एटम बम बरसा कर नागासाकी व हिरोशिमा शहरों को तहस-नहस कर दिया व लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया व ज़मीन को बंजर कर दिया जहां पर आज भी घास तक नहीं उगती । कोरिया के दो टुकड़े, दक्षिणी व उत्तरी कोरिया के रूप में कराये ।

वियतनाम में बीस वर्ष तक बम बरसाये, अफ़ग़ानिस्तान को तहस-नहस कर दिया, लिबिया का भी विध्वंस कर दिया, मिस्र, फ़िलिस्तीन, ईरान की राजनीति में दख़ल देकर इन देशों को भी अस्थिर कर दिया, एक दौर में इराक़ को तोड़ा और अब इराक़ पुनः सुलगने लगा है । पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान में मनमाने तौर पर ड्रोन हमले करता रहता है, अमेरिका को अब हार कर अफ़ग़ानिस्तान व इराक़ को छोड़ना पड़ रहा है, दक्षिणी सुडान में व सोमालिया में भी जातीय हिंसा फैलाने में इस आदमख़ोर देश का ही हाथ है । चिली के राष्ट्रपति को भी मरवाया व अनेक देशों में सी०आई०ए० का जाल फैला रखा है ।

एक दौर में अमेरिका ने भारत में भी Voice of America का स्टेशन लगाना चाहा व दूसरे दौर में भारत को Air umbrella से सुरक्षा का प्रस्ताव रखा मगर तत्कालीन प्रधानमंत्रियों को अमेरिका की चाल का ज्ञान था अतः उसे मुंह की खानी पड़ी, कश्मीर मामले के पीछे भी अमेरिका का पूरा हाथ है, कश्मीर मामले में अमेरिका ने UNO व अन्य मंचों पर कभी भी भारत का साथ नहीं दिया । सभी देशों के प्रबुद्ध लोगों को अमेरिका के ख़ूनी इतिहास का ध्यान रखकर जनता को सावधान करना चाहिए ।

हेमा सिंह चौधरी

एडवोकेट, नागौर, राजस्थान



बेमौत मरते ये रिश्ते

जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो समाज में रहने वाले समझदार लोगों ने मानवीय जीवन को सुख, शांति, बुजुर्गों की देखभाल तथा सेवा बच्चों, स्त्रियों तथा ग़रीबों की देखभाल के मां, बाप, पति-पत्नी, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पड़ोसी, मित्र तथा अन्य संबंधियों की कल्पना की । इन रिश्तों की शुरुआत का उद्देश्य यह था कि लोग किसी न किसी तरह से एक-दूसरे को अपना समझें तथा एक-दूसरे की दुख-सुखमें सहायता करें । इन रिश्तों के कारण ही सभ्य समाज का विकास हुआ तथा लोगों ने सभ्यता, संस्कार तथा परंपरा के अनुसार रहना शुरू किया ।

विभिन्न प्रकार के होली, लोहड़ी, दशहरा, दीवाली, ईद, पोंगल आदि त्योहार की शुरुआत हुई और लोगों में आपसी सौहार्दपूर्ण, रिश्तों का विकास तथा प्रचलन शुरू हो गयो । लेकिन आज के बदले हुए हालात को देखते हुए रिश्ते बेमायने होकर बेमौत मर रहे हैं । लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार तथा स्वार्थ के वशीभूत होकर सभी रिश्तों को ख़ाक में मिला रहे हैं ।

आज पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते तथा गृहस्थी को कूड़ेदान में फेंका जा रहा है । कहीं भी पति-पत्नी का आपस में परंपरागत पवित्र रिश्ता नहीं रहा । किसी तीसरे में दिलचस्पी रखना, बच्चों के सामने एक-दूसरे को अपमानित, तिरस्कृत तथा प्रताड़ित करना तथा हाथ उठाना, आम बात होती जा रही है । जब पति-पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम, प्यार, विश्वास, सहयोग, संयम-सम्मान तथा समर्पित भावना के साथ नहीं रहेंगे तो घर रूपी संस्था तो निश्चित तौर पर टूटेगी ही ।

आज परिवार में बुजुर्गों की बड़ी दुर्दशा हो रही है । उन्हें परिवार पर फालतू का बोझ समझा जाता है, परिवार वाले उनकी संपत्ति पर क़ब्ज़ा करके जल्दी से जल्दी मृत्यु लोग भेजने की कामना करते हैं । बुजुर्गों के प्रति इस प्रकार का घटिया तथा शर्मनाक व्यवहार करने वाले जवान बेटे तथा बहुएं यह भूल जाते हैं कि जब वे स्वयं बूढ़े होंगे तथा उनके बच्चे भी उनके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करके उनके कर्मों का फल देंगे ।

आज संपत्ति को लेकर भाई-भाई तथा भाई-बहन एक दूसरे के ख़ून के प्यासे बन रहे हैं । संपत्ति प्राप्त करने के लिए वे किसी की भी हत्या कर सकते हैं या सुपारी देकर हत्या करवा सकते हैं । कुछ समय पहले हरियाणा के हिसार ज़िले में धन संपत्ति की लालची एक बेटी ने अपने कलियुगी पति के साथ मिलकर अपने मां-बाप तथा परिवार के अन्य सदस्यों को मौत की नींद सुला दिया था । आजकल कामवासना ने लोगों को ऐसा अपना गुलाम बना रखा है कि वे इसके सामने किसी भी रिश्ते को नहीं मानते ।

स्वार्थसिद्धि के लिए लोग अपने ग़रीब भाई-बहनों के बदले में अमीर बेगानों से संबंध बढ़ाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं । ख़ून पानी हो गया है । आज संस्कारों, परंपराओं तथा मर्यादाओं का जनाज़ा निकल गया है । मित्रों, पड़ोसियों और तथाकथित शुभचिंतकों पर आजकल किसी प्रकार से विश्वास या भरोसा करने का ज़माना लद गया है । आज हर आदमी अपनेपन को तरस रहा है, जो उसे कहीं भी नहीं मिलता । मां, बाप, भाई, बहन, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, मित्र संबंधी तथा पड़ोसी के रिश्ते समाप्त होते जा रहे हैं । आज पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने वाले न तो दशरथ जैसे पिता मिलते हैं, न ही श्रीराम की तरह पिता की आज्ञापालन करने वाला पुत्र मिलते हैं, श्रवण जैसे पुत्रों का मिलना तो केवल किताबों में ही मिल सकता है, एकलव्य तथा अरुणि जैसे गुरु-भक्त शिष्य तो सुनने को ही नहीं मिलते । आज सभी रिश्ते सिर्फ़ नाम के हैं । उनमें त्याग, विश्वास, समर्पण भावना, सहयोग, सेवा-श्रुषा, प्रेम-प्यार आदि सिर्फ़ दिखावे की बातें बनकर रह गयी है । काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार ने सभी रिश्तों को बेमौत मार दिया है ।

प्रो॰ शामलाल कौशल
राजीव निवास, शक्ति नगर,
ग्रीन रोड, रोहतक

देश को लड़नी होगी आज़ादी की एक और लड़ाई !

कब मिलेगी भ्रष्टाचार से आज़ादी ?

■ मुहम्मद सलीम इंजीनियर

हम आज़ादी के बाद 64 सालों से ग़रीबी, साम्प्रदायिकता, जातिवाद और भ्रष्टाचार की जंज़ीरों से देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम इन जंज़ीरों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा गहरे हम इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, हालांकि इन छह दशकों में देश की तरक़्क़ी के लिए किये गये प्रयासों में कुछ संतोष का पहलू भी है, जिसकी सराहना होनी चाहिए । उदाहरण के तौर पर ग़रीबी उन्मूलन और बेरोज़गारी की समस्या को कम करने के लिए शुरू की गयी महात्मा गांधी, राष्ट्रीय ग्राम रोज़गार सुरक्षा योजना (मनरेगा) एक ऐतिहासिक क़दम है, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल, गांवों और क़स्बों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण, बड़े शहरों में फ्लाई ओवर ब्रिजों का निर्माण, मेट्रो ट्रेन की योजनाएं, देश भर में दूरसंचार के लिए वायरलेस नेटवर्क, सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (Space Technology) और आणविक ऊर्जा (Atomic Energy) के क्षेत्र में हमारी प्रगति पर हमें गर्व है ।

> **क़ानून ऐसे होने चाहिए कि बड़े से बड़े अधिकारी या राजनेता अगर अपराधी हों तो उनके ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई करना मुश्किल न हो । लोकपाल बिल जिस पर इन दिनों काफ़ी चर्चा भी हो रही है, ऐसा प्रभावी एवं शक्तिशाली होना चाहिए कि सरकार के उच्चतम पदों पर बैठे हुए राजनेता यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाएं तो उनके ख़िलाफ़ भी जल्द सख़्त कार्रवाई हो सके ।**

इन सब चीज़ों के बावजूद, ग़रीबी का संकट गहरा होता जा रहा है और भ्रष्टाचार का दानव विकराल रूप धारण करता चला जा रहा है, इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार ने हमारे देश और भारतीय समाज के अस्तित्व ही को चुनौती देना शुरू कर दिया है । भारतीय समाज रूपी शरीर के हर अंग को भ्रष्टाचार के कैंसर ने प्रभावित कर दिया है । राजनीति, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं मीडिया हर क्षेत्र बुरी तरह भ्रष्टाचार की गिरफ़्त में आ चुका है, व्यक्ति के जन्म लेने से लुकर मृत्यु तक हर क़दम पर भ्रष्टाचार का सामना होता है, यानी जन्म प्रमाण पत्र लेना हो या मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, अफ़सरों की सेवा किये बग़ैर संभव नहीं होता । हज़ारों और लाखों रुपये की रिश्वत या घोटालों की तो कोई हैसियत ही नहीं रह गयी है, अब तो सत्यम, आदर्श सोसायटी, 2जी/3जी के घोटाले लाखों करोड़ रुपये के हैं जो एक तरफ़ हमारी ग़रीबी का मज़ाक़ उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ़ यह संदेश दे रहे हैं कि जहां इतने बड़े-बड़े घोटाले होते हों, वह देश ग़रीब कैसे कहला सकता है !

सख़्त एवं प्रभावी क़ानून की आवश्यकता

हालांकि हमारे देश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग जैसी संस्थाएं मौजूद हैं और भारतीय दंड संहिता (I.P.C) के तहत क़ानून भी मौजूद हैं, लेकिन ये सभी प्रभावी नहीं साबित हो पा रही हैं । राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से ताक़तवर अपराधी क़ानून की पकड़ से आसानी से बच जाते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप और बहुत ही धीमी एवं पेचीदा क़ानूनी प्रक्रिया अपराधियों को और ज़्यादा 'शक्तिशाली' बना देती है ।

इस सच को हमें स्वीकार करना ही होगा कि हम भारतीय बहैसियत समाज आमतौर पर नैतिकता और अनुशासन

के मामले में बहुत कमज़ोर साबित हुए हैं । हमें ऐसे प्रभावी क़ानून की आवश्यकता है जो हमारे राजनेताओं एवं अधिकारियों को भी अनुशासित और जवाबदेह बना सकें और राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से ताक़तवर लोगों में भी क़ानून का भय पैदा हो सके । क़ानून ऐसे होने चाहिए कि बड़े से बड़े अधिकारी या राजनेता अगर अपराधी हों तो उनके ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई करना मुश्किल न हो । लोकपाल बिल जिस पर इन दिनों काफ़ी चर्चा भी हो रही है, ऐसा प्रभावी एवं शक्तिशाली होना चाहिए कि सरकार के उच्चतम पदों पर बैठे हुए राजनेता यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाएं तो उनके ख़िलाफ़ भी जल्द सख़्त कार्रवाई हो सके ।

मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि भ्रष्टाचार सिर्फ़ धन की शक्ल ही में नहीं होता । कुछ ऐसे मापदंड तय कर लिए जाएं कि उस तरह का भ्रष्टाचार चाहे पैसे की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में उसे राष्ट्रद्रोह के समान माना जाना चाहिए और उसे इतना गंभीर अपराध मानते हुए सख़्त एवं जल्द सजाएं देने का प्रावधान किया जाए ।

तेज़ न्यायिक प्रक्रिया

अगर हम सख़्त एवं प्रभावी क़ानून बना भी लें तो भी हम अपराधियों को सज़ा नहीं दिला सकते जब तक कि न्यायकि प्रक्रिया तेज़ न हो । न्यायिक प्रक्रिया का बहुत धीमी रफ़्तार से चलना हमेशा अपराधी को ही फ़ायदा पहुंचाता है और पीड़ित को न्याय से दूर करते हुए उसे असंभव-सा बना देता है । भ्रष्टाचार एवं इस जैसे संगीन अपराधों के लिए विशेष एवं फास्ट ट्रैक अदालतें क़ायम हों जो एक तयशुदा समय-सीमा के अन्दर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा कर सके और अगर ऐसा न हो तो उसके लिए संबंधित न्यायाधीशों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और अगर वे दोषी पाये जाएं तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिए ।

सज़ाएं आम जगह पर लोगों के सामने हों

आम जगहों पर लोगों के सामने सज़ाएं देने के बारे में लोगों की रायें अलग-अलग हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि भ्रष्टाचार और इस जैसे घिनौने अपराधों के लिए लोगों के सामने आम जगह पर सज़ाएं दी जाएं ताकि अपराधी क़ानून से डरें, लोग अपराध से नफ़रत करें और अपराधी का अपमान हो ताकि लोग अपराध करने से रुक जाएं और लोग अपराधियों के साथ अपना संबंध जोड़ने में शर्म महसूस करें । जब समाज में अपराधियों को इज़्ज़त मिलती है, उनका आदर और सम्मान होता है, तो लोग उन्हें अपना नमूना बनाने लगते हैं और ऐसा करने से समाज में अपराध और अपराधियों की संख्या बढ़ती जाती है । रिश्वत और दूसरे ग़लत तरीक़ों से कमाये गये धन को लोग ग़लत नहीं समझते और ऐसे लोगों के यहां होने वाले बहुत ख़र्चीले आयोजनों में शरीक होने में लोग गर्व महसूस करते हैं, तो समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का माध्यम बन जाते हैं ।

मेरा यह मानना है कि भ्रष्टाचार और इस जैसे घिनौने अपराधों के लिए लोगों के सामने आम जगह पर सज़ाएं दी जाएं ताकि अपराधी क़ानून से डरें, लोग अपराध से नफ़रत करें और अपराधी का अपमान हो ताकि लोग अपराध करने से रुक जाएं और लोग अपराधियों के साथ अपना संबंध जोड़ने में शर्म महसूस करें । जब समाज में अपराधियों को इज़्ज़त मिलती है, उनका आदर और सम्मान होता है, तो लोग उन्हें अपना नमूना बनाने लगते हैं और ऐसा करने से समाज में अपराध और अपराधियों की संख्या बढ़ती जाती है ।

यह तथ्य भी हमारे सामने हैं कि जिन देशों में आम जगहों पर लोगों के सामने सज़ाएं देने और तेज़ न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान है, वहां अपराधों की संख्या बहुत कम पायी गयी है । भ्रष्टाचार और दूसरे अपराध के बढ़ने का एक और कारण यह भी है कि अपराधियों को यह विश्वास होता है कि वे क़ानून की पकड़ में नहीं आएंगे और अगर आ भी गये तो धन या राजनीतिक प्रभाव से क़ानून की पकड़ से बचना मुश्किल नहीं है । अगर लोगों को यह विश्वास हो कि अपराधी चाहे कोई भी हो, वह क़ानून की गिरफ़्त से नहीं बच पाएगा, तो अपराध कम से कम होते चले जाएंगे ।

स्थायी एवं संपूर्ण हल : इस्लाम

भ्रष्टाचार एवं दूसरी बुराइयों और अपराधों को रोकने के

लिए जहां प्रभावी एवं सख़्त क़ानून की ज़रूरत है वहीं उन क़ानूनों को ईमानदारी एवं निष्पक्षता से लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता है । क़ानून की अपनी सीमाएं होती हैं सिर्फ़ क़ानून से बुराई पूरी तरह नहीं रुक सकती । देश व समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना या ईमानदारी को एक अच्छी नीति रूप में स्वीकारना, समाज में कुछ बेहतरी तो ला सकती है मगर एक भ्रष्टाचार मुक्त, नैतिकता पर आधारित समाज बनाने में एक सीमा तक ही प्रभावी हो सकता है । आत्मानुशासन और अपनी अंतरात्मा (ज़मीर) की आवाज़ का अनुसरण करने ही से नैतिकता पर आधारित समाज बन सकता है, इसकी पहुंच, क़ानून एवं समाज व देश द्वारा नैतिक दबाव की पहुंच से बहुत आगे है ।

मेरा इस वास्तविकता पर दृढ़विश्वास है कि आत्मानुशासन और ज़मीर की आवाज़ का अनुसरण तब ही संभव है जब हमारा इस बात पर विश्वास हो कि इस सारी सृष्टि को और हम सबको बनाने वाला इस सृष्टि को चलाने वाला, हमारी परवरिश करने वाला, बुद्धि विवेक और सोचने-समझने की शक्ति देने वाला एक ही ईश्वर है, वह न सिर्फ़ सर्वशक्तिमान है, बल्कि सर्वज्ञानी (सब कुछ जानने वाला) और सर्वव्यापी (हर जगह हर वक़्त मौजूद रहने वाला) है, उस ईश्वर की निगाह से कोई छोटी से छोटी चीज़ भी छिपी हुई नहीं है यहां तक कि वह हमारे मस्तिक में उठने वाले विचारों, हमारी नियतों और इरादों तक से अच्छी तरह परिचित है, उस ईश्वर जैसा कोई और नहीं । वह हर प्रकार के दोष से मुक्त है, व न स्वयं पैदा हुआ, न उसकी कोई संतान है, वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जब हर चीज़ का अस्तित्व मिट जाएगा, तब सिर्फ़ वही ईश्वर बाक़ी रहेगा । एक और वास्तविकता जिस पर हमारा विश्वास है कि इस जीवन के बाद यानी मृत्यु के बाद एक और अनंत एवं वास्तविक जीवन है, मृत्यु के बाद हम सब दुबारा इसी तरह जीवित किये जाएंगे और हम सब अपने मालिक अल्लाह के सामने उसकी अदालत में पेश होंगे और वहां पूरे जीवन का एक-एक अमल (कर्म) हमारे सामने होगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले यहां इनाम (पुरस्कार) के पात्र होंगे, उसके नाफ़रमान (अवज्ञाकारी) और उसे झुठलाने वाले ईश्वर के क्रोध व सज़ा के पात्र होंगे और नरक (जहन्नम) उनका ठिकाना होगी ।

इन्हीं वास्तविकताओं को ईश्वर ने समय-समय पर अपने चुने हुए इन्सानों यानी पैग़म्बरों के माध्यम से उन पर अवतरित ज्ञान एवं पुस्तकों के माध्यम से स्पष्ट किया और इन्सान को इस जीवन को उसकी आज्ञानुसार व्यतीत करने के लिए और इन्सान के अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करने के लिए न्याय (अद्ल) व दया (रहमत) पर आधारित जीवन व्यवस्था दी, इसे ही हर दौर में इस्लाम कहा गया है, जिसका अर्थ है, ईश्वरीय आज्ञाओं के आगे संपूर्ण समर्पण ।

अगर हर व्यक्ति इन वास्तविकताओं पर पूरी तरह विश्वास करते हुए अपना जीवन बिताये तो वह न सिर्फ़ भ्रष्टाचार बल्कि हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण और पाप व अनैतिक आचरण से बच सकेगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि कोई सर्वशक्तिमान उसे देख रहा है ।

इसके अलावा उन लोगों को जो ईश्वर की दी हुई आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने और उसकी तय की गयी सीमाओं को लांघने के आदी हो गये हैं उनके बुरे प्रभाव से समाज को बचाने के लिए उसी सर्वज्ञानी और दयावान ईश्वर की ओर से दिये गये क़ानून और सज़ाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है ।

हम भारतवासी अगर अपने देश को भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकार की व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बुराइयों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के बारे में गंभीर हैं तो हमें हर प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर निष्पक्ष होकर खुले दिल व दिमाग़ से ऊपर बयान की गयी वास्तविकताओं पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

हमारा तो यह दृढ़ विश्वास है कि ईश्वरीय मार्गदर्शन एवं अद्ल व रहमत के निज़ाम (न्याय व दया पर आधारित जीवन व्यवस्था) इस्लाम के माध्यम से हम अपने देश भारत को न सिर्फ़ भ्रष्टाचार बल्कि हर प्रकार के अन्याय व नैतिक दिवालियेपन की ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद करा सकते हैं ।

सूचना

मेरठ में 'कान्ति' हासिल करने के लिए संपर्क करें–

AHSAN MUSTAQIMI

1946/1, Gali No. 28, Near Bismillah Masjid,
D-Block, Zakir Husain Colony,
Meerut City-2 (Uttar Pradesh)
Mob. : 09411022708
E-mail : mustaqimiahsan1931@gmail.com

दरकते मानव मूल्य : बढ़ती चिन्ताएं

■ विद्या प्रकाश

आज सामाजिक परिवेश इतना दूषित, विकृत तथा विषैला हो गया है कि पांच-सात बरस की बालिकाओं से लेकर साठ-सत्तर साल की वृद्धाओं की इज़्ज़त और अस्मत सुरक्षित नहीं है । ऑफ़िस-कचहरी, स्कूल-कॉलेज और हाट-बाज़ार की बात दरकिनार, सुरक्षित माने-जाने वाले घर की चहारदीवारी के अन्दर भी लड़कियों का मान-सम्मान महफ़ूज़ नहीं है ।

ऐसा भी होता है कि ताऊ, चाचा, चचेरे भाई या उम्रदराज़ दादा पाक रिश्तों को तार-तार करते हुए उनसे बलात्कार कर अपनी कामाकुल प्रवृत्तियों की ज्वाला को बुझाने का काम कर डालते हैं । अब तो स्थिति यहां तक हद पर गयी है कि पिता भी अपनी लड़की तथा सगा भाई भी बहन के जिस्म से खेलने से बाज़ नहीं आता । आये दिन समाचार पत्रों में इस प्रकार की ख़बरें पढ़ने को मिलती रहती है कि फ़लां जगह बाप अपनी बिटिया से दो साल से लगातार दुराचार करता रहा ।

आज हमें वर्तमान विकृत सामाजिक परिवेश को सुधारना चाहिए । जब तक इस दिशा में सुधार नहीं होगा, क़ानून व्यवस्था के बावजूद इस प्रकार की घटनाओं पर स्थायी रूप से रोकथाम नहीं लग पाएगा ।

बेचारी बेबस लड़की शर्म संकोच तथा सामाजिक लोक लाज की वजह से चुपचाप यौन उत्पीड़न सहती रही । बात उस वक़्त खुली जब उसके पांच भारी हो गये और उसके पेट में हमल ठहर गया । अब तो लड़कियों की इज़्ज़त आबरू के साथ उसकी नृशंसतापूर्वक जान भी लेने से लोग बाज़ नहीं आते । कोई भी दिन ऐसा नहीं गुज़रता जब देश के किसी न किसी भाग में बलात्कार तथा दुष्कर्म की छोटी-बड़ी घटना घटकर इन्सानियत को शर्मसार न करती हो । लोगों की मानसिकता भी इतनी दूषित हो गयी है कि जिस दिन समाचार पत्र में बलात्कार, छेड़छाड़, हत्या और हिंसा की चटपटी ख़बरें न हों, उन्हें अख़बार में मज़ा नहीं आता और वे कहते हैं–आज अख़बार में कुछ नहीं है । ऐसा नहीं है कि जिस दिन समाचार पत्र में बलात्कार की घटना न छपी हो, उस दिन अख़बार में कुछ नहीं छपा रहता । अख़बार में जनसमस्या, गोष्ठी की ख़बर, संपादकीय, लेख, संपादक के नाम पत्र वग़ैरह तो छपे ही रहते हैं मगर इस कटेगरी के पाठकों को मज़ा सिर्फ़ बलात्कार तथा लड़की के जिस्म में छेड़छाड़ संबंधी समाचारों में ही आता है ।

लड़कियों और महिलाओं से दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ तथा छींटाकशी का कारण भोगवादी प्रवृत्ति है । कुछ लोग इसका कारण युवतियों का चुस्त कपड़े पहनना मानते हैं जबकि ऐसा नहीं है । हम यह क्यों भूल जाते हैं तथा इस बात की अनदेखी क्यों कर जाते हैं कि बलात्कार की घटनाएं उन युवतियों के साथ भी होती है जो साड़ी तथा समीज़-सलवार पहनती हैं । दुराचार की शिकार वे कमसिन लड़कियां भी होती हैं जो फ्राक और चड्ढी धारण करती हैं । दरअस्ल बलात्कार की वजह लड़कियों और युवतियों की पोशाक या परिधान नहीं, हमारी दूषित कामातुर वासनाविह्वल दृष्टि है । हम यह क्यों नहीं सोचते–चुस्त कपड़े पहनने पर मर्द-औरतों से दुष्कर्म करते हैं । मगर जब युवक चुस्त पैंट-शर्ट पहनकर बाज़ार से गुज़रते हैं तो क्या लड़कियां उनसे बलात्कार कर बैठती हैं ।

दूसरी तरफ़ अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज में इस प्रकार की बढ़ती घटनाओं का कारण पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण तथा दुष्प्रभाव मानते हैं । यह घटना के मूल कारणों तथा वस्तुस्थिति से पलायन है । क्या प्राचीन काल में जब स्वदेश में पश्चिमी सभ्यता नहीं थी, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी । राजसभा में पांचाली द्रौपदी का चीर हरण, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से छलपूर्वक संभोग,

देवराज इन्द्र के पुत्र जयंत द्वारा सीता के स्तन में काक रूप में चंचु प्रहार, साधुवेशधारी दशानन द्वारा जानकी हरण वग़ैरह अनेकानेक घटनाएं उदाहरणस्वरूप हैं जो तत्कालीन समाज में नारियों की स्थिति का संकेतक हैं । क्या इसका कारण भी पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है ?

आज समाज में जिस प्रकार पग-पग पर रूप बदल-बदलकर भोगवादी मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, वह चिंताजनक है । फ़िल्मों में रेप सीन और बेड सीन आम बात हो गयी है । व्यावसायिक मुनाफ़ा के मक़सद से निर्माता-निर्देशक औचित्यानौचित्य तथा मर्यादा का ज़रा भी लिहाज़ किये बग़ैर फ़िल्मों में गन्दे दृश्य तथा अश्लील गीतों का खुल्लमखुल्ला इस्तेमाल करने लगे हैं । दूरदर्शन भी अश्लीलता परोसने में फ़िल्मों से उन्नीस नहीं है । पत्र-पत्रिकाओं में अपना सर्कुलेशन बढ़ाने के उद्देश्य से न केवल फ़िल्म जगत के अभिनेताओं अभिनेत्रियों की अर्द्धनग्न तस्वीरों के प्रकाशन की होड़ लगी हैं, बल्कि वे बलात्कार की ख़बरों को अनावश्यक अनुचित रूप से चटपटी बनाकर प्रमुखतापूर्वक छापते हैं । हर छोटे-बड़े शहरों में होटलों के नाम पर जिस्मफ़रोशी का धंधा स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है । शहरों में बड़ी संख्या में मदिरालय हैं । विवाह, बर्थ डे और शादी की सालगिरह जैसे हर मौक़े पर मदिरापान आजकल फ़ैशन बन गया है । जब तक बारात में डी०जे० पर अश्लील गीत न गाये जाएं, बारातियों को मज़ा नहीं आता । जितनी भीड़ मयख़ानों में होती है, उतनी इबादतगाहों में नहीं । जिस समाज का परिवेश इतना दूषित हो, उस समाज में यदि बलात्कार जैसी घटनाएं आये दिन घट रही हों तो इसमें किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए ।

आज हमें वर्तमान विकृत सामाजिक परिवेश को सुधारना चाहिए । जब तक इस दिशा में सुधार नहीं होगा, क़ानून व्यवस्था के बावजूद इस प्रकार की घटनाओं पर स्थायी रूप से रोकथाम नहीं लग पाएगा । शासन तथा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम की दिशा में हमें अग्रसर होना होगा । प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर समाज में अश्लीलता फैलाने तथा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से बलात्कार जैसी घटनाओं को बढ़ावा देने वालों के साथ सख़्ती से पेश आना चाहिए । जब तक ऐसा नहीं होगा, बालिकाओं तथा महिलाओं की इज़्ज़त-आबरू बलात्कारी भेड़ियों द्वारा इसी प्रकार सरेआम लूटी जाती रहेगी तथा उनके जिस्म को इसी प्रकार नोचा-खसोटा जाता रहेगा ।

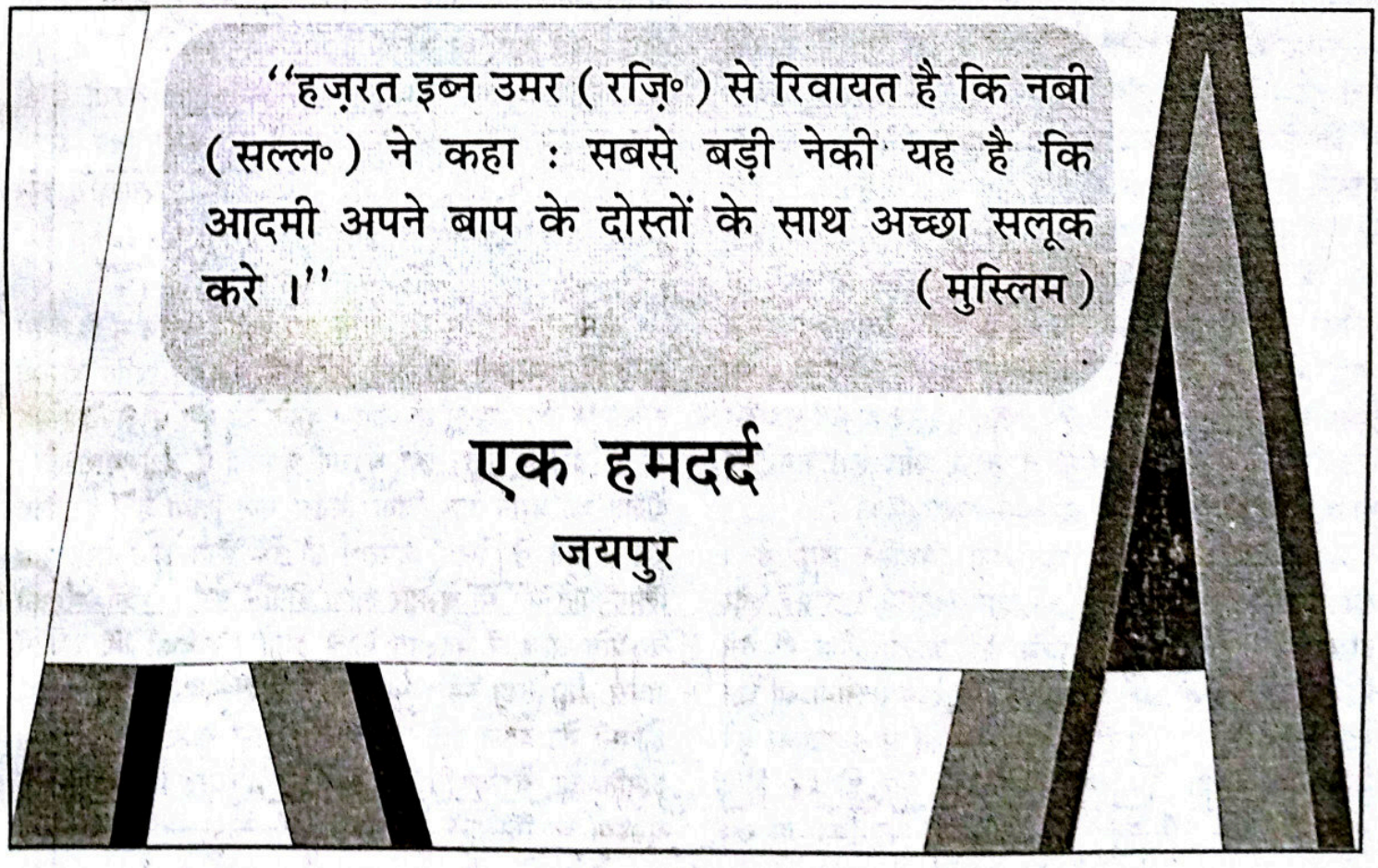

लड़कियों के प्रति सोच बदलनी होगी

■ सी॰ के॰ रहमानी

जिस रफ़्तार से कन्या भ्रूण हत्याएं की जा रही हैं और जिस तेज़ी से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उससे लगता है कि हमारा समाज 15 सदी पीछे लौट रहा है । अरब में लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था । आज सभ्य समाज लड़की के जन्म लेने से पहले ही उन्हें मार डालता है । कहा जाता है कि पहले लोग अनपढ़ गंवार थे लेकिन आज बहुत पढ़ा-लिखा समाज है । आसमान से बातें करता है । इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है कि आदमी ने हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में कर लिया है । असंभव कही या माने जाने वाली हर बात को उसने मुमकिन बना दिया है । तब इस 'सभ्य' समाज को इस बुराई करने से कौन रोकेगा । लगभग 15 सदी पहले कन्या हत्या से लेकर कई बुराइयों को रोकने के लिए मुहम्मद साहब पैग़म्बर के रूप में आये । अब इस युग में कौन अवतार या पैग़म्बर आकर इस बुराई को रोकेगा ?

समाज में लड़कियों की क़मी से हर युग में समस्या पैदा हुई । आज से पांच हज़ार साल पहले महाभारत काल में द्रोपदी एक थी जबकि पति पांच थे । शायद तब एक महिला के साथ एक से अधिक आदमी रहने की सामाजिक मान्यता रही होगी । लेकिन आज ऐसा नहीं है चोरी छुपके कुछ भी होता रहे वह बात अलग है । इस्लाम के उदय के समय अरब में लड़कियों को ज़िंदा दफ़न कर दिया जाता था । पैसे वाले ग़रीबों की लड़कियों को ख़रीद लेते थे । उस समय की विकराल समस्या को देखते हुए ही हज़रत मुहम्मद साहब ने लोगों को जागरूक किया था और लड़कियों की हत्या पर रोक लगाने का अभियान चलाया था ।

आज भी सामाजिक तानाबाना बिखरने लगा है । लड़कियों की कमी महसूस की जाने लगी है । पंजाब और हरियाणा में तो पहले के अरब जैसे हालात पैदा हो गये हैं । वहां दूसरे प्रांत से औरतों को ख़रीद कर लाया जा रहा है । आज महानगरों से लेकर गांव-क़स्बों में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं । सब रिश्ते तार-तार हो रहे हैं । बाप-बेटी और भाई-बहन तक का रिश्ता कलंकित हो रहा है । लड़की-महिला कहीं सुरक्षित नहीं है । ये हालात तब हैं जब लड़कियों का अनुपात 1000 पर 850 है । अनुमान लगाइए कि लड़कियों की संख्या और घटेगी तो क्या आलम होगा । घरों में कोई बहन-बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी । जंगल राज जैसे हालात हो जाएंगे । आप कितनी पुलिस बढ़ाएंगे ? क्या फिर पुलिस उन्हें रोक पाएगी ।

कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लाख कोशिश के बाद भी पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, जैसे कि सेक्स । यह प्राकृतिक चीज़ है । आध्यात्मिक चिंतन, लगन या ईश्वरीय साधना से कुछ हद तक उस पर कंट्रोल कर किया जा सकता लेकिन उससे पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता । इसी तरह बलात्कार की घटनाएं क़ानून से कुछ हद तक रोकी जा सकती है लेकिन पूरी तरह तब तक ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि समाज में लड़का-लड़की का अनुपात बराबर न हो । हालांकि लिंगानुपात बराबर होने से यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि फिर समाज में दुराचार नहीं होगा लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि उसमें कमी निश्चित तौर पर आएगी । अगर लिंगानुपात की असमानता बढ़ती है तो यौन शोषण और बढ़ेगा । समाज में अभी जब इतनी वेश्यावृत्ति है तो फिर और बढ़ेगी । हालांकि वेश्यावृत्ति और दुराचार की घटनाओं के लिए यही वजह काफ़ी नहीं है । इनके कई आर्थिक और सामाजिक कारण हैं ।

हम आमतौर पर सतही तौर पर इलाज करने में विश्वास रखते हैं । बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ते ताकि बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए । आज जो देश में अपराध बढ़ रहे हैं उसका एक बड़ा कारण युवकों में बेरोज़गारी है । दौलत को हमने सामाजिक स्टेटस मान लिया है । इसलिए दौलत पाने के लिए अपराध हो रहे हैं । इसी तरह हमें लिंगानुपात को भी बराबर लाना होगा । हमें लड़का-लड़की के प्रति सोच में बदलाव लाना होगा । लड़की की राह में सबसे बड़ा रोड़ा दहेज माना जाता है इसलिए समाज के हर आदमी को दहेज लेने-देने के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा । अनैतिकता, वेश्यावृत्ति, दहेज और इसी तरह की सामाजिक बुराइयों के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होना होगा ।

धारा 370

■ राम पुनियानी

धार्मिक राष्ट्रवाद के नशे में ग़ाफ़िल रहने वालों को आमजनों की क्षेत्रीय व नस्लीय आकांक्षाएं दिखलायी नहीं देतीं । विभिन्न रंगों के अति राष्ट्रवादी भी इसी दृष्टि दोष से पीड़ित रहते हैं । भारतीय संघ के गठन के साथ ही, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर के संघ में विलय का प्रश्न चुनौती बनकर उभरा । इन सभी चुनौतियों का अलग-अलग ढंग से मुक़ाबला किया गया परंतु आज भी ये किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय चिंता का कारण बनी हुई हैं । जम्मू-कश्मीर इस संदर्भ में सबसे अधिक चर्चा में है । कश्मीर, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है और इसलिए वैश्विक शक्तियों ने भी कश्मीर समस्या को उलझाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी । भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता की राह में कश्मीर सबसे बड़ा रोड़ा है । भारतीय साम्प्रदायिक ताक़तें भी कश्मीर मुद्दे को हवा देती रहती हैं ।

इस पृष्ठभूमि के चलते, जब भाजपा के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धारा 370 पर राष्ट्रीय बहस का आह्वान किया था तब देश में मानो भूचाल-सा आ गया । उनका यह कहना कि 'इससे किसे लाभ हुआ', दरअस्ल दूसरे शब्दों में इस धारा को हटाने की मांग थी । मोदी की बात को आगे बढ़ाते हुए भाजपा नेता सुषमा स्वराज व अरुण जेटली ने ज़ोर देकर कहा कि धारा 370 की समाप्ति, आर॰एस॰एस॰ एजेंडा का अविभाज्य हिस्सा बनी हुई है । जेटली ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस मांग को दोहराया कि कश्मीर का भारत में तुरंत व पूर्ण विलय होना चाहिए । जेटली ने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ते-मरोड़ते हुए यह कहा कि "स्वराज, 1953 के पूर्व की स्थिति की बहाली और यहां तक कि आज़ादी की मांग के मूल में नेहरू द्वारा कश्मीर को विशेष दर्जा दिये जाने का निर्णय है ।" इस विषय पर टेलीविज़न चैनलों पर लंबी-लंबी बहसें हुईं, जिनसे केवल चर्चा में भाग लेने वालों की धारा 370 और कश्मीर के विशेष दर्जे के बारे में घोर अज्ञानता ज़ाहिर हुई ।

यह सही है कि कश्मीर में इस समय कई ऐसी ताक़तें हैं जो स्वतंत्रता से लेकर स्वायत्ता तक की मांग कर रही हैं । परंतु मोटे तौर पर, राज्य में धारा 370 के प्रश्न पर एकमत है । यद्यपि यह कहना मुश्किल है कि किस मांग का समर्थन कितने लोग कर रहे हैं तथापि कश्मीर की अधिकांश जनता, धारा 370 के साथ-साथ और अधिक स्वायत्ता की पक्षधर है ।

इस मुद्दे का इतिहास जटिल है । जैसा कि सर्वज्ञात है, कश्मीर सीधे अंग्रेज़ों के अधीन नहीं था । वह एक रियासत थी जिसके शासक डोगरा राजवंश के हरिसिंह थे । उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित संविधान सभा का सदस्य बनने से इन्कार कर दिया था । जम्मू-कश्मीर की आबादी का 89 फ़ीसदी मुसलमान थे । भारत के स्वतंत्र होने के बाद, कश्मीर के महाराजा के सामने दो विकल्प थे, पहला, कि वे अपने राज्य को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दें और दूसरा कि वे भारत या पाकिस्तान में अपने राज्य का विलय कर दें । महाराजा की इच्छा स्वतंत्र रहने की थी । जम्मू के हिन्द नेताओं ने हरिसिंह की इस अलगाववादी योजना का समर्थन किया । 'जम्मू-कश्मीर राज्य हिन्दू सभा' के नेताओं, जिनमें से अधिकांश बाद में भारतीय जनसंघ के सदस्य बन गये, ने ज़ोरदार ढंग से यह आवाज़ उठायी कि 'जम्मू-कश्मीर, जो कि हिन्दू राज्य होने का दावा करता है, को धर्मनिरपेक्ष भारत में विलीन नहीं होना चाहिए' (कश्मीर, बलराज पुरी, ओरिएंट लांगमेन, 1993, पृष्ठ 5)। परंतु कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना की मदद से क़बाइलियों के हमले ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया ।

हरिसिंह अपने बलबूते पर कश्मीर की रक्षा करने में असमर्थ थे और इसलिए उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी । भारत सरकार ने कहा कि वह पाकिस्तानी हमले से निपटने के लिए अपनी सेना तभी भेजेगी जब कश्मीर का भारत में विलीनीकरण हो जाएगा । इसके बाद कश्मीर और भारत के बीच परिग्रहण की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें धारा 370 का प्रावधान था । यह विलय नहीं था । संधि की शर्तों के अनुसार, भारत के ज़िम्मे रक्षा, मुद्रा, विदेशी मामले और संचार था जबकि अन्य सभी विषयों में निर्णय लेने का पूरा अधिकार कश्मीर की सरकार को था । कश्मीर का अपना संविधान, झंडा, सदर-ए-रियासत व प्रधानमंत्री होना था । राष्ट्र के नाम अपने संदेश में इस संधि का औचित्य सिद्ध करते हुए पंडित नेहरू ने 2 नवम्बर 1947 को कहा

''...कश्मीर सरकार और नेशनल कांफ्रेंस, दोनों ने हमसे ज़ोर देकर इस संधि को स्वीकार करने और हवा के रास्ते कश्मीर में सेना भेजने का अनुरोध किया । उन्होंने यह कहा कि विलय के प्रश्न पर, कश्मीर के लोग, वहां शांति स्थापित होने के बाद विचार करेंगे...'' (नेहरू, क्लेक्टिड वर्क्स, खण्ड 16 पृष्ठ 421) इसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ से अनुरोध किया कि वह हमले में क़ब्ज़ा की गयी भूमि भारत को वापस दिलवाए और अपनी देखरेख में कश्मीर में जनमत संग्रह करवाये । इसके बाद विभिन्न कारणों से जनमत संग्रह करवाने का कार्य टलता रहा ।

इसके समानांतर, भारत में एक नयी प्रक्रिया शुरू हो गयी । जनसंघ के मुखिया श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ और पर्दे के पीछे से कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के समर्थन से यह मांग उठानी शुरू कर दी कि कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय होना चाहिए । उस दौर में नेहरू बाहर से जनसंघ और कांग्रेस के अंदर से अपने कई वरिष्ठ मंत्रियों के भारी दबाव में थे जो यह चाहते थे कि कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिला लिया जाए । नेहरू ने कहा, ''हमें दूरदृष्टि रखनी होगी । हमें सच्चाई को उदारतापूर्वक स्वीकार करना होगा । तभी हम कश्मीर का भारत में अस्ली विलय करवा सकेंगे । अस्ली एकता दिलों की होती है । किसी क़ानून से, जो आप लोगों पर थोप दें, कभी एकता नहीं आ सकती और न सच्चा विलय ही हो सकता है ।''

तब से झेलम में बहुत पानी बह चुका है । साम्प्रदायिक ताक़तों के बढ़ते शोर, गांधीजी की हत्या और भारत में साम्प्रदायिक राजनीति के उभार ने शेख़ अब्दुल्लाह को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाकर ग़लती तो नहीं कर दी । वे धर्मनिरपेक्षता के हामी थे परंतु उन्हें यह स्पष्ट दिखायी दे रहा था कि देश के अन्य हिस्सों में फ़िरक़ापरस्त ताक़तें आंखें दिखा रही हैं । उन्होंने अपने मन की पीड़ा और संषय को सार्व जनिक रूप से व्यक्त कर दिया जिसके नतीजे में उन्हें 17 साल जेल में काटने पड़े । और इसके साथ ही शुरू हुआ कश्मीर की जनता का भारत से अलगाव । पाकिस्तान ने आग में घी डालते हुए असंतुष्ट युवकों को हथियार उपलब्ध करवाने शुरू कर दिये । सन 1980 के दशम में अलक़ायदा के लड़ाकों की कश्मीर में घुसपैठ से हालात और बिगड़े । ये लोग अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत सेनाओं को खदेड़ने का अमेरिका द्वारा प्रायोजित अपना मिशन पूरा कर चुके थे और उनके पास करने को कुछ नहीं था । लिहाज़ा उन्होंने कश्मीर में घुसकर जिहाद की अपनी मनमानी परिभाषा के अनुरूप काम करना शुरू कर दिया । कश्मीरियत पर आधारित आंदोलन का साम्प्रदायिकीकरण हो गया । कश्मीर की जनता का संघर्ष जिहाद का तोड़ा-मरोड़ा गया संस्करण बन गया । कश्मीरियत की बात हवा हो गयी । इसके नतीजे में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाने लगा और साम्प्रदायिक ताक़तों को यह कहने का अवसर मिल गया कि मुसलमान अलगाववादी, देशद्रोही, हिंसक और साम्प्रदायिक हैं ।

इस सदी की शुरुआत के साथ ही कश्मीर में हालात बेहतर होने शुरू हुए । परंतु लोगों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था । यह गुस्सा पत्थरबाज़ी करने वाले दलों के रूप में उभरा । भारत सरकार ने इस असंतोष को दूर करने के लिए वार्ताकारों का एक दल नियुक्त किया । दिलीप पडगांवकर, राधा कुमार और एम॰एम॰ अंसारी के इस समूह ने अपनी रपट (मई 2012) में 1953 के पूर्व की स्थिति की बहाली की मांग को ख़ारिज करते हुए यह सिफ़ारिश की कि कश्मीर को वह स्वायत्तता दी जानी चाहिए, जो उसे पहले प्राप्त थी । दल ने यह सुझाव भी दिया कि संसद कश्मीर के संबंध में कोई क़ानून तब तक न बनाए जब तक कि उसका संबंध राज्य की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा से न हो । टीम ने धारा 370 को 'अस्थायी' के स्थान पर 'विशेष' प्रावधान का दर्जा देने की सिफ़ारिश भी की । दल की यह सिफ़ारिश भी बिल्कुल उचित थी कि शनैः शनैः राज्य के प्रशासनिक तंत्र में इस तरह परिवर्तन लाया जाए कि उसमें स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़े । उसने वित्तीय शक्तियों से लैस क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की बात भी कही और यह भी कहा कि हुर्रियत और पाकिस्तान के साथ वार्ताएं फिर से शुरू की जाएं ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ओर तनाव घट सके । भाजपा ने इस रपट को इस आधार पर ख़ारिज कर दिया कि इससे कश्मीर का भारत में विलय कमज़ोर होगा । अलगाववादियों ने कहा कि रपट में की गयी सिफ़ारिशें अपर्याप्त हैं और इनसे समस्या का राजनैतिक हल नहीं निकलेगा ।

धारा 370 पर बेशक बहस हो । परंतु हम सबको यह समझना होगा कि कश्मीरी आख़िर चाहते क्या हैं ? अतिराष्ट्रवादियों की उन्मादी बातें केवल घावों के भरने की प्रक्रिया को धीमा करेंगी और राज्य में प्रजातंत्र की जड़ों को कमज़ोर । जैसा कि नेहरू ने कहा था, सबसे ज़रूरी है लोगों का दिल जीतना । क़ानून उसके बाद बनाए जा सकते हैं ।

रोकिए, मादा भ्रूण हत्याएं

● संपादन प्रभाग

भ्रूण-हत्या, दहेज हत्या, सतीप्रथा, देवदासी प्रथा आदि विभिन्न स्वरूपों में नारी उत्पीड़न का सिलसिला शिक्षा के बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार के बावजूद जारी है । भ्रूण-हत्या के मध्यकालीन तरीक़ों का स्थान अब आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों तथा मेडिकल तकनीकों ने ले लिया है ।

नारी उत्पीड़न के विभिन्न रूप में भ्रूण-हत्या कम ख़तरनाक और भयंकर नहीं है । पहले नवजात और अब अजन्मी बच्चियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है । खुल्लम-खुल्ला अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड तकनीक के माध्यम से उनका लिंग-निर्धारण किया जा रहा है और थोड़े से पैसे के लिए मां के गर्भाशय में पल रहे बालिका-भ्रूण को जन्म लेने से पहले ही मारा जा रहा है । इस सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े इतने ख़तरनाक और लोमहर्षक हैं कि उन्हें सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की अन्तरात्मा और हृदय कांपे बग़ैर नहीं रहता । इस सम्बन्ध में सारे नियम-क़ानून छलावा मात्र बनकर रह गये हैं ।

इस सिलसिले में एक आकलन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष एक लाख से ज़्यादा महिलाएं गर्भ सम्बन्धी कारणों से अकाल मौत का शिकार होती हैं। इनमें से ग्यारह प्रतिशत महिलाओं की मौत का कारण गर्भपात सम्बन्धी जटिलताएं बताया जाता है । आज स्थिति यहां तक बन आयी है कि बालिका भ्रूण की हत्या ने भयावह सामाजिक एवं चिकित्सा सम्बन्धी समस्या का रूप ले लिया है। इस सम्बन्ध में यह निश्चित तौर पर नहीं कहा और बताया जा सकता कि कितनी महिलाओं के गर्भपात होते हैं और कितनी महिलाएं स्वेच्छा से अथवा अन्य किसी पारिवारिक या सामाजिक विवशता के कारण गर्भपात का विकल्प चुनती हैं ।

यह भी तयशुदा तौर पर दावा नहीं किया जा सकता कि ख़तरनाक क़िस्म के गर्भपात के दौरान कितनी महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, मगर हमारे देश में विभिन्न स्थानों एवं भूभागों में सारे क्षेत्रीय, भाषाई और आर्थिक विषमताओं के बावजूद बालिका भ्रूण की हत्या के कारण समान हैं और वे हैं–ख़ानदान को पुत्र की चाह, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण लड़की पैदा होने पर दहेज की समस्या आदि ।

इस सम्बन्ध में सरकार को भी कोई चिन्ता नहीं है । किसे इतनी फ़िक्र और फ़ुरसत है, जो गर्भपात के आंकड़ों के गिरने या चढ़ने को लेकर नाहक़ (अकारण) अपनी नींद ख़राब करें । ऐसे में तथ्य सम्बन्धी केवल अनुमान ही किये जा सकते हैं । इस बारे में जो आंकड़े और आकलन उपलब्ध हैं भी, वे बहुत अधिक विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ नहीं कहे-माने जा सकते । एक अनुमान के अनुसार स्वदेश में 5 लाख से दो करोड़ वार्षिक गर्भपात कराया-किया जाता है तथा गर्भधारण की उम्र की प्रत्येक हज़ार महिलाओं में से 260 से लेकर 450 तक महिलाएं विभिन्न कारणों से अपना गर्भपात कराती हैं । फैमिली मेडिसिन इंडिया ने रामी छाबड़ा और नुना शील द्वारा वर्ष 1994 के एक अध्ययन और आकलन के आधार पर जानकारी दी है कि वर्ष 1992 में देश में कुल एक करोड़ 10 लाख गर्भपात हुए । यह बात कम आश्चर्यजनक नहीं है कि देश में गर्भपात को वैधानिक मान्यता मिले 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल 6.6 प्रतिशत ही पंजीकृत गर्भपात (एम॰टी॰पी॰) थे ।

एक आकलन के अनुसार वर्ष 1991 से पंजीकृत गर्भपात की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । सन् 1991 में पंजीकृत संस्थानों में कुल 6 लाख 36 हज़ार 456 गर्भपात हुए जबकि वर्ष 1998-99 में यह संख्या 6 लाख 66 हज़ार 882 रही । ऐसा माना जाता है कि हर दर से बारह अवैध गर्भपात पर एक एम॰टी॰पी॰ होता है। विश्व बैंक की 1996 की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क में हर साल 50 लाख गर्भपात अवैध ढंग से होते और कराए जाते हैं। आई॰सी॰एम॰आर॰ के वर्ष 1989 के एक अध्ययन के अनुसार उस समय देश में 40 लाख असुरक्षित गर्भपात हुए थे ।

देश में सुलभ गर्भपात की सुविधा उपलब्ध होने के कारण से बालिका भ्रूण के लिए जीवन असुरक्षित हो गया

है । इन सबके पीछे परिवार में पुत्र-प्राप्ति की प्रेरणा इस हद (सीमा) तक काम करती है कि स्वभावत: धर्मभीरू और क़ानून का पालन करनेवाली महिलाएं भी क़ानून तोड़कर और जीवन ख़तरे में डालकर गर्भपात के लिए रज़ामन्द हो जाया करती हैं । अस्सी के दशक के अन्त में देश में भ्रूण के लिंग निर्धारण की आधुनिक तकनीक लोकप्रिय होने लगी थी ।

इस सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पुत्र प्राप्ति की कामना में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख महिलाएं अपने जीवन का ख़तरा उठाकर अवैध गर्भपात कराने पर आमादा (तैयार) होती है । इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई०एम०ए०) के अनुसार यह संख्या 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है । अखिल भारतीय जनसंख्या प्रभाग के अनुसार प्रसव के पूर्व मौत के घाट उतारी जाने वाली बालिकाओं की संख्या चार से पांच करोड़ के बीच बतायी गयी है। अगर सरकारी आंकड़ों पर विश्वास किया जाए, तो पूरे देश में कुल 107 बालिका भ्रूणों की ही हत्या हुई । कितने हास्यास्पद हैं ये सरकारी आंकड़े ?

सामान्यत: गर्भपात का निर्णय महिला का नहीं होता । विशेष रूप से दहेज की कुप्रथा, पारिवारिक और आर्थिक कारण उसे इस अपराध के लिए प्रेरित करते हैं । स्थिति तब और भी गंभीर तथा ख़तरनाक हो जाया करती है, जब अर्थाभाव तथा ग़रीबी की वजह से महिलाएं बालिका भ्रूण की हत्या के लिए झोलाछाप डॉक्टरों की सहायता लेती हैं, जो कभी-कभी जानलेवा सिद्ध होती है । बरसाती कुकुरमुत्तों की भांति विभिन्न नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित नर्सिंग होमों और जच्चा-बच्चा केन्द्रों (प्रसूतिगृहों) में भी यह काम चोरी-छिपे तौर पर अच्छी रक़म लेकर किया जाता है । इस प्रकार के घिनौनी कृत्य केवल क़ानून बनाने से नहीं रुक सकता । इसके लिए सामाजिक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है । इसके लिए महिला संगठनों को भी आगे आना होगा । इसके अतिरिक्त सरकार की भी यह ज़िम्मेदारी है कि वह एम०टी०पी० एक्ट को कड़ाई से लागू करे, नर्सिंग होमों तथा अल्ट्रासाउंड मशीनों का पंजीकरण करे, वर्ष 1994 के पी०एन०डी०टी० एक्ट का उल्लंघन करनेवाले चिकित्सकों के विरुद्ध कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाए तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों और गर्भपात केन्द्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाए ।

दोहे

बंधे देश के पांव

जिसने भी चाहा यहां, जीना सच के साथ ।
निपट अकेला वह मिला, ख़ाली दोनों हाथ ।।

सत्य अकेला, झूठ के, जाने कितने मीत ।
फिर भी हरदम झूठ ही, रहता है भयभीत ।।

मानसरोवर में लगी, है बगुलों की भीड़ ।
आहत होकर हंस अब, ढूंढ़ रहे हैं नीड़ ।।

माया से जिनका बना, नहीं कभी संयोग ।
लक्ष्मी को वे भी यहां, सदा लगाते भोग ।।

लंगड़ी दौड़ विकास की, बंधे देश के पांव ।
शहर-शहर बढ़ते गये, गये पिछड़ते गांव ।।

ज्यों-ज्यों बढ़ी विकास-दर, त्यों-त्यों बढ़े ग़रीब ।
सचमुच मेरे देश का, कितना अजब नसीब ।।

कुछ के हिस्से भूख है, कुछ के हिस्से भीख ।
कुछ के हिस्से दर्द है, कुछ के हिस्से चीख ।।

तड़प-तड़प कर भूख से, निकले जिसके प्रान ।
मरने पर उसके मिला, लाखों का अनुदान ।।

जब तक जारी है यहां, तुष्टिकरण का राग ।
तब तक बुझनी है कठिन, आरक्षण की आग ।।

हावी है बैताल-सा, सिर पर भ्रष्टाचार ।
घोटालों की संहिता, लगती है सरकार ।।

घर हो या बाज़ार हो, या फिर होटल ताज ।
कोई भी इस देश में, नहीं सुरक्षित आज ।।

चिढ़ा रहे क्यों देश को, अफ़ज़ल और कसाब ।
सबको चिंता वोट की, मांगे कौन हिसाब ।।

पृष्ठ पलट कर देख लें, साक्षी है इतिहास ।
पनपे हैं इस देश में, मात्र विरोधाभास ।।

डॉ० रामनिवास 'मानव'
706, सेक्टर-13, हिसार-125005 (हरि०)

परजीवी

■ मुहम्मद इलियास हुसैन

अभी हाल ही की बात है । मैंने एक यादगार रात अपने मित्र के घर बितायी । आइए, आपको उस रात की कुछ मज़ेदार बातें बताऊं ।

उस रात मेरे मित्र ने बड़ी गर्मज़ोशी के साथ मेरी मेहमाननवाज़ी की । भोजन करने के बाद हम दोनों उस कमरे में आये, जहां मुझे सोना था । उसने बिस्तर लगाया, मच्छरदानी लगायी । मच्छरदानी जगह-जगह फटी हुई थी । उसने मच्छरदानी की चारों ओर अपनी पत्नी की साड़ी लटका दी, जो खुद भी कई जगहों पर फटी हुई थी । मच्छरदानी की जर्जरता मानो देश की आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और धार्मिक जर्जरता की ओर इशारा कर रही थी ।

फटी मच्छरदानी और साड़ी देखकर मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा–'भई ! मैं देहाती. आदमी हूं । अधिकांश देहाती बिना मच्छरदानी के ही सोने के आदी होते हैं । ग़रीबी, बाढ़, सुखाड़, महंगाई आदि की निर्मम मार से त्रस्त देहातियों के लिए मच्छरदानी गूलर के फूल की हैसियत रखती है । इसे बचाकर रखो, शहरी मेहमानों के काम आएंगी ।'

'आजकल आतंकवाद का ज़माना है । आतंकवादियों की भांति मच्छरों ने भी चारों ओर आतंक का माहौल बना रखा है । मच्छर प्रूफ़ चीज़ें इस्तेमाल न करो, तो ये कमबख़्त सोने ही नहीं देंगे । तुम आराम करो । मैं दो मिनट में एक चीज़ लेकर आता हूं ।' वह बोला और कमरे से बाहर निकल गया । आतंक, आतंकवाद और आतंकवादी शब्द सुनकर मुझे मेरे बेटे की बात याद आ गयी ।

स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं उसके साथ टी०वी० देख रहा था । प्रधानमंत्री महोदय ने अपने भाषण में कई बार इन शब्दों का उल्लेख किया था ।

मेरे बेटे ने मुझ से पूछा था–'अब्बा जान ! आतंक, आतंकवाद और आतंकवादी क्या होते हैं ? इनका जन्म कैसे होता है ? क्या ये बहुत ख़तरनाक होते हैं ?'

मैंने बताया था–'भय या संदेह की अति को आतंक कहते हैं । जो लोग भय या आतंक फैलाकर, हत्या या अपहरण या दोनों काम करके–अपनी बात मनवाने और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है । आतंकपूर्ण कार्य करना या ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन देना या ऐसे कार्यों पर विश्वास रखना आतंकवाद है । जब शासक और शासित वर्ग के मध्य नदी के दो पाट जैसी स्थिति पैदा हो जाए, शासक वर्ग शासित वर्ग के मध्य अपना विश्वास खो दे, बेरोकटोक जनता का अधिकार हनन होने लगे, उस पर नाजायज़ क़ानून या नीति लादी जाने लगे, उसकी जायज़ मांगों का गला घोंटा जाने लगे, उसकी इज़्ज़त-आबरू और जान-माल पर असुरक्षा के काले घने बादल मंडराने लगे, तो पददलित वर्ग के युवा अपने सिर पर कफ़न बांधकर जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ हथियार उठा लेते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं । अन्याय और अत्याचार ही आतंकवाद की जननी है । हां, कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी आतंकवादी बन जाते हैं और लोगों को आतंकित कर अपना हित साधते हैं ।

मेरे बेटे का अगल प्रश्न था–'प्रधानमंत्री महोदय के आगे बड़र-सा शीशा क्यों लगाया गया है ?

मैंने कहा था–वह शीशा बुल्लेट प्रूफ़ है–उस पर गोलियों का असर नहीं होता है । देहात में खाते-पीते लोग जिस तरह मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, उसी तरह बड़े-बड़े लोग आतंकवादियों की गोलियों से बचने के लिए बुल्लेट-प्रूफ़ शीशा, छतरी, जैकेट, कार आदि का प्रयोग करते हैं । मेरा मित्र वापस आया, तो उसके हाथों में एक बड़ा-सा कार्टन था, जो ख़ूबसूरत था और था छिद्रदार ।

'इसमें दो दर्जन चूज़ें हैं । इन्हें तुम्हारी भाभी ने सिलीगुड़ी से मंगवाया है । आज रात इनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी तुम पर है । कार्टन के अन्दर कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप न करने पाये, इसका ख़याल रखना । आज ठंडक बहुत है । थोड़ी-थोड़ी देर में इन्हें लैम्प की रोशनी दिखाते रहना । बिजली तो गुल ही रहती है, नहीं तो हीटर लगा देता । यहां जो भी मेहमान आते हैं, उन्हें तुम्हारी भाभी यही ड्यूटी दिया करती है । तकलीफ़ मत मानना, मेरी चारपाई के नीचे कार्टन रखते हुए उसने कहा था ।

'मैं तुम्हारी हिदायत पर पूरी तरह अमल करूंगा । मेरे सामने तुम्हारे चूज़ों का एक बाल भी बांका नहीं होगा ।

जाओ । सोने दो, मैंने उसे टालने का प्रयास किया ।

'जब से मैं दाम्पत्य-सूत्र में बंधा हूं, तुम पहली बार यहां आये हो । तुमने अपनी भाभी को देखा, न सुना ।'

'सुबह देख-सुन लूंगा ।'

'तुम्हारी भाभी बहुत ही मज़ाक़िया क़िस्म की औरत है । वह नेताओं, मंत्रियों, मेहमानों, दामादों और घूसख़ोर व्यक्तियों को परजीवी कहती है–परजीवी माने अपनी जीविका के लिए दूसरों पर निर्भर करने वाला । और तो और, ऐसे दामादों को जो घर-जमाई हो गये हैं, उन्हें वह महापरजीवी कहती है । वह रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि और तुम्हारी तरह ही भुक्तभोगी घर-जमाई बिहारी लाल का यह दोहा गुनगुनाती रहती है–

'आवत जात न जानियत, तेजहि तजि सिमरान ।
घरहिं जंवाई लौं घट्यो, खरो पूस-दिन मान ।।'

अर्थात घर-जमाई होकर रहने से व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता नष्ट कर निस्तेज हो जाता है ।

मैं अपने मित्र की बात सुनकर पानी-पानी हो गया । यदि रात न होती, तो मैं तत्काल वहां से चल देता ।

मैंने उससे पूछा–'तुमने अपनी प्यारी पत्नी के हवाले से बहुत-से परजीवियों के नाम गिना दिये । अब तुम यह बताओ कि क्या वह अपने मायके से आने वाले मेहमानों को भी परजीवी ही मानती है ?'

'नहीं, बिल्कुल नहीं ।'

'क्यों ? क्या यह उसकी दोरंगी नीति नहीं है ?'

'संसार में सर्वत्र इसी नीति का बोलबाला है । अधिकांश लोग इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं–अंधा बांटे रेवड़ी फिर-फिर अपने को दे । यदि तुम सत्ता पक्ष के आदमी हो तो तुम्हारे भाग्य का सितारा बुलन्दी पर है और यदि विपक्ष के हो तो अपने भाग्य के सितारे को गर्दिश में समझो । भाई-भतीजावाद, जातिवाद, अलगाववाद और आतंकवाद इसी दोरंगी नीति के दुष्परिणाम हैं । राष्ट्रसंघ, जिसे मैं अमेरिका की स्वार्थ-सिद्धि का केन्द्र मानता हूं, अमेरिका के ज़िद्दी बच्चे इसराईल के लिए दूध का दरिया बहा रहा है और फ़िलिस्तीन व इराक़ के लिए विष का सागर । एक ओर, अमेरिका की शह पर इसराईल ने राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों का सर्वाधिक उल्लंघन किया है, तो दूसरी ओर, इराक़ ने राष्ट्रसंघ के चन्द प्रस्तावों का उल्लंघन किया, तो मित्र राष्ट्रों ने उसके ईंट के घर को मिट्टी कर दिया । अमेरिका (वास्तविक महाशक्ति), रूस (नाम मात्र की महाशक्ति), ब्रिटेन और फ्रांस (दोनों अमेरिका की दुम) चाहे जैसा भी हथियार बना लें, लेकिन किसी अन्य देश ने यदि हथियार बनाने की कोशिश की, तो उसका हश्र इराक़ जैसा ही होगा । इसराईल अपवाद है । रूस की असफल प्रति क्रान्ति के बाद पश्चिमी देशों ने आज़ादी की घोषणा करने वाले गणराज्यों में से सिर्फ़ ईसाई बहुल बोल्टिक गणराज्यों की आज़ादी को ही मान्यता प्रदान की । सभी पश्चिमी देश मुस्लिम बहुल रूसी गणराज्यों को साम्यवाद की जली रस्सी की ऐंठन में लपेटे रखने का षड्यंत्र कर रहे हैं । अब तुम्हीं बताओ यदि मेरी पत्नी अपना अन्न खिलाकर किसी को परजीवी कहती है, तो क्या हर्ज है ? अब मैं चलता हूं । चूज़ों की सुरक्षा का ख़याल रखना ।'

मेरी आंखें लगने ही को थीं कि चूज़ों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया । मुझे लगा कि आरक्षण की समस्या की गर्मी इन चूज़ों तक भी पहुंच गयी । इसी मसले को लेकर चूज़ें शायद दो गुटों–आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी–में बंट गये हैं । कुछ देर लड़-झगड़कर-थक-हारकर ख़ुद ही शांत हो जाएंगे । लेकिन मामला उत्तरोत्तर बिगड़ता ही गया । समस्या की गंभीरता ने मुझे चारपाई पर से उतरने को मजबूर कर दिया । ज्यों ही मैं चारपाई से उतरा कि आग लगाकर पानी के लिए चिल्लाते हुए दौड़ने वाले नेता की भांति एक छुछुन्दर छुछुआते भागा । छुछुन्दर महोदय को देखते ही मेरा दिल किसी अज्ञात भय से धक से रह गया ।

मैंने कार्टन खोला । देखा, तो देखता ही रह गया । एक, दो, तीन...पन्द्रह, सोलह । सोलह चूज़ें अल्लाह को प्यारे हो चुके थे । मेरे मुंह से आह निकली–'हाय अल्लाह ! जिस तरह आतंकवादी पल झपकते ही अगणित इन्सानों को बम या गोलियों से उड़ा या उड़वा देते हैं, उसी तरह सिरफिरे छुछुन्दर ने सोलह चूज़ों के प्राण-पखेरू उड़ा दिये ।'

मैं चूज़ों की रक्षा करने में अपनी असफलता के कारण रात भर करवट बदलता रहा ।

मैंने पौ फटने से पहले ही अपने मित्र को जगाया । उसे चूज़ों की हत्या की सूचना देते हुए मैंने कहा, 'मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में बुरी तरह असफल रहा, इसका मुझे बहुत अफ़सोस है । आतंकवादी छुछुन्दर ने पल झपकते ही सोलह चूज़ों की जान ले ली । मेरी गुज़ारिश है कि मेरे जाने के बाद ही यह ख़बर तुम अपनी पत्नी को देना । आइन्दा, इंशाअल्लाह, यह परजीवी तुम्हारे यहां रात नहीं गुज़ारेगा । मैं चलता हूं । एक यादगार मेहमाननवाज़ी के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

'शुक्रिया !' उसके मुंह से बड़ी क्षीण आवाज़ निकली ।

पौष्टिक तत्वों से भरपूर है गुड़

■ डॉ॰ अनुराग कुमार श्रीवास्तव

बाज़ार में इफ़रात चीनी मिलने के बावजूद ग्रामीणांचलों में आज भी गुड़ का चलन है तथा ग्रामवासी जलपान के रूप में इसका सेवन करते हैं । गांवों तथा ग्रामों से लगे क़स्बों और बाज़ारों में गुड़ से निर्मित गुड़हवासेव, अनरसा, गुड़धानी, तिलवा, दलपट्टी, लाई और मूंगफली की पट्टी, गजक, गुलगुला आदि मिठाइयां लोकप्रिय हैं । चिकित्सकों के अनुसार गुड़ का नियमित तथा दैनिक रूप से प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है ।

चरक संहिताकार तथा आयुर्वेदाचार्य वागभट्ट ने लोगों को भोजन करने के उपरांत प्रतिदिन थोड़ा गुड़ खाने का परामर्श दिया है । प्राचीन आयुर्विज्ञान में गुड़ को स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य तथा चीनी को विष समान माना गया है । गुड़ खाने के बाद हमारे शरीर में पाचन क्रिया के लिए आवश्यक क्षार उत्पन्न होता है जबकि चीनी अम्ल पैदा करता है जो शरीर के लिए हानिकारक है । आयुर्वेद में किये गये शोध से ज्ञात होता है कि गुड़ के मुक़ाबले में चीनी को पचाने में पांच गुना अधिक ऊर्जा व्यय होती है जबकि गुड़ के साथ कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पायी जाती है जो हड्डी को मज़बूत करने में सहायक है । वहीं चीनी हड्डियों के लिए हानिकारक है क्योंकि चीनी इतने अधिक तापमान पर बनायी जाती है कि गन्ने के रस में मौजूद फास्फोरस भस्म हो जाता है ।

आयुर्वेदज्ञों के अनुसार गुड़ में मौजूद क्षार शरीर में विद्यमान अम्ल को समाप्त करता है तथा शरीर को स्वस्थ रखता है । इसके विपरीत चीनी के सेवन से शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे वात विकार उत्पन्न होते हैं । आयुर्वेदज्ञ चिकित्सकों की सलाह है कि निरोग तथा दीर्घायु के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन नियमित रूप से कम से कम 20 ग्राम गुड़ का सेवन करना चाहिए । गुड़ के तमाम फ़ायदों के बावजूद आयुर्वेद में कुछ पदार्थों के साथ इसके सेवन को निषिद्ध माना गया है तथा गुड़ को दूध में मिलाकर पीने की मनाही की गयी है हालांकि पहले गुड़ खाकर फिर दुग्धपान से सेहत ठीक रहेगी तथा अनेक रोगों से बचाव होगा ।

ब्रिटिश शासनकाल में गन्ना उत्पादक काश्तकार खांडसारी के बजाय गुड़ बनाना पसन्द करते थे जबकि अंग्रेज़ों को चीनी की आवश्यकता पड़ती थी । जब गन्ना उत्पादक और गुड़ निर्माता किसानों ने चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति बन्द कर दी तो अंग्रेज़ों ने गुड़ बनाने पर ही प्रतिबंध लगाने के साथ इसे ग़ैर-क़ानूनी घोषित कर दिया । बाज़ार में चीनी की भरपूर उपलब्धता के बावजूद गुड़ आज भी भारतीय ग्रामीण जनजीवन से जुड़ा है तथा यह ग्रामवासियों का पसन्दीदा आहार है तथा वे लाई, चूड़ा, जोन्हरी के लावा और सतुवा के साथ गुड़ की भेली खाना पसन्द करते हैं ।

एक और विशेष छूट

'साप्ताहिक कान्ति', 'कान्ति मासिक', 'सेहरोज़ा दावत' और मासिक 'ज़िन्दगी-ए-नव' दावत ट्रस्ट के तहत प्रकाशित होते हैं जिनकी संयुक्त वार्षिक सहयोग राशि 1290/- रुपये होती है । यदि कोई व्यक्ति अपने या अपने सगे-संबंधियों व परिजनों के लिए चारों पत्र/पत्रिकाएं एक साथ एक वर्ष के लिए एक पते पर या एक से अधिक पते पर जारी करवाना चाहें तो केवल 1000/- (एक हज़ार) रुपये एकमुश्त भेजकर जारी करवा सकते हैं ।

पत्राचार और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

मैनेजर, दावत ट्रस्ट

डी-314, दावतनगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025
Tel.: Dawat: 011-26949539, 09818799113
Kanti: 011-26949430, 09818799223
Zindagi: 09818799113, Fax: 011-26958816

कुछ विचारणीय बातें

■ डॉ॰ राम बहादुर वर्मा

भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर पक्के स्वयंसेवक नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर तथा बहुमत पाने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद पर आसीन कराकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर॰एस॰एस॰) ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि केन्द्र सरकार का रिमोट कन्ट्रोल उसके हाथ में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की पूरी कमान आर॰एस॰एस॰ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के हाथ में थी। उन्होंने भाजपा पर हावी चौकड़ी को ठिकाने लगाकर यह साफ़ कर दिया कि 'अस्ली बॉस' कौन है। फिर संघ ने तुरुप के पत्ते नरेन्द्र मोदी को लगाया। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छवि हिन्दुत्व के 'पोस्टर ब्वाय' के साथ 'विकास पुरुष' के रूप में गढ़ने में कामयाब हो चुके थे। देश के शीर्ष उद्योगपति गुजरात में मिली रियायतों के कारण मोदीमय हो चुके थे। इस प्रकार 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा ने नहीं संघ-मोदी और कारपोरेट जगत की तिकड़ी ने लड़ा। मोदी के चुनाव प्रचार में संघ ने अपने समस्त अनुषांगी संगठनों को सक्रिय किया। लाखों स्वयं सेवकों ने रात दिन एक कर वोट मांगने से लेकर बूथ प्रबंधन तक का कार्य किया।

चूँकि नरेन्द्र मोदी आर॰एस॰एस॰ के पूर्णकालिक प्रचारक व प्रतिबद्ध स्वयं सेवक रहे हैं और आर॰एस॰एस॰ ने उन्हें अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए चुना है, इसलिए ज़रूरी है कि संघ की विचारधारा व उसके काम करने के तरीक़ों को समझा जाए। 1925 में स्थापना के बाद से ही आर॰एस॰एस॰ का एक ही लक्ष्य रहा है ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता पर आधारित हिन्दू राष्ट्र की स्थापना। संघ धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करता। वह शूद्रों (दलित तथा पिछड़े), मुसलमानों तथा ईसाइयों को द्वितीय दर्जे का नागरिक मानता है। मुसलमानों तथा ईसाइयों को विदेशी मानते हुए आर॰एस॰एस॰ उन्हें हिन्दू धर्म, देवी-देवताओं आदि को अपना कर इस देश में रहने की सलाह देता है, तो दलितों एवं पिछड़े वर्गों को मनुस्मृति की व्यवस्था को स्वीकार कर समाज के निचले पायदान पर रहने की व्यवस्था करता है।

आर॰एस॰एस॰ के संस्थापकों व परवर्ती विचारकों के वक्तव्यों एवं रचनाओं में यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि वे उस 'मनुस्मृति' को मानते हैं, जिसमें ब्राह्मणों को देवताओं का दर्जा दिया गया था तथा उनकी श्रेष्ठता की वकालत की गयी थी। ब्राह्मण को सिर, क्षत्रिय को भुजा, वैश्य को पेट तथा शूद्रों (दलितों एवं पिछड़ों) को पांव की संज्ञा दी गयी है। 'मनुस्मृति' में शूद्रों (पिछड़ों एवं दलितों) के साथ जो आचार-व्यवहार निर्धारित किये गये थे, वे अमानवीय व अपमानजनक थे।

आर॰एस॰एस॰ के संस्थापकों व परवर्ती विचारकों के वक्तव्यों एवं रचनाओं में यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि वे उस 'मनुस्मृति' को मानते हैं, जिसमें ब्राह्मणों को देवताओं का दर्जा दिया गया था तथा उनकी श्रेष्ठता की वकालत की गयी थी। ब्राह्मण को सिर, क्षत्रिय को भुजा, वैश्य को पेट तथा शूद्रों (दलितों एवं पिछड़ों) को पांव की संज्ञा दी गयी है। 'मनुस्मृति' में शूद्रों (पिछड़ों एवं दलितों) के साथ जो आचार-व्यवहार निर्धारित किये गये थे, वे अमानवीय व अपमानजनक थे।

आर॰एस॰एस॰ के वैचारिक शिखर पुरुष एवं चार दशकों तक सरसंघ चालक रहे माधवराव सदाशिव गोलवलकर तथा भाजपा के शीर्ष विचारक रहे दीनदयाल उपाध्याय वर्णव्यवस्था व जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं। विश्व हिन्दू परिषद के नेता तो स्पष्ट कहते हैं कि मनुस्मृति सभी युगों, सभी कालों तथा समूची मानवता के लिए है।

अपनी विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए आर॰एस॰एस॰

संघ परिवार की रूपरेखा

आर०एस०एस० से जुड़ा एक अतिमहत्वपूर्ण संगठन विद्या भारती है, जिसमें पूरे देश में सरस्वती शिशु मंदिरों तथा इंटर स्तर तक चलने वाले विद्यालयों का जाल बिछा दिया है । देश के लाखों विद्यार्थी आर०एस०एस० द्वारा संचालित इन स्कूलों में पढ़ते हैं । जातीय गौरव के नाम पर हास्यस्पद शिक्षा दी जा रही है, जो उनके कोमल मस्तिष्क को बचपन से ही साम्प्रदायिक विद्वेष, ग़लत इतिहास और तोड़े-मरोड़े गये तथ्यों और मिथ्याभिमान से दूषित कर रही है ।

ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अनेक संगठन बना रखे हैं जिसके माध्यम से वह समाज के विभिन्न वर्गों में अपने प्रभाव का विस्तार करता है । इन अनुषांगिक संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी आर०एस०एस० से जुड़े लोग होते हैं । आम नागरिकों को तो हय मालूम ही नहीं रहता कि यह आर०एस०एस० के अनुषांगिक संगठन हैं और अनजाने ही वे उसकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं । यह सारे अनुषांगिक संगठन आर०एस०एस० के 'हिन्दू राष्ट्र' के सपने पूरा करने के लिए माहौल बनाते हैं और जनता को उसकी तरफ़ लामबंद करते हैं । इन संगठनों में निचले स्तर पर तमाम ऐसे लोग हैं जो आर०एस०एस० व भाजपा से नहीं जुड़े हैं, पर संगठन से जुड़ाव के कारण भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करते हैं ।

आर०एस०एस० जब कोई कार्यक्रम देता है, तो ये अनुषांगिक संगठन अपने-अपने तरीक़े से उस दिशा में कार्य करते हैं तथा जनता को प्रभावित करते हैं । पूरे देश में गांव-गांव, नगर-नगर फैले अनुषांगिक संगठनों के सदस्य प्रभावकारी तरीक़े से कोई बात आम जनता तक पहुंचा देते हैं । वे एक साथ पूरे देश में किसी देवी-देवता की मूर्ति को दूध पीते हुए प्रचारित कर सकते हैं तथा "लव-जिहाद" का प्रचार कर साम्प्रदायिक दंगे करवा सकते हैं । उनका प्रचार तंत्र इतना मज़बूत है कि किसी भी ख़बर को चंद मिनटों में पूरे देश में फैला सकते हैं । जब तक उस ख़बर का खंडन हो या सच्चाई का पता लगे, तब तक जो नुक़सान हो चुका उसकी भरपाई नहीं हो सकती ।

आर०एस०एस० का सबसे महत्वपूर्ण व चर्चित अनुषांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी (पूर्व नाम भारतीय जनसंघ) है । आर०एस०एस० का नेतृत्व जानता था कि राजसत्ता पर क़ब्ज़ा किये बिना वह हिन्दू राष्ट्र के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर०एस०एस० ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी तथा अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे स्वयं सेवकों को उसका नेतृत्व करने के लिए भेजा था । भाजपा के किसी नेता का कितना भी बड़ा क़द हो, परन्तु आर०एस०एस० की सहमति के बिना वह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता । राष्ट्रीय स्तर से ज़िला स्तर तक भाजपा के संगठन सचिव आर०एस०एस० का व्यक्ति होता है, जिसकी सहमति के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सकता ।

भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति या राष्ट्रीय अधिवेशन में आर०एस०एस० का कोई महत्वपूर्ण नेता उपस्थित रहता है तथा दिशा-निर्देश करता है । भारत ही नहीं विश्व से हर राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व पार्टी की रीति-नीति संबंधी निर्णय लेने को स्वतंत्र है, पर भाजपा विश्व का एक मात्र राजनीतिक दल है जिसका शीर्ष नेतृत्व भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर बिना आर०एस०एस० की सहमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता । संघ के वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत की राजनीतिक मामलों में गहरी अभिरुचि है तथा वे अक्सर भाजपा को दिशा-निर्देश देते रहते हैं ।

आर०एस०एस० का एक महत्वपूर्ण अनुषांगिक संगठन विश्व हिन्दू परिषद है जोकि हिन्दुत्व की भावना पैदा करने

तथा साम्प्रदायिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए सक्रिय रहता है । विहिप के माध्यम से साधु-संत भी संघ परिवार से जुड़े रहते हैं । राम मंदिर के जिस मामले को लेकर भाजपा के अपने जनाधार का विस्तार किया गिा, उसे सबसे पहले विहिप ने ही उठाया था । मुसलमानों तथा ईसाइयों के प्रति हिन्दुओं के मन में घृणा एवं विद्वेष पैदा करने का काम विहिप के फायर ब्रांड नेता करते रहते हैं । विहिप से जुड़ा एक और संगठन बजरंग दल है जिसे कि विहिप का लड़ाकू दस्ता कहा जाता है ।

संगठित और असंगठित मज़दूरों के बीच आर०एस०एस० का अनुषांगिक संगठन भारतीय मज़दूर संघ (बी०एम०एस०) कार्य करता है । 2002 में श्रम मंत्रालय द्वारा करायी गयी गणना के अनुसार बी०एम०एस० की सदस्यता 62.2 लाख थी, जबकि कांग्रेस से जुड़े इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) की सदस्यता 38 लाख थी । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) की सदस्यता 33 लाख थी । 2009 में बी०एम०एस० की सदस्यता एक करोड़ के ऊपर थी । सार्वजनिक क्षेत्र की घोर विरोधी भाजपा के सहयोगों बी०एम०एस० की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर मज़बूत पकड़ बना ली है । किसानों के बीच घुसपैठ के लिए आर०एस०एस० का अनुषांगिक संगठन "भारतीय किसान संघ" कार्यरत है । इसकी सदस्य संख्या लगभग दस लाख है ।

छात्र-छात्राओं के बीच कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में आर०एस०एस० से जुड़ा "अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद" (ए०आई०वी०पी०) सक्रिय है । इसी के माध्यम से संघ युवाओं को अपने पास लाता है । विद्यार्थी परिषद को ताक़त देने के लिए अध्यापकों के बीच आर०एस०एस० का संगठन "अखिल भारतीय शैक्षणिक महासंघ" है । इस महासंघ में प्राइमरी स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के सदस्य संगठित हैं । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता लगभग 20 लाख है । अरुण जेटली जैसे महत्वपूर्ण व भाजपा के बड़े क़द के नेता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही आये हैं ।

आर०एस०एस० के लिए ज़मीनी स्तर पर ख़ामोश ढंग से काम करने वाला संगठन "राष्ट्रीय सेवा भारती" है । इसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के आदिवासियों के बीच संघ से जुड़ा संगठन "वनवासी कल्याण आश्रम" है । 2009 तक इसके आश्रमों की संख्या 14,500 तक पहुंच गयी थी । आदिवासियों की मदद के बहाने 'वनवासी कल्याण आश्रम' के लोग आदिवासियों की संस्कृति को मिटाकर उन्हें हिन्दुत्व का पाठ पढ़ाते हैं ।

कट्टर हिन्दुत्व की भावना पैदा करने के लिए आर०एस०एस० के जो संगठन सक्रिय हैं वे हैं--दुर्गावाहिनी, वीरांगनावाहिनी, वैदिक आर्य समाज सभा, देवी जागरण मंच, हिन्दू जागरण मंच, महिला कल्याण समिति, जन दर्पण, सामाजिक दर्पण आदि । महिला कल्याण समिति, जन दर्पण, सामाजिक दर्पण जैसी संस्थाएं महिलाओं के घर परिवार की समस्याएं उठाती हैं, वहीं पर दुर्गावाहिनी, वीरांगनावाहिनी लड़ाकू महिला संगठन हैं । इनकी राम मंदिर आन्दोलन के दौरान हिंसक और आक्रामक भूमिका रही है । ये सभी संगठन भाजपा के महिला मोर्चा के साथ मिलकर काम करते हैं । मुहल्ले की सत्संग सभाएं हर हफ़्ते सत्संग के बहाने महिलाओं को एकत्रित करने का काम करती है । इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी व दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर अनेक विचार मंच तथा शोध संस्थान भी सक्रिय हैं ।

भारतीय लेखक संघ, नवांकुर साहित्य परिषद के अलावा संस्कार भारती तथा भारत विकास परिषद भी आर०एस०एस० से जुड़ी साहित्यक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं । इनके माध्यम से संगीत, नृत्य, नाटक आदि की प्रतियोगिताएं ज़िला स्तर से लेकर प्रांतीय तथा राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित की जाती हैं । अग्रणी कलाकारों, साहित्य व संस्कृतिकर्मियों के बीच हिन्दूवादी प्रचार किया जाता है । आर०एस०एस० इन संस्थाओं के माध्यम से साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता व अलगाव फैलाना चाहता है ।

भारत विकास परिषद की शाखाएं ज़िला स्तर तक हैं । इसमें समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को शामिल किया जाता है । डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी, वकील आदि इसके अधिकतर सदस्य हैं । अवकाश प्राप्त नौकरीपेशा लोगों को इस संगठन में लाने की विशेष कोशिश की जाती है तथा पति-पत्नी दोनों को साथ सदस्य बनाया जाता है । इसके कारण महिलाओं को अधिक सक्रिय होने का अवसर प्राप्त

होता है । अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को भी अधिकारी बनाने का उद्देश्य इस संगठन का है । सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा मध्य, उच्च मध्य वर्ग के लोगों को आपस में मिलने-जुलने का एक अवसर भी यहां मिलता है ।

बौद्धिक सभा गुप्त संगठन है जिसमें हर मार्चे पर आगे बढ़े हुए आर०एस०एस० के कार्यकर्ता ज़िला स्तर पर नियमित रूप से मिलते हैं और हर मुद्दे पर नीति व कार्यशैली निर्धारित करते हैं । इनका सीधा संबंध संघ परिवार द्वारा संचालित मीडिया नेटवर्क से होता है । इसलिए चाहे साम्प्रदायिक दंगे हों या गणेश के दूध पीने संबंधी अवैज्ञानिक घटनाएं, अफ़वाहें चंद घंटों के भीतर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है ।

आर०एस०एस० से जुड़ा एक अतिमहत्वपूर्ण संगठन विद्या भारती है, जिसमें पूरे देश में सरस्वती शिशु मंदिरों तथा इंटर स्तर तक चलने वाले विद्यालयों का जाल बिछा दिया है । देश के लाखों विद्यार्थी आर०एस०एस० द्वारा संचालित इन स्कूलों में पढ़ते हैं । जातीय गौरव के नाम पर हास्यस्पद शिक्षा दी जा रही है, जो उनके कोमल मस्तिष्क को बचपन से ही साम्प्रदायिक विद्वेष, ग़लत इतिहास और तोड़े-मरोड़े गये तथ्यों और मिथ्याभिमान से दूषित कर रही है ।

सरस्वती शिशु मंदिरों में बच्चों के माता-पिता के साथ गहरा तालमेल स्थापित किया जाता है । यहां मातृ दिवस का आयोजन इसी शृंखला का हिस्सा होते हैं । सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिक्षा मंदिर, गीता विद्यालय आदि नामो से प्राइमरी या जूनियर हाईस्कूल संघ परिवार के कार्यकर्ता चला रहे हैं । ज्ञान भारती, विद्या भारती, विद्या मंदिर जूनियर हाईस्कूल तथा हाईस्कूल के शिक्षण संस्थान हैं । जिन प्रदेशों में भाजपा सरकारें हैं वहां आठवीं कक्षा की परीक्षा को "प्रबोध परीक्षा" के रूप में मान्यता मिल गयी है, जिसमें पाठ्यक्रम आर०एस०एस० की विचारधारा और कार्य विधि के अनुरूप निर्मित होता है । हाईस्कूल की परीक्षा को बोर्ड या सी०बी०एस०ई० के पाठ्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाता है, लेकिन तब तक विद्यार्थी साम्प्रदायिक विद्वेषपूर्ण विचारधारा में परिपक्व हो चुका होता है ।

संगठित और असंगठित मज़दूरों के बीच आर०एस०एस० का अनुषांगिक संगठन भारतीय मज़दूर संघ (बी०एम०एस०) कार्य करता है । 2002 में श्रम मंत्रालय द्वारा करायी गयी गणना के अनुसार बी०एम०एस० की सदस्यता 62.2 लाख थी, जबकि कांग्रेस से जुड़े इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) की सदस्यता 38 लाख थी ।

आर०एस०एस० का प्रारंभ से ही प्रयास रहा कि शिक्षण संस्थाओं और मीडिया तंत्र पर अधिपत्य किया जाए । प्रवासी भारतीयों से हिन्दुत्व के नाम पर जमा की गयी अथाह धन राशि का इस्तेमाल संघ परिवार द्वारा संचालित अख़बारों, पत्र-पत्रिकाओं, शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त टी०वी० चैनलों और मीडिया नियंत्रण के लिए होता है । मीडिया नियंत्रक संगठन संघ परिवार के लिए विशेष महत्व का है । संघ परिवार उसके विभिन्न घटकों तथा भाजपा के पक्ष-विपक्ष में राष्ट्रीय स्तर पर क्या छापा जा रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आ रहा है, इसकी छानबीन यह संगठन करता है । यह मीडिया केन्द्र सभी प्रदेश की राजधानियों में है और मुख्य नियंत्रण चैनल दिल्ली से संचालित होता है ।

इस प्रकार देश भर में फैले अपने सैकड़ों अनुषांगिक संगठनों (जिन्हें मिलाकर संघ परिवार कहा जाता है) से जुड़े लाखों लोगों के माध्यम से संघ ऐसे वातावरण का सृजन करता है, जिससे कि उसके राजनीतिक बाज़ू भाजपा के माध्यम से राजसत्ता पर क़ब्ज़ा किया जा सके तथा भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता पर आधारित हिन्दू राष्ट्र में बदल सके । इसलिए ओ०बी०सी० के लिए विशेष तौर पर ज़रूरी है कि वे आर०एस०एस० तथा उसके अनुषांगिक संगठनों की असलियत को समझें तथा उसका मुक़ाबला करने की रणनीति बनाएं, नहीं तो सामाजिक समता के लिए ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, रामा स्वामी नायकर आदि ने जिस सामाजिक क्रांति की शुरुआत की थी तथा मंडल आयोग ने शासन-प्रशासन में भागीदारी का जो जज़्बा दिया था, उसे प्रतिक्रांति में बदलते देर नहीं लगेगी ।

हिन्दुत्व : कथ्य एवं तथ्य

■ शीतला सिंह
(संपादक 'जनमोर्चा')

गोवा के उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा जो अपने को ईसाई हिन्दू बताने के साथ ही देश को हिन्दू राष्ट्र बता रहे थे, उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली । दूसरे मंत्री जिन्होंने यह दावा किया था कि मोदी देश को हिन्दू राष्ट्र बनाएंगे ही, वे भी डांट के कारण चुप हो गये हैं । विश्व हिन्दू परिषद और उसका राष्ट्रवाद भी मोदी के सत्तारूढ़ होने के बाद थम गया है । हिन्दुत्व-रक्षा के नाम पर हमेशा आक्रामक तेवर में रहने वाले प्रवीण तोगड़िया भी थोड़ा ख़ामोश हैं । चुनावों में जो लोग हिन्दू राष्ट्र के नाम पर वोट मांगना चाहते थे उन्हें तो पहले ही चुप करा दिया गया था, वे भी इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने या मानने का अभियान शांत हो गया है, आज भी कुछ लोग इस प्रश्न पर तर्क जुटा कर प्रचारित कर रहे हैं कि आख़िर इसमें बुराई क्या है ।

यूरोप अट्ठाईस देशों में विभाजित है लेकिन उसे राष्ट्र माना जाता है क्योंकि उसके अंतर्गत ये अपेक्षित समानताएं हैं । लेकिन यह बात भारत के बारे में नहीं कही जा सकती, जहां विभिन्न संस्कृतियां, जीवन दर्शन, मान्यताएं, धर्म, धार्मिक विश्वास विद्यमान हैं, जहां अलग-अलग समुदायों के लोग विभिन्नताओं के फलस्वरूप रहते हों ।

देश का भावी स्वरूप और भविष्य क्या हो, इसका निर्धारण लोकतंत्र में देश की जनता को करना है । यह हथियारों के बल पर नहीं बल्कि निर्वाचन में प्रभावी जनशक्ति से ही संभव है । क्योंकि सरकार को ही भावी स्वरूप निर्धारित करने का अधिकार है–संवैधानिक निष्ठा की शपथ के माध्यम से शासन संभालने वाले, जिन्हें लोकसभा के प्रति जवाबदेह माना गया है । उसी संसद को जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती हैं, संविधान में परिवर्तन और परिवर्धन का भी अधिकार है । अब यह बाधा भी सर्वोच्च न्यायालय ने दूर कर दी है जिसके पहले किसी खंडपीठ का यह निर्णय था कि संसद को मूल अधिकारों और संविधान के बुनियादी स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है ।

मूल अधिकारों में से जब संपत्ति का अधिकार समाप्त करने संबंधी परिवर्तन संसद ने सरकार की इच्छा से किया और बहुमत से वह पारित भी हो गया, राष्ट्रपति ने उसे स्वीकृति भी प्रदान कर दी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे संविधानेतर नहीं माना । जब यह मान लिया गया कि संविधान के किसी अंग को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, बाध्यता यही होगी कि यह संशोधन किसी अन्य प्रसंग में विरोधाभासी न हो या उसके विपरीत अर्थ न निकाले जाएं जिससे संविधान में एकरूपता के बजाय दोहरापन दिखायी दे ।

जहां तक हिन्दू राष्ट्र का प्रश्न है, इसमें दोनों शब्दों को पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा । राष्ट्र शब्द भी शासन या सत्ता का परिचायक नहीं बल्कि अंग्रेज़ी के नेशन या क़ौम का परिचायक है, इस क़ौम की पहचान जाति या धर्म नहीं है । अंग्रेज़ी शब्दकोशों के अनुसार, राष्ट्र का अर्थ है जहां एक भाषा, धर्म, संस्कृति, जीवन पद्धति और दर्शन वाले लोग रहते हों । यूरोप अट्ठाईस देशों में विभाजित है लेकिन उसे राष्ट्र माना जाता है क्योंकि उसके अंतर्गत ये अपेक्षित समानताएं हैं । लेकिन यह बात भारत के बारे में नहीं कही जा सकती, जहां विभिन्न संस्कृतियां, जीवन दर्शन, मान्यताएं, धर्म, धार्मिक विश्वास विद्यमान हैं, जहां अलग-अलग समुदायों के लोग विभिन्नताओं के फलस्वरूप रहते हों ।

शासकीय दृष्टि से तो कभी बर्मा और लंका भी इस देश के अंग थे । आज भी ब्रिटेन में जिन्हें सामान्य रूप से इंडियन कहा जाता है उनमें पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका और म्यांमार के लोग भी आते हैं । लेकिन क्या इनकी एकता संभव है ? हिन्दुत्व अगर संयोजक तत्त्व होता तो पड़ोसी नेपाल इसका अंग होता, जिसे विश्व हिन्दू परिषद के लोग भी हिन्दू राष्ट्र बताते हैं । लेकिन वहां भी अब इस स्थिति में परिवर्तन आया है, भारत में मिलने के लिए न वह पहले तैयार था न आज ।

जब इस देश का विभाजन हुआ तो वह भी धर्मों पर आधारित नहीं था । ब्रिटिश संसद ने जिस विभाजन को मंजूरी दी थी उसका आधार यह था कि जहां मुस्लिम लीग जीती है उसे पाकिस्तान और जहां कांग्रेस जीती है उसे इंडिया या भारत मानकर अलग किया जाए ।

यही कारण था कि पख़्तूनिस्तान, जहां मुस्लिम संप्रदाय के लोग बहुतायात में रहते थे वह भारत का अंग था जिसकी बाबत भारत के भावी शासकों ने भी माना कि व्यावहारिकता के लिए वहां जनमत संग्रह करा लिया जाए कि उस क्षेत्र के लोग किसके साथ रहना चाहते हैं । इसका सख़्त विरोध सीमांत गांधी ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार खां ने किया था । वे जनमत संग्रह से अलग हो गये, परिणामस्वरूप यह पाकिस्तान का अंग बन गया । अगर धर्म ही संयोजक तत्त्व होता तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का विलगाव न होता, दोनों के नाम और शासक न बदलते । इसके पहले वहां इस्लामी राज्य बना कर एकता की रक्षा नहीं हो सकी ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद कहते हैं कि जिसे हिन्दू कोड बिल में हिन्दू माना गया है वे सब हिन्दू हैं । लेकिन उसमें तो सिख भी आते हैं, बौद्ध और जैन भी आते हैं । बौद्धों को देश से बाहर करने के लिए जो अभियान कभी चला था, इतिहास में वह दर्ज है और दुनिया उसे जानती है। बौद्ध देश या बौद्ध समुदाय क्या हिन्दू राष्ट्र बनने के लिए तैयार हैं ? बौद्धों की संख्या दुनिया में तीसरे नम्बर पर है और जिन्हें हिन्दू बताते हैं उनकी चौथे नम्बर पर । चीन बौद्ध देशों की ही परिभाषा में आता है, म्यांमार और श्रीलंका भी ।

भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए इस हिन्दू की भी परिभाषा करनी पड़ेगी क्योंकि जाति, धर्म, विश्वास, जीवन पद्धति, आस्थाएं अलग-अलग हैं, इन्हें जोड़ने के लिए आधार क्या होगा । देश के पूर्वोत्तर में कई राज्य ईसाई बहुल हैं, और कश्मीर का वह हिस्सा जो भारत के पास है, मुस्लिम बहुल है । आर्य-अनार्य या आर्य-द्रविड़ का संघर्ष भी नया नहीं है, इतिहास के शैव और वैष्णव संघर्ष इतर धर्मियों के बीच नहीं थे । लेकिन इतिहास यही बताता है कि जो यहां इस धरती पर आया है उसका मूल स्वरूप भी परिवर्तित होता गया है । शक, हूण, शिथेन आदि जातियों की अगर खोज की जाए तो हम पाएंगे कि यह खोज संभव ही नहीं रह गयी है । यह परिवर्तनकामिता का ही परिणाम है ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद कहते हैं कि जिसे हिन्दू कोड बिल में हिन्दू माना गया है वे सब हिन्दू हैं । लेकिन उसमें तो सिख भी आते हैं, बौद्ध और जैन भी आते हैं । बौद्धों को देश से बाहर करने के लिए जो अभियान कभी चला था, इतिहास में वह दर्ज है और दुनिया उसे जानती है। बौद्ध देश या बौद्ध समुदाय क्या हिन्दू राष्ट्र बनने के लिए तैयार हैं ? बौद्धों की संख्या दुनिया में तीसरे नम्बर पर है और जिन्हें हिन्दू बताते हैं उनकी चौथे नम्बर पर । चीन बौद्ध देशों की ही परिभाषा में आता है, म्यांमार और श्रीलंका भी ।

हिन्दू शब्द वेद, शास्त्र, उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों में तो मिलता नहीं । इस शब्द की शुरुआत मुसलमानों के भारत-आगमन के साथ हुई, क्योंकि वे सिंधु को ही हिन्दू उसी प्रकार कहते थे जैसे सप्ताह को हफ़्ता यानी 'स' अक्षर उनकी लिपि में था ही नहीं । हिन्दू का अर्थ भी उनकी दृष्टि से कोई सम्मानजनक नहीं बल्कि अपमानकारक ही था । ये

आक्रमण पश्चिम से हुए थे, इसलिए गंगा-यमुना नहीं बल्कि वहां सिंधु और उसकी सभ्यता ही प्रभावित थी । मुअनजोदड़ों में जिस संस्कृति का हम दावा करते हैं उसे सिंधु संस्कृति ही तो कहा जाएगा । संस्कृतियां भी स्थायी नहीं बल्कि देश, युग, काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं । यह परिवर्तन पुरानी और नयी पीढ़ी में आज भी देखा जा सकता है ।

इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की यह परिभाषा उचित ही है कि जो अपने को हिन्दू कहता और मानता है वह हिन्दू है, इसमें धर्म और उपासना पद्धति भी कहीं बाधक नहीं हैं । उपासना पद्धतियां अनंत और वैयक्तिक हैं । इसीलिए संविधान में व्यक्ति को आस्था और विश्वास की छूट भी दी गयी है । देश, राज्य और राष्ट्र ये तीनों समानार्थी नहीं हैं । परिवर्तन का क्रम निरंतर चल रहा है और इसके आधार पर व्यवस्थाएं भी बनेंगी और बिगड़ेंगी । अल्लाह, कुरआन और पैग़म्बर पर विश्वास करना अपने को मुसलमान कहने वालों के लिए आवश्यक है लेकिन मुस्लिम बहुल सत्तावन देश आख़िर क्यों एकजुट नहीं हैं ? आज वे विभिन्न ख़ेमों में बंटे हुए हैं, जहां वे एक-दूसरे के संयोजक नहीं रहे हैं ।

इराक़ में शिया और सुन्नियों के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन के लिए हो रहे संघर्ष और हिंसा को क्या कहा जाए ? दोनों ही तरफ़ ऐसी शक्तियां हैं जो इस्लाम को मानती हैं । हिन्दू भी आपस में लड़ते रहे हैं । तमाम राजाओं के संघर्ष सत्ता पर अधिकारों के लिए थे, इतिहास इसका गवाह है । पृथ्वीराज और जयचंद दोनों एक ही जाति, धर्म और कुल के थे । कौरव और पांडवों के बीच हुआ महाभारत भी इसका उदाहरण है ।

विभिन्न काल के इतिहास और साहित्य में इसके अनंत उदाहरण हैं । सुर और असुर दोनों एक ही कुल की संतान थे । इसलिए हमें वर्तमान युग-परिप्रेक्ष्य की आवश्यकताओं को जान कर ही राष्ट्र के भावी स्वरूप का भी निर्धारण करना है, ज़ोर-ज़बर्दस्ती या ताक़त के बल पर ऐसा संभव नहीं है ।

देश बंटे भी हैं और जर्मनी जैसे विभाजित देश फिर एक भी हुए हैं । इन विभाजनों और एकताओं के अपने-अपने कारण रहे हैं । इसलिए ऐसे प्रश्न उठाना, जिनकी स्वीकार्यता जनमानस द्वारा संभव न हो, उचित नहीं है । अब शक्ति के बल पर राज्यों के बनने की प्रक्रिया थम चुकी है । अभी ग्यारह मुस्लिम देशों में जो असहमतिजन्य आंदोलन और परिवर्तन हुए हैं उनमें भी निर्णायक तत्त्व यही था कि राज्य-शक्ति जनता की इच्छाओं पर आधारित होनी चाहिए, कोई नया ख़लीफ़ा बनाने के लिए नहीं । यही कारण था कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, बेरोज़गारी, महंगाई जैसे मुद्दे जो जनता को प्रभावित करते थे, चुनावों में उन्हीं को मोदी ने उठाया । इसमें उन्हें अयोध्या मुद्दे से अधिक कामयाबी भी मिली ।

कम ज़्यादा नहीं करता

बहुत-सी बात हैं मैं जिनको बेपर्दा नहीं करता
मगर तुम देख लो मैं कुछ भी बापर्दा नहीं करता ।

मुझे तुम काट डालो, मार डालो या जला डालो
मैं सच हूं, झूठ के आगे कभी सजदा नहीं करता ।

"तुम्हारे वास्ते मैं चांद-तारे तोड़ लाऊंगा"
फ़क़त इक झूठ है, मैं झूठ का वादा नहीं करता ।

इरादा मेरा ज़ाहिर है, ज़माने को जगाने का
मैं जो भी सोचता हूं, उसमें कम ज़्यादा नहीं करता ।

इबादत की अहम इक भूमिका है मेरे जीवन में
दिखावट के लिए पर कोई जगराता नहीं करता ।

मैं वो दर्पण हूं, जिसमें सारी दुनिया साफ़ दिखेगी
निरर्थक बात करके वक़्त उफ़्तादा नहीं करता ।

क़दम हर एक मेरा जैसे पत्थर पर इबारत है
मगर मैं सोच अपनी किसी पर लादा नहीं करता ।

हुज़ूर इस्लाहियत की आप से ख़ाहिश ग़ज़ल को है
अभी शागिर्द फ़न हूं दावा उस्तादा नहीं करता ।

हितेश अब इश्क़ की ख़ातिर में कपड़े फाड़ दूं अपने
मुहब्बत में ख़ुदी को इतना शर्मिन्दा नहीं करता ।।

हितेश कुमार शर्मा
गणपति काम्प्लेक्स, सिविल लाइंस,
बिजनौर (उ०प्र०)

'साम्प्रदायिक समस्या' की चर्चा

सन 1933 में कानपुर दंगा जांच समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन पर तत्कालीन ब्रितानी सरकार ने रोक लगा दी थी। सन 1931 में भयंकर साम्प्रदायिक दंगा भड़क उठा था। दंगे के कारणों की जांच के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने छह सदस्यों का जांच दल नियुक्त किया था। इस दल की रिपोर्ट में आधुनिक भारत में हिन्दू-मुस्लिम रिश्तों में आयी कड़वाहट और इसके निदान के उपाय सुझाये गये थे। इस समिति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आम लोगों में व्याप्त इस बात को तथ्यहीन सिद्ध करना था कि हिन्दुओं और मुसलमानों के आपसी रिश्ते स्वाभाविक और ऐतिहासिक रूप से कटु रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक विविधताओं के बावजूद सदियों से ये दोनों समाज दुर्लभ सांस्कृतिक संयोग प्रस्तुत करते रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि औपनिवेशिक शासकों और प्रशासकों ने किस तरह इस तथ्य को विकृत रूप में प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट का यह संक्षिप्त संस्करण, जोकि आज भी प्रासंगिक है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का एक अंश प्रस्तुत है–

इस्लाम के उदय से पहले भारत और अरब के बीच रिश्ते

इस्लाम के जन्म से पहले अरब और भारत व्यापार तथा वाणिज्य के ज़रिये काफ़ी निकट से जुड़े हुए थे। उन दिनों अरब के लोग भारत के अच्छे व्यापारी माल भारतीय समुद्र तटों के आर-पार समृद्ध और उर्वर शांत द्वीपों से गुज़रते हुए पश्चिम में यूरोप के देशों और मिस्र तथा पूर्व के देशों में जापान और चीन के दूरस्थ देशों तक ले जाते थे। इस दृष्टि से भारत के पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तट अरब उपनिवेश थे और इस्लाम के जन्म से सदियों पहले अरब तथा भारत के लोग एक-दूसरे को जानते थे एवं सच्ची मित्रता और सच्चाई के साथ रहते तथा काम करते थे।

पुस्तक समीक्षा

अनंत काल से मध्य एशिया से आने वाली जातियों के उत्तर से आने के कारण भारत के जनजीवन में विश्वबंधुत्व सिद्धांत का तत्व घुल रहा था। ये समय-समय पर यहां आये और बस गये, कभी शांति से और कभी इन्होंने चढ़ाई और धावा कर दिया। इतिहास के आरंभ से ही यह विश्वबंधुत्व के अन्य सभ्य देशों के साथ उसके आर्थिक रिश्तों के ज़रिये बढ़ा क्योंकि इस पूरे समय और 19वीं शताब्दी तक जब ब्रिटिश शासन यहां जम गया, वह विश्व व्यापार के सबसे धनी और बड़े केन्द्रों में एक था। इन तत्वों ने उसके आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को एक खुलापन दिया जो उसकी धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था को कठोर विशिष्टताओं से बिल्कुल ही विपरीत था। किसी अन्य देश ने उस तरीक़े से दूसरे मतों और धर्मों के अनुयायियों का बिना रोक-टोक आतिथ्य और स्वागत नहीं किया जिस तरह भारत ने पुराने समय में किया। और कोई अन्य देश इस तरह के विदेशी संपर्कों से फ़ायदा नहीं उठा पाया तथ अपनी संस्कृति की जड़ों को छोड़े या अपनी विशिष्टता मिटाये बिना अन्य व्यवस्थाओं की अच्छी बातों को सफलतापूर्वक अपनाने में सक्षम नहीं हुआ। हम इन पहलुओं का इसलिए उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि ये आमतौर पर इतिहास से अनुपस्थित हैं और अपने भूतकाल को सच्चे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए इसकी जानकारी ज़रूरी है।

पहले मुस्लिम उपनिवेश

जब लगभग 630 ई० तक लगभग संपूर्ण अरब ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया तो भारत के अरब उपनिवेश स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम उपनिवेश बन गये और 'इस्लाम ने अरबों को जीवन दिया' वाले अत्यधिक नैतिक तथा आर्थिक प्रोत्साहन ने इन उपनिवेशों की संख्या और महत्व को बढ़ाने की भारत में तात्कालिक प्रतिक्रिया हुई। 630 ई० से 1000 ई० तक, जब सिंध में एकमात्र अरब आक्रमण के अपवाद, जिसे भारत में मुस्लिम चढ़ाई की शुरुआत कही जा सकती है, भारत इस्लाम के साथ निकट संपर्क के साथ रहा। इस अवधि के दौरान इस्माम वस्तुत: दुनिया के उन सभी हिस्सों में फैला जहां यह अभी है, इसने दुनिया के विभिन्न देशों में अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक छाप छोड़ी और अपनी शक्ति तथा गौरव की पराकाष्ठा पायी।

मकतबा अलफहीम मऊ

की नई हिंदी इस्लामी पुस्तकें

मुख्तसर तफसीर अहसनुल बयान	450/=	सुन्नत के मसाइल इकबाल कीलानी	80/=
बुलूगुल मराम	275/=	तौहीद के आंसू इकबाल कीलानी	65/=
नबूवत की किरनें मौ० सफीउर्रहमान मो०	275/=	हमारी दावत किताब व सुन्नत	40/=
हुक़ूक़ुलएबाद सलाहुददीन यूसुफ	55/=	चेहरे का पर्दा मुस्तहब या वाजिब	20/=
हुक़ूक़ुल औलाद सलाहुददीन यूसुफ	50/=	मुहम्मद(स०) हिन्दू किताबों में	65/=
हुक़ूक़ुज़्ज़ौजैन सलाहुददीन यूसुफ	32/=	तावीज़ गंडा की हक़ीक़त	30/=
सैय्यदना अबू बक्र सिद्दीक रज़ि:	28/=	और मैं मर गया	32/=
सैय्यदना उमर फारूक़ रज़ि:	28/=	मसला उर्स और ग्यारहवीं	30/=
सैय्यदना उसमान गनी रज़ि:	28/=	इस्लाम और इमान के अरकान	80/=
सैय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ि:	28/=	किताबुत्तौहीद	75/=
इस्लाम पर ४० एतेराज़ात और उसके जवाबात	80/=	क़ुरआन की शीतल छाया	85/=
क़ुरआन और विज्ञान-डा. ज़ाकिर नाइक	50/=	अल्लाह और उसके रसूल की पहचान	50/=
इस्लाम और हिन्दूधर्म में समानताएं	50/=	जादू का इलाज	85/=
क्या क़ुरआन ईश्वरीय ग्रन्थ है	60/=	कलमा-ए-तौहीद अर्थ, महत्तव, फज़ीलत	28/=
विशेष धर्मों में ईश्वर की कल्पना	28/=	इस्लाम एक नज़र में	50/=
इस्लाम में औरतों के अधिकार	60/=	इस्लाम खालिस क्या है	22/=
इस्लाम आतंकवाद या भाईचारा	50/=	इस्लामी अक़ीदा	22/=
मांसाहार उचित या अनुचित	60/=	इस्लाम क्या है	50/=
जन्नत का बयान इकबाल कीलानी	120/=	मासूरह दुआएं	30/=
जहन्नम का बयान इकबाल कीलानी	130/=	हिसनुल मुसलिम (उच्चारण सहित)	50/=
नमाज़ के मसाइल इकबाल कीलानी	120/=	नमाज़े मोहम्मदी (उच्चारण सहित)	35/=
तौहीद के मसाइल इकबाल कीलानी	120/=	परदा	35/=

आप घर बैठे किताबें VPP डाक द्वारा मँगा सकते हैं। एकाउंट में रक्म ट्रांस्फर करने पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा किताबें भेजने की सुविधा है।

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email :faheembooks@gmail.com

❶

किरायेदार

बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और शादी-ब्याह के चक्कर में जीवन के पचपन वर्ष कब बीत गये, राममेहर को पता ही नहीं चला । तनख़्वाह थोड़ी थी, ट्यूशन से भी नाम मात्र की कमाई होती थी ।

अत: मुश्किल से ही गुज़र-बसर हो पाता था । उस जैसे स्कूल टीचर के लिए अपने घर की बात सोचना भी बेमानी था ।

अत: तीस वर्षों का सेवाकाल किराये के मकानों में ही सामान जमाते-उठाते बीत गया ।

आज राममेहर ख़ुश है । पचपन की उम्र में ही सही, उसने अपना एक छोटा-सा घर बना लिया है । कुछ पैसे उसने बचाये, कुछ एरियर मिल गया तथा कुछ पी॰एफ॰ से लोन ले लिया और इस प्रकार उसका अपने घर का सपना साकार हो गया ।

अत: वह ख़ुश है, बहुत ख़ुश, इतना ख़ुश की जितना वह अपने विवाह और बच्चों के जन्म पर ही शायद हुआ हो ।

राममेहर ने गृह-प्रवेश से पूर्व ही अपना सारा सामान नये घर में जंचा दिया है । बेटा-बेटी, दोनों विशेष रूप से आये हैं, इस अवसर पर लेकिन घर और घर की साज-सज्जा को देखकर दोनों उखड़ जाते हैं, कहते हैं–"यह क्या डैडी ! एक तो सौ गज़ का छोटा-सा मकान, ऊपर से आपने अपना सारा पुराना सामान इसमें भर दिया है । अब यह घर नहीं कबाड़-घर लगता है ।"

इतना कहकर बच्चों ने, उसके द्वारा बनाये गये चित्रों, पुस्तकों तथा दूसरी ज़रूरी चीज़ों को वहां से हटाकर, स्टोर में रखना शुरू कर दिया । देखते-ही-देखते घर का नक़्शा ही बदल गया । लेकिन यह तो वह घर नहीं, जो राममेहर ने अपने लिए बनवाया था ।

राममेहर को लगता है, जैसे वह एक बार फिर किरायेदार बन गया है । बस, अन्तर इतना है कि पहले वह किसी अन्य के घर में किरायेदार था, अब अपने ही घर में ।

❷

मां का मतलब

"दूध ढाई किलो लेना है, याद करके ले लेना, अच्छा !" स्कूल जाने के लिए तैयार होते हुए, पत्नी ने मुझसे कहा–"पतीला धोकर फ्रिज़ पर रख दिया है ।"

"आज ढाई किलो क्यों ?" मैंने पूछा, तो पत्नी ने झुंझलाकर उत्तर दिया–

"क्योंकि आज बच्चे हॉस्टल से घर आ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ याद रहे तब न !"

"केले और सेब निकालकर रख दिये हैं, ख़ुद भी खा लेना और बच्चों को भी खिला देना ।" तैयार होकर चलते-चलते पत्नी ने कहा ।

"अच्छा ठीक है, खिला दूंगा ।" मेरी भाव-भंगिमा देखकर पत्नी आश्वस्त हो गयी थी ।

लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह वापस लौट आयी, तो मैंने पूछा–"अब क्या रह गया ?"

"मिठाइयों के लिए तो कहना भूल ही गयी थी । बच्चों के आने से पहले, बाज़ार जाकर, उनकी पसन्द की ताज़ा मिठाइयां ले आना ।"

उन्होंने अंतिम निर्देश दिया था ।

"मिठाइयां भी ले आऊंगा । और कुछ ?"

"मेरे आने तक इतना ही कर लेना, बाक़ी मैं आकर संभाल लूंगी ।...मेरी परीक्षा में ड्यूटी न होती, तो मैं ख़ुद दुट्टी ले लेती, आपको छुट्टी लेने के लिए न कहती ।" पत्नी के स्वर में स्पष्टीकरण के साथ-साथ व्यथा और विवशता भी थी ।

और तब, पत्नी के जाने तथा बच्चों के आने के बीच, मैं मां होने का मतलब खोजता रहा ।

❸

लालटेन

लालक़िले से लेकर बोट क्लब तक, दस किलोमीटर लंबा, लाल सागर लहरा रहा है । देश के कोने-कोने से आये कामरेड, आज की इस रैली में शामिल होकर, दिल्ली के

कानों पर दस्तक दे रहे हैं–"चेतो दिल्ली, हम तुम्हें लूटने नहीं, जगाने आये हैं ।"

"आज की यह रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली चाहे न हो, लेकिन यह दिल्ली में हुई सबसे बड़ी रैलियों में से है ।"

मैं अपने साथी पत्रकार रमेश तलवार को अपना आकलन प्रस्तुत करता हूं ।

"बेशक ! है भी बड़ी अनुशासित और लोग भी ढोकर इकट्ठे नहीं किये गये, स्वेच्छा से आये लगते हैं ।" रमेश ने, इसी स्थल पर हुई, पूर्ववर्ती रैलियों तथा वामपंथी दलों द्वारा आयोजित आज की रैली के चरित्र का अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा ।

लालक़िले पर लाल निशान देखने का सपना मन में संजोए कामरेड पंक्तिबद्ध होकर चल रहे हैं । किसी ने गुड़-चने या सत्तू की पोटली लटका रखी है, तो किसी ने झोले में बाटियां टांग रखी है ।

मैंने उनमें से एक को रोककर, पूछा–"कहां से आये हो ?"

"किसनगढ़ी गांव से, मुरैना ज़िले में पड़ता है ।"

"तुम्हें लाया गया है या ख़ुद आये हो ?"

"लाएगा कौन साब ! अपनी मर्ज़ी से आये हैं, ख़ुदा किराया-भाड़ा ख़र्च कर, अपने नेताओं के भाषण सुनने ।"

रमेश की बात की पुष्टि हो गयी थी ।

चेहरों से साफ़ झलक रहा था कि कई कामरेड पहली बार दिल्ली आये हैं, ख़ुश हैं–कोई दिल्ली देखकर, तो कोई छोले-भटूरे खाकर ।

उड़ीसा का बुज़ुर्ग गणेश पटनायक ख़ुश है कि उसने, अपनी प्रथम दिल्ली यात्रा में ही, मनपसन्द चीज़ ख़रीद ली है ।

"इसमें क्यका है ?" उसके थैले की ओर संकेत करके रमेश ने पूछा ।

वह झिझकता है, लेकिन निवेदन करने पर बताता है और फिर दिखा भी देता है–"लालटेन है ।"

हमें लगा, यह बुज़ुर्ग उन लाखों लोगों का प्रतीक है, जो एक लालटेन यानी रोशनी की एक किरण के लिए, ऐसी रैलियों में, उमड़े चले आते हैं । 'लेकिन ये राजनीतिक दल और नेता क्या उन्हें एक लालटेन दे पाएंगे ?' हम दोनों की आंखों में एक प्रश्न उभर आया था ।

कविता

भ्रष्टाचार

मजिस्ट्रेट ने अदालत की मेज से,
फाइल तब उठायी ।
जब मुद्दई ने सौ रुपये की नोट,
पेशकार को थमाई ।
जज अगली तारीख़ देकर चला गया ।
मुद्दई फिर छला गया ।
यहां चोर, चोर को ईमानदारी सिखाता है ।
और ईमान, बेईमानों के बीच देख़ने में आता है ।
निश्चित परशेंटेज, पुलिस ले जाती है ।
उनकी कमाई चांद की तरह,
रात के अंधेरे में आती है ।
शासन से, ईमान की उम्मीद,
गधे के सिर सींग,
वह भी, सर्जरी से संभव है ।
किन्तु इनका भ्रष्टाचार
कुत्ते की पूंछ,
सुधार असंभव है ।

सतीशचन्द्र शुक्ल
हरियावां, हरदोई-241005

For Information On
City Shops, Roads, Restaurants, Magazines, Schools and much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com

मिथिला : जहां दाग़ी जाती हैं नव-विवाहिताएं

वर्तमान इक्कीसवीं शताब्दी में शिक्षा के व्यापक प्रसार-प्रचार के बावजूद ऐसी अनेक अमानवीय परंपराएं समाज में प्रचलित हैं जिनमें महिलाओं के साथ सरेआम जुल्म किया जाता है तथा विरोध करने के बजाय लोग यह सोचकर मूकदर्शक बने रहते हैं कि इतने सालों से चली आ रही इन परंपराओं का विरोध वे कैसे कर सकते हैं । सशक्त संगठित विरोध के अभाव में परंपरा के नाम पर महिलाओं के साथ जुल्मो-ज़्यादती का सिलसिला भारतीय समाज में आज भी किसी न किसी रूप में जारी है ।

ऐसी ही एक अमानवीय परंपरा बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है जिसमें ब्राह्मणवंशोत्पन्ना नवविवाहिताओं को सावन मास में नागपंचमी के दिन उनके मायके में ही कोहवर वाले घर में अनुष्ठानपूर्वक जलते हुए दीपक की बाती से दाग़ा जाता है । इसके पीछे यह सामान्य धारणा है कि इससे महिलाओं का सुहाग सुरक्षित रहेगा तथा वे सौभाग्यवती होकर मरेंगी । मैथिली ब्राह्मणों में यह प्रथा रक्त शुचिता तथा यौन शुचिता के कारण अमल में आयी ।

मिथिला क्षेत्र में मधुश्रावणी का लोकानुष्ठान चौदह दिनों तक चलता रहता है । श्रावण मास की कृष्णपक्षीय पंचमी जिसे मिथिलावासी मौना पंचमी भी कहते हैं, से शुरू होने वाला यह लोकानुष्ठान शुक्लपक्षीय पंचमी को समाप्त होता है । श्रावण मास की शुक्लपक्षीय पंचमी के दिन नवविवाहिता को जिसका विवाह इसी वर्ष हुआ है, सज-धज कर कोहवर के कमरे में बैठाया जाता है । दाग़े जाने से पूर्व वह अपने दोनों हाथों में केंचुआ रखकर मधुश्रावणी की व्यथा का श्रवण करती हैं । मिथिला में नये कपड़े में बंधे 14 हर्रे, 14 पैसा, सुपारी, धान, धनिया, अक्षत तथा दूब को केंचुआ कहा जाता है । तत्पश्चात उसके दोनों पैरों के घुटनों, पांवों तथा बांएं हाथ के तलुये (हथेली का पिछला भाग) पर छेद किये हुए पान तथा आरत के पत्ते रखे जाते हैं । इसके बाद घृत के प्रज्वलित दीपक की पांच टेमी बाती से विधिकारी यानी अनुष्ठान कराने वाली महिला उसे पांच स्थानों पर दागती है । इस दौरान पति नवविवाहिता की आंखों पर पान के पत्ते रखकर दोनों हाथों से उसकी आंख बन्द किये रहता है । इस अवसर पर संपूर्ण पारिवारिक वातावरण संस्कारमय रहता है । परिवार की महिलाएं तथा सखियां मंगल गीत का लयपूर्वक समवेत स्वर में गायन करती हैं । इस अवसर पर नवविवाहिता चौदह दिनों तक लहसुन, प्याज़ और नमक का सेवन नहीं करती । इन दिनों वह दिन में गौरा पूजन तथा सायंकालीन भोजन सूर्यास्त से पूर्व करती है । इस दौरान पांच विशेष अवसर होते हैं जब व्यथा का श्रवण किया जाता है ।

ये पांच अवसर हैं मौना पंचमी, बिहुलाओ, मनसाक, बिसराक तथा मंगला गौरी । इस अवसर पर महिलाएं तथा सहेलियां मधुश्रावणी का समवेत स्वर में गीत गाते हुए नवविवाहिता को दाग़ने के अनुष्ठान में सम्मिलित होती हैं । नवविवाहिताओं के लिए यह स्थिति यंत्रणाकारी तथा कष्टकारी होती है । दाग़े जाने से उनके शरीर में फफोले पड़ जाते हैं तथा झुलसने से ज़ख़्म हो जाते हैं ।

मिथिलांचल में ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो इस प्रथा के अंधसमर्थक हैं तथा वे मिथिला में महिलाओं को विवाहोपरांतप्रथम सावन मास में दागे़ जाने की प्रथा को मंगलकारी तथा वैज्ञानिक मानते हैं । साहित्यकार अमरनाथ झा का कथन है कि मिथिलावासी इसे आत्मशुद्धिकारी तथा शास्त्रानुमोदित कर्म मानते हैं । मधुश्रावणी मीमांसा में रामकिशोर झा इसे पौराणिक और शास्त्रीय के साथ ही वैज्ञानिक और चिकित्सीय भी बता डालते हैं । उनका तर्क है कि महिलाओं को दागे़ जाने से उनका सौंदर्य निखर उठता है । जहां-जहां उन्हें दाग़ा जाता है, उससे उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित होता है । मिथिला क्षेत्र में ऐसे लोगों की संख्या अल्प नहीं है जिनकी परंपरागत सोच और मान्यता है कि इसी मिथिलांचल की विदेहराज की पुत्री सीता को भी अपने समय में अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी । यह बात और है कि यह प्रकरण भिन्न था । इलाक़े में वर्तमान काल में नवविवाहिताओं को दाग़ने की प्रचलित प्रथा पुरुषों के वर्चस्व तथा शुचिता की एक कड़ी है ।

● विप्र॰

हाथ की लकीरों में क़िस्मत देखने वालो–विचार कीजिए !

❖ लालचन्द चौहान

जिनके हाथ नहीं होते, उनकी लकीरें कहां ? परंतु उनकी भी क़िस्मत होती है । ईश्वर किसी की क़िस्मत को नहीं लिखता, वह तो केवल वही लिखता है जिसे हम पुरुषार्थ से करते हैं या पाप, अत्याचार से करते हैं, वही हमारी क़िस्मत है, अर्थात हमारे कर्म हैं, जिनका फल ईश्वर हमें देता है और उनको हम किसी न किसी योनि में जन्म लेकर भोगते हैं । ईश्वर केवल हमारे पाप-पुण्य को लिखता है । ज़रा सोचो–आपने टेलीविज़न पर देखा होगा, विमान दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, सड़क हादसे, धर्मस्थलों पर हुई अनेक दुर्घटनाएं आदि-आदि, क्या उन हज़ारों मरने वालों की हस्तरेखाएं एक जैसी थी, उनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री-पुरुष सभी होते हैं ।

ईश्वर ग़लत कार्य को उसकी आत्मा को एहसास कराता है, परन्तु वह आत्मा की बात न मानकर अपनी मनमानी करता है, ईश्वर उसको रोकता नहीं, क्योंकि ईश्वर ने जीव को कर्म करने में स्वतंत्रता दी है, परंतु उस कर्म का फल पाने में जीव परतंत्र है अर्थात कर्मों का फल देना ईश्वर के अधीन है । इसलिए सोच-समझकर कार्य करें, हाथों की रेखा में कुछ भी नहीं लिखा, लिखने वाले तो अपनी क़िस्मत के तुम स्वयं हो । जैसा अच्छा-बुरा लिखना चाहते हो, वही लिख डालते हो ।

कई लोग कहते हैं कि बहुत से गुरु भविष्यवाणी करते हैं या बतला देते हैं कि वह क्या करने वाला है या उसने क्या किया ? ऐसा कई चमत्कारी बाबा अपने आपको कहते हैं कि वह भविष्य बतला देते हैं और लोग बिना बुद्धि से विचारे इनके चंगुल में फंस जाते हैं ।

लोग ज्योतिषियों के पीछे भाग रहे हैं–आम आदमी नहीं, बड़े-बड़े राजनेता, बड़े-बड़े पदाधिकारी और सबसे अधिक संख्या में धनी लोगों की स्त्रियां । राजनेता की कुर्सी बनी रहेगी या नहीं भविष्य जानना चाहते हैं । उच्च पदाधिकारी कोई धनोपार्जन में बाधा तो नहीं आने वाली, धनी धन की बढ़ोत्तरी में और इज़ाफ़ा कैसे-कैसे होगा ? या दुखों का निवारण आदि-आदि के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं । ज्योतिषी जी अच्छी रक़म पहले ही ऐंठ लेते हैं और नेता जी चुनाव जीत गये कुर्सी बनी रही तो ज्योतिषी के भाग्य खुल जाते हैं । यह व्यवस्था बनी हुई है और लोग इन ज्योतिषियों के व्यापार को ख़ूब फलीभूत कर रहे हैं ।

राशिफिल : ज़रा बुद्धि से गहराई से विचार करने की बात है । राम, रावण की एक ही राशि थी । पर देखो, दोनों का क्या हाल हुआ ? लाखों साल से लोग एक के लिए दीपक जलाते हैं और दूसरे का हर साल पुतला जलाते हैं और बहुत से तो गालियां भी देते हैं । कंस को गाली देते हैं, कृष्ण जी के गीत गाते हैं ।

राहू-केतु : ज्योतिषियों ने दो ग्रह लोगों को डराने के लिए कल्पित कर रखे हैं । ऐसे कोई ग्रह नहीं होते । राहू-केतु ईश्वर के नाम भी हैं, यह तो सत्य है, परंतु ग्रह कोई नहीं है ।

लोग कहते हैं कि ज्योतिषी भूत, भविष्य, वर्तमान की बातें बता देता है । देखिए–भूतकाल को कोई नहीं बता सकता, न ही इसको जानने का कोई लाभ है, बीत चुका उसे क्या जानना । वर्तमान आप जानते हो, इसका भी कोई लाभ नहीं । अब रही बात भविष्य की, जिसको जानने हेतु लोग बड़े ही उत्सुक होते हैं । अगर आप पुरुषार्थी, परिश्रमी, बुद्धिमान और ईमानदार हैं, तो आपका भविष्य उज्ज्वल ही उज्ज्वल है । अगर आप आलसी, बुद्धिहीन और बेईमानी पर उतर आये तो आपका भविष्य बिगड़ जाएगा ।

जादूगरी आंखों का धोखा : ज़रा सोचिये ! जादूगरी क्या है ? आटा होगा तो रोटी बनेगी । पैसा होगा तो ही दिखायी देगा, जो जादूगर आपको दिखाते हैं, वह वस्तु उनके पास पहले से ही उपलब्ध होती है, यह आपके नज़र, उनकी चतुराई से धोखा खा जाती हैं । इनके पास आपकी आंखों को धोखा देने के सिवाय और कोई करामाती जादू नहीं है ।

लो...आ गये अच्छे दिन !

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

महंगाई पर क़ाबू पाने में मोदी सरकार भी पूरी तरह नाकाम रही है । सच बात तो यह है कि महंगाई पर क़ाबू पाने के मोर्चे पर यह नयी सरकार पूर्व यू॰पी॰ए॰ सरकार से भी गयी-गुज़री साबित हो रही है । अब तो प्राय: हर चीज़ के दाम बढ़ा दिये गये हैं या बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, मानो लोकसभा चुनाव के सभी ख़र्चे वसूले जा रहे हों ! रेल किराये/भाड़े में वृद्धि के कारण चीज़ों के खुदरा दामों में बेतहाशा उछाल आया है । पेट्रोलियम उत्पाद पहले से ही महंगाई में पलीता लगाये हुए हैं ।

हक़ीक़त यह है कि महंगाई रोकने के सिलसिले में कभी सच्चे दिल से कोशिश नहीं की गयी । इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि सरकार बार-बार ऐसे क़दम उठा रही है, जो आख़िरकार महंगाईवर्धक साबित होते हैं । दूसरी ओर जनता की आमदनी यानी क्रयशक्ति महंगाई बढ़ने के हिसाब से नहीं बढ़ती, जिससे जनता की परेशानियों एवं तकलीफ़ों में लगातार इज़ाफ़ा ही होता जा रहा है । लोकसभा चुनाव के पूर्व भाजपा की ओर से जनता को अनेक सब्ज़ बाग़ दिखाये गये थे, लेकिन चुनाव जीतते ही ये धराशाई हो गये । जनता को राहत पहुंचना तो दूर, राहत की कल्पना भी दूर के शब्द बनते जा रहे हैं ।

अफ़सोस की एक बड़ी बात यह भी है कि न तो सत्ताधारी लोग इससे चिंतित हैं, न ही विपक्ष के लोग । इन्हें चिंता होती है तो सिर्फ़ अपने राजनीतिक फ़ायदे की । जहां इसका फ़ायदा समझ में नहीं आता, वहां ध्यान देना ये समय की बर्बादी और मूर्खता की बात समझते हैं । शायद इनका मानना है कि महंगाई कम होगी तो कारोबारी नाखुश होंगे और उन्हें 'भारी अनुदान' नहीं मिल पायेगा । रही बात वोटों की तो उन्हें भावनाओं को उभारकर, धन-बाहुबल का इस्तेमाल करके जैसा भी संभव होगा हासिल कर लिया जाएगा । इसलिए यह एक बड़ी सच्चाई है कि सभी राजनीतिक पार्टियां धन उगाही पर ही अधिक ज़ोर देती हैं । सत्ताधारी लोग ऐसे क़दम उठातें हैं, जिससे पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचे और दूसरे रास्ते से धन उनके पास खिंचकर आये । इस प्रक्रिया में आमजन को कुछ फ़ायदा पहुंच जाए, तो यह एक अलग बात एवं संयोग है । इस प्रकार हमारा शासनतंत्र व्यावहारिक रूप में धनबल की गिरफ़्त में है ।

भारतीय लोकतंत्र पारिभाषिक रूप से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है । यही लोकतंत्र की मान्य परिभाषा है । इसके अनुरूप ही सत्ता-संचालन होना चाहिए । लोकतंत्र में जनहित सर्वोच्च होता है, जिसका हर क़ीमत पर लिहाज़ , ख़याल और समादर होना चाहिए । मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट के दौर में यह तकियाकलाम अक्सर सुनने में आता है कि संकट से निबटने के लिए कुछ कड़े फ़ैसलों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये फ़ैसले हमेशा जनहित की अनदेखी और ज़िन्दगी के लिए कठिनाइयां ही पैदा करने वाले हों, तो कड़े फ़ैसले खुद समस्यावर्धक बन जाते हैं । हमारे देश की कुछ ऐसी ही स्थिति बन गयी है । पूंजीपति लगातार मालामाल हो रहे हैं और ग़रीब लगातार कंगाल ! हमारा देश वस्तुत: ग़रीबों का देश है । पूरे विश्व के ग़रीबों का तीसरा हिस्सा यहां रहता है । विश्व बैंक के एक सर्वे के अनुसार, भारत में अन्तर्राष्ट्रीय ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनता कुल आबादी की 32.7 प्रतिशत है । कम से कम इनके हित की चिंता करना सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है और सत्ताधारी लोगों का बुनियादी नैतिक एवं पदेन दायित्व भी, लेकिन व्यवहार में सिवाय थैलीशाहों के किसी की भी चिंता नहीं की जा रही है । किरीट पारिख कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस पर अमल कर लिया गया । पेट्रोल के बाद डीज़ल को भी डीकंट्रोल किया जा चुका है, जिसके कारण तेल कम्पनियां अपने इच्छानुसार डीज़ल के दाम बढ़ा देती हैं । डीज़ल के दामों में वृद्धि का सीधा मतलब होता है महंगाई का चहुमुखी विस्तार । केन्द्र सरकार को इस बात की भी नहीं परवाह कि भारतीय लोकतंत्र की क्या दुर्गति हो रही है ! जब लोक (जनता) ही मुश्किलों और मुसीबतों में घिरी हुई है, तो तंत्र का क्या अर्थ रह जाता है ? सरकार को चाहिए कि वह हर हालत में जनोन्मुखी रहे और देश व समाज के सभी हित-चिंतक जनता की भलाई और उसके कल्याण के बारे में सोचें एवं कार्य करें, तभी स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ सकता है । यही देश-समाज हित की बात होगी ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाएं

■ अबूज़र कमालुद्दीन

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा–

1. झूठी गवाही देना उतना ही बड़ा पाप है, जितना किसी को ईश्वर का साझी मानना ।

2. सच्चा मुजाहिद (ईश्वर की राह में लड़ने वाला) वह है, जो ईश्वर की आज्ञा के पालन में स्वयं अपने मन से लड़ता है और अस्ली मुहाजिर (अल्लाह की राह में घर देने वाला) वह है जो उन कामों को छोड़ दे, जिन्हें अल्लाह नापसन्द करता है ।

3. क़ियामत के रोज़ अल्लाह की छाया में सबसे पहले जगह पाने वाले वे लोग होंगे, जिनका हाल यह रहा है कि जबकि हक़ (सच्चाई) उनके सामने पेश किया गया तो उन्होंने मान लिया और जब भी हक़ (अधिकार) उनसे मांगा गया तो उन्होंने खुले दिल से दिया और दूसरों के संबंध में उन्होंने वही फ़ैसला किया जो वे स्वयं अपने मामले में करते हैं ।

4. तुम छह बातों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूं–बोलो तो सच बोलो, वादा करो तो पूरा करो, अमानत में पूरे उतरो, व्यभिचार से दूर रहो, बुरी नज़र से बचो और जुल्म से हाथ रोके रहो ।

5. धोखेबाज़, कंजूस और एहसान जताने वाला आदमी जन्नत में नहीं जा सकता ।

6. जो शरीर हराम कमाई से पला हो, उसके लिए जहन्नम की आग ही बेहतर है । वह जन्नत में नहीं जा सकता ।

7. जिस व्यक्ति ने कोई ख़राब वस्तु बेची और ख़रीदार को उसकी त्रुटि से अवगत नहीं कराया, उस पर अल्लाह क्रुद्ध होता है और फ़रिश्ते उस पर लानत भेजते हैं ।

8. कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही बार जीवन प्राप्त करे और अल्लाह की राह में जान देता रहे, परन्तु वह जन्नत में नहीं जा सकता, अगर उसने जो ऋण लिया हो उसको चुकाया न हो ।

9. एक व्यक्ति 60 वर्ष ख़ुदा की इबादत करता है और मरते समय एक वसीयत में हक़दार का हक़ मार कर अपने आपको नरक में पहुंचा देता है ।

10. वह व्यक्ति जन्नत में नहीं जाएगा, जो अपने अधीनस्थ लोगों से कठोरता का बर्ताव करे । मैं तुम्हें बताऊं कि रोज़े, ख़ैरात और नमाज़ से बढ़कर क्या चीज़ है ? वह है बिगाड़ की स्थिति में सुलह करा देना । लोगों के आपसी संबंध में बिगाड़ पैदा करना वह कार्य है, जो सभी अच्छाइयों पर पानी फेर देता है ।

11. वास्तव में निर्धन वह है, जो क़ियामत के दिन ईश्वर के सामने इस हाल में उपस्थित हुआ कि उसके साथ नमाज़, रोज़े, ज़कात सब कुछ थे, मगर वह किसी व्यक्ति को गाली देकर आया था, किसी पर लांछन लगा कर आया था, किसी का माल मार कर आया था, किसी की हत्या की थी, किसी को मारा-पीटा था । फिर अल्लाह ने उसकी एक-एक नेकी (पुण्य) उन मज़लूमों (जिन पर अत्याचार किया गया था) में बांट दी और मज़लूमों का एक-एक कुसूर उसके हिसाब में डाल दिया और उसके पास कुछ न रहा जो उसे नरक से बचाए ।

12. जो व्यापारी मूल्य-वृद्धि के उद्देश्य से माल रोके रखे, वह बड़ा पापी है ।

13. जिस व्यक्ति ने चालीस दिन अनाज इसलिए रोके रखा कि मूल्य में वृद्धि हो जाए तो ईश्वर का उससे और उसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं । फिर अगर वह उस अनाज को ख़ैरात भी कर दे, तो माफ़ नहीं किया जाएगा ।

14. जिसको कोई भरण-पोषण करने वाला नहीं, उसके भरण-पोषण का ज़िम्मेदार राज्य है ।

15. यदि कोई व्यक्ति माल छोड़ जाए, तो वह माल उसके घर वालों के लिए है और यदि वह व्यक्ति किसी को बेसहारा छोड़ जाए, तो उसकी ज़िम्मेदारी मुझ (सरकार) पर है ।

16. मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले चुका दो ।

17. सरकारी कर्मचारियों को भेंट देना भी एक प्रकार की घूस है । एक-दूसरी रिवायत में है–"किसी व्यक्ति ने किसी की सिफ़ारिश की, उसे भेंट दी गयी और उसने स्वीकार कर लिया तो निश्चित रूप से वह ब्याज के दरवाज़ों में से एक बड़े दरवाज़े में प्रवेश कर गया ।"

दहेज का केस

■ सी॰ के॰ रहमानी

दोपहर के कोई पौने तीन बजे होंगे, तभी मंझले बेटे का फ़ोन आया । कहा, बाबू ! उसके ससुर आप से बात करना चाह रहे हैं । उस वक़्त मैं लाइब्रेरी में था । वहां से बाहर निकलकर मैंने फ़ोन सुना । लड़के के ससुर यानी मेरे समधी कहने लगे, 'भाई साहब, जिसका डर था वही हुआ मेरे समधी ने घर के पांच लोगों पर दहेज उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज करा दी है । कल मुझे थाने बुलाया है । क्या थाने जाने से पहले आपके पास आ जाऊं या पहले थाने चला आऊं करू ?'। मैंने कहा, आप पहले थाने चले जाओ समझ लो कि मामला क्या है, मुझे फ़ोन पर बता देना । फ़ोन पर बात ख़त्म हुई ।

मैंने सोचा कि क्यों न मैं उनके स्वयं पास चला जाऊं? उन्हें बुलाकर उनका पैसा और समय क्यों बर्बाद कराऊं । मैंने लड़के से कहा कि अपने ससुर से कहो कि वे कहीं न जाएं मैं खुद ही आ रहा हूं ।

मैं अगले दिन सुबह चार बजे उठा । नहा-धोकर तैयार हुआ । डायबिटीज का पेसेंट होने के कारण बहू ने छोटे से बैग में एक बिस्कुट का पैकेट रख दिया ताकि भूख लगने पर खा लूं । एहतियातन एक जोड़ी कपड़े भी रख दिये थे कि रुकना पड़े तो कपड़ों के लिए परेशान न होना पड़े । सुबह पांच बजे घर से निकला और बस पकड़कर निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा । वहां से मुझे आगरा के लिए 'ताज एक्सप्रेस' पकड़नी थी । मैंने अपने समधी से कहा कि मैं आपके पास मथुरा नहीं आ रहा, बल्कि आप भी आगरा के 'नाई की मंडी थाने पहुंचो, जहां तुम्हें बुलाया गया है । या राजा की मंडी स्टेशन पर ही मिल जाओ साथ-साथ चल देंगे । देखा कि सुबह सवा दस बजे समधी भी राजा की मंडी स्टेशन पर पहुंच गये । वहां से हम थाने पहुंचे और पता लगाया कि किस पुलिसकर्मी ने समधी को बुलाया है । पता चला कि थाने से नहीं पुलिस चौकी से फ़ोन गया था । चौकी पहुंचे थे तो वे पुलिस अधिकारी नहीं मिले जिनके पास शिकायत थी । दूसरे पुलिकर्मी ने कहा, आप चौकी पर जाकर इन्तिज़ार करें, साहब काम निपटाकर आते हैं । इसी बीच लड़की वाले से फ़ोन पर संपर्क हुआ तो वे बोले 'वहां क्या कर रहे हो घर पर आ जाओ, चाय-पानी करके फिर चले जाना ।' चौकी के पास ही उनका घर था सो मैं और मेरे समधी के दूसरे दामाद वहां पहुंच गये । दरअस्ल लड़की वाले भी हमारे रिश्तेदार ही हैं। लड़की वालों ने अपने भांजे के साथ ही शादी की थी जिसका विवाद चल रहा है । भारत में मुस्लिम समुदाय में बुआ घर भतीजी करने का आम रिवाज है ।

सलाम दुआ की औपचारिकता के बाद लड़की के बाप से मैंने ही सवाल किया 'भाई रफ़ीक़ आपने क्या शिकायत की है । उन्होंने कहा, दहेज और लड़की को सताने का, बाक़ी मेरा वकील जाने उसने क्या-क्या लिखा है । तो क्या वाक़ई आपके बहन-बहनोई या फिर आपके भांजे यानी लड़की पति ने दहेज मांगा है या मांग रहे हैं या लड़की के साथ मारपीट की है ? दहेज तो नहीं मांगा और न मारपीट की लेकिन लड़की खुश नहीं रहती । फिर आपने दहेज की शिकायत क्यों की है ? मुसलमानों में तो यूं भी दहेज की अवधारणा नहीं है । यह अलग बात है कि हिंदू समुदाय से प्रेरित होकर अब मुसलमानों में भी दहेज का लेन-देन होने लगा है ।

दहेज के केस थाने व अदालतों में न के बराबर हैं । पहले ये भी नहीं थे । रफ़ीक़ बोले मैंने तो लड़के वालों को ठीक करना है, भले ही वह मेरे बहन-बहनोई हैं । मैं सात साल से इन्तिज़ार कर रहा हूं कि मामला सुलझ जाए, लेकिन बात बनी नहीं । रिश्तेदारों को भी बीच में डाल कर देख लिया । मैंने कहा, लेकिन यह दहेज का तो मामला ही नहीं है । हां, नहीं है लेकिन लड़के वालों को ठीक करने या परेशान करने का लड़की वालों के पास यही अमोघ अस्त्र है, जो ख़ाली नहीं जाता । लेकिन भाई, यह तो झूठा मामला हुआ । रफ़ीक़ बोले, जो दहेज के लाखों केस चल रहे हैं वे कौन से सही हैं ? सो मैंने भी कर दिया । अब मियां जी (लड़के के पिता) रिश्तेदारों को बुलाते फिर रहे हैं । अभी

तो शुरुआत है देखना इनके सब रिश्तेदारों को यहां बुला लूंगा । इनसे अपनी हर बात मनवाऊंगा और नाक रगड़वाऊंगा।

लड़की की मां बोली सब को जेल कराऊंगी । हमें झूठ सच से कुछ लेना-देना नहीं है । बात समझ में नहीं आ रही थी कि आख़िर विवाद की जड़ क्या है । बात आगे बढ़ी तो कुछ-कुछ समझ में आने लगा । पहला यह कि लड़की को लड़का कम पसन्द है । दूसरा वह उतना कमाता नहीं है, जितना लड़की चाहती है । लड़की महत्वाकांक्षी है । वह चाहती है कि हर हफ़्ते उसे मॉल में घुमाने ले जाए । महीने में एक बार बाहर खाना खिलाए । अच्छे कपड़े हों, मतलब एक सामान्य शहरी जीवन । लेकिन लड़का ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उसकी कमाई सिर्फ़ छह हज़ार रुपये है ।

कुल मिलाकर बात सामने आयी कि घर की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है जैसी लड़की की मांग है । दो में से एक बात होनी ही चाहिए थी, या तो लड़का लड़की की पसंद का होता या फिर आर्थिक स्थिति ठीक होती । ऊपर से यह कि लड़की की सास ने लड़की की लल्लो-चप्पो नहीं की क्योंकि इस तरह की लड़कियां या लड़के बहुत 'ईगोइस्ट', होते हैं । ये लोग हमेशा अपनी बात पर तवज्जो चाहते हैं । उनकी अनदेखी की, तो मामला ख़राब । उनका 'ईगो' शांत कर दिया तो समझो घर की आधी से ज़्यादा समस्याएं ख़त्म ।

अब लड़की के मां-बाप चाहते हैं कि लड़की और लड़का दोनों उसके घर पर रहें । अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम उसके शहर में रहें । इससे कम पर कोई बात मंज़ूर नहीं । लड़की के बाप ने चैलेंज के साथ कहा, मैं जहां चाहूंगा लड़का वहां रहेगा, अगर यह शर्त मंज़ूर है तो बात करो नहीं तो जेल जाने को तैयार रहो । उधर, लड़का अपना शहर और घर छोड़ने को तैयार नहीं । किसी तरह लड़के को समझाया तब यह तय हुआ कि आगरा में ही रहेगा । सब लोग फसें उससे यही अच्छा रास्ता लगा ।

यह हमारे समाज की वह तस्वीर है ! कोई भी पक्ष जब झुकने को तैयार नहीं होता तो अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं । लाखों बेगुनाह मां-बाप, बहन-भाई, बहू या फिर उसके मां-बाप के अहं के शिकार हो रहे हैं । इनका दहेज या प्रताड़ना से कोई लेना-देना नहीं, लेकिन वे सज़ा भुगत रहे हैं अथवा सज़ा भुगतने की स्थिति में आ गये हैं । क्या वह स्थिति फिर आएगी जब घर वाले बेटी को विदा करते समय कहेंगे कि बेटी इस घर की और उस घर की इज़्ज़त तेरे हाथों में है । वे यह नहीं कहेंगे कि जा चिंता मत कर, तुझे ज़रा-सी भी परेशानी हुई तो पूरे घर को फंसवा दूंगा । रिश्तेदारों तक को जेल करा दूंगा ।

जब तक समाज की सोच में बदलाव नहीं आएगा यूं ही सैकड़ों केस दर्ज होते रहेंगे । अदलतों पर मुक़दमों का बोझ बढ़ता रहेगा । बेगुनाह जेल जाते रहेंगे । यहां एक बात जोड़ना और ज़रूरी लग रहा है कि इसका यह मतलब नहीं कि लड़की को अधिकारों से वंचित कर दिया जाए या उसकी आज़ादी छीन ली जाए । उसे सम्मान का हक़ तो हर हाल में मिलना चाहिए । बहू को बेटी समझा जाना चाहिए । उसकी आवश्यक इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए । घर में अगर कोई विवाद है तो घर के स्तर पर ही निबटा लेना चाहिए, कोर्ट-कचहरी से रिश्तों में कड़वाहट आती है, मधुरता नहीं । यूं भी विख्यात कवि रहीम कह गए हैं 'रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय, जोड़े से ना जुड़े-जुड़े गांठ पड़ जाय ।' रहीम के दोहे को परिवार और रिश्तेदारी में भी महत्व देने की ज़रूरत है ।

ग़रीबी

ग़रीब देश में
ग़रीब भेष में
अमीर तो ठीक है
किसी ग़रीब को भी ज़रूरत
नहीं है मेरी
हर ग़रीब किसी अमीर
की तलाश में है
एक ग़रीब दूसरे ग़रीब
से किनारा करता है
और अमीर दुतकार देता है ग़रीब को
हम एक-दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे
तो दूसरों से तो अपमानित
होना ही पड़ेगा ।

देवेन्द्र कुमार मिश्रा
छिन्दवाड़ा (म०प्र०)-480001

अप्रैल फूल

❖ सुशांत सुप्रिय

एक शाम आप दफ़्तर से घर आते हैं...थके मांदे । दरवाज़े पर लगा ताला आपको मुंह चिढ़ा रहा है ।

सुमी कहां गयी होगी...ज़ेहन में गुब्बारे-सा सवाल उभरता है । बिना बताए ? और पुलक ? आपका तीन साल का आंखों का तारा ?

आप जेब में हाथ डाल कर चाभी निकालते हैं । ताले की एक चाभी आपके पास भी रहती है । चाभी आज पत्थर-सी भारी क्यों लग रही है ?

दरवाज़ा खोलकर आप भीतर आते हैं । वही जाने-पहचाने कमरे हैं । लगता है जैसे अभी रसोई के नल में से पानी गिरने की आवाज़ आएगी, बर्तन खड़केंगे और सुमी रसोई में से साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई निकलेगी । कहेगी...बड़े थके हुए लग रहे हो आज । हां, आज कई मीटिंग्स थी...आप कहेंगे ।

तुम हाथ-मुंह धो लो, मैं चाय बनाती हूं...वह कहेगी । पुलक बेड-रूम के फ़र्श पर पड़े आज के अख़बार पर आड़ी-तिरछी रेखाएं बना रहा होगा । आप उसे गोद में उठा कर चूम लेंगे । मेरे पापा...कहकर वह आपके गले में बांहें डाल देगा ।

पर मकान आज सोया हुआ है । कहीं कोई आवाज़ नहीं । रसोई का नल ख़ामोश है । बर्तन बेसुध पड़े हैं । बेड-रूम में वीरानी छायी है ।

आप फ़्रिज़ में से बोतल निकाल कर ठंडा पानी पिएंगे । एक अधूरी अंगड़ाई के बीच आपकी निगाह डाइनिंग टेबल पर पड़े काग़ज़ के एक टुकड़े पर जाएगी । आप लपक कर वह काग़ज़ उठाएंगे ।

सुमी के अक्षर हैं । पर आप से पढ़े क्यों नहीं जा रहे ? अक्षर धुंधले क्यों लग रहे हैं ? आंखों में पानी क्यों आ गया है ? या शायद आपको चक्कर आ गया है ।

"...मैं पुलक को लेकर जा रही हूं । आपके जीवन से दूर । हमेशा के लिए ।"

आप लड़खड़ा कर कुर्सी पकड़ लेंगे । घड़ी की टिक-टिक आपके दिमाग़ में हथौड़े की तरह लग रही है ।

क्यों ? क्यों ? क्यों ?

कोई आपके ज़ेहन में शहर के घंटा-घर में लगा भारी-भरकम घंटा बजा रहा है ।

यह अचानक रात क्यों हो गयी है ? चांद कहां चला गया है ? आज आसमान में तारे क्यों नहीं हैं ? नहीं । यह रात नहीं है ? आपकी आंखों के आगे अंधेरा-सा छा गया है । आप लड़खड़ाते हुए क़दमों से जाएंगे और मेज़ की दराज़ से ब्लडप्रेशर की दवाई निकालेंगे । आपकी उंगलियां कांप रही हैं । दवाई फ़र्श पर गिर गयी है । आप उसे नहीं ढूंढ़ पा रहे । दूसरी गोली लेकर आप उसे बिना पानी के निगल जाएंगे । और सिर पकड़ कर बिस्तर पर बैठ जाएंगे ।

बाहर धुंध भरी रात है और आप नींद में चल रहे हैं । दूर कहीं से रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही है । अचानक आपकी आंखें खुल जाती हैं । आप बेड-रूम में नहीं हैं । सुमी कहां गयी ? पुलक कहां गया ?

आप फ़ोन उठाते हैं । फ़ोन डेड है ।

तुमने ऐसा क्यों किया, सुमी ? छोटे-छोटे झगड़े किस घर में नहीं होते ?

अब ?

तनाव की तनी रस्सी पर यादों का नट नृत्य कर रहा है ।

अब ?

दीवार पर सरक रही एक पूंछ-कटी छिपकली आप ही को घूर रही है ।

अब ?

धुंध के उस पार एक गांव है । गांव में खपड़ैल का घर है । दरवाज़े पर केले के पेड़ हैं । बग़ल में चबूतरा है । पास ही पुआल का ढेर है । पुआल के ढेर पर एक बच्चा खेल रहा है ।

दादा जी, आपको क्या हुआ है ?

आंगन में दादाजी का शव पड़ा है । घर की महिलाएं विलाप कर रही हैं ।

दादा जी, उठिए न ।

अर्थी शमशान की ओर जा रही है ।

दादाजी, मुझे छोड़कर मत जाइए । मुझे पहाड़ा कौन सिखाएगा ? रोज़ एक पन्ना हिन्दी और एक पन्ना अंग्रेज़ी का डिक्टेशन कौन देगा ? गांव के पास बहती नदी में मछली पकड़ना कौन सिखाएगा ? जलतरंग कौन बजाएगा ?

धुंध के उस पार सुमी हंस रही है । उसकी कलाई में पड़ी चूड़ियां खनक रही हैं । मुझे पकड़ो तो जानूं । पुलक निकलता हुआ तितलियां पकड़ रहा है । यह धुंध क्यों नहीं छंट रही है ?

सुमी, मुझे छोड़कर मत जाओ । मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं ।

आपको झपकी आ गयी है । पिता जी आपको डिक्शनरी में से अंग्रेज़ी शब्दों के अर्थ और हिज्जे रटवा रहे हैं...बी ए टी बैट । बैट माने चमगादड़ । एन आई जी एच टी एम ए आर ई नाइट मेयर । नाइट मेयर माने दुःस्वप्न...।

दादा जी, दादी, पिता, मां...आपने जिन्हें चाहा, सक एक-एक करके आप से दूर चले गये । आप रो रहे हैं । पर आंखों में आंसुओं का समुद्र बहुत पहले सूख गया है । भीतर रिक्तता की आंधी सांय-सांय कर रही है ।

आपको लगता है, सब आपकी ग़लती है । आप सुमी को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे । बात-बात पर उसे डांट-डपट देते थे । आपके ग़ुस्से का लावा उन्हें लील गया ।

सुमी, लौट आओ ! अब मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा ।

पुलक मेरे लाल...तुम दोनों के बिना मैं अधूरा हूं । पानी में बुलबुले से आपके मन में विचार उठ रहे हैं । समय के ताल में यादों के पत्थर डूब रहे हैं...गुड़प्, गुड़प्...।

आप तेज ज्वर से पीड़ित हैं । सुमी आपके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां बदल रही है ।

नीम बेहोशी में आप कुछ बड़बड़ा रहे हैं ।

पुलक डर कर रो रहा है ।

कोई उन दोनों को आप से दूर लिए जा रहा है । आप उसे रोकना चाहते हैं । पर आपके हाथ-पैर जड़ हो चुके हैं । आप चिल्ला कर उन्हें आवाज़ देना चाहते हैं । पर आपके गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही ।

बुख़ार काफ़ी तेज़ है । आप ठंड से कांप रहे हैं । सुमी आपको कंबल ओढ़ा रही है । आपका सिर तेज़ दर्द से फटा जा रहा है ।

सुमी आपका सिर दबा रही है । पुलक आपके गाल चूम रहा है । पापा, उठो...।

सूरज डूबने से पहले ही रात हो गयी है । अंधेरे में आप सड़क पर अकेले चले जा रहे हैं । आपके गंतव्य तक कोई बस नहीं जाती । आगे एक गूंगा जंगल है । अपने क़दमों की चाप से डरकर आप भागने लगे हैं । आप हांप रहे हैं । हवा में सड़े हुए पत्तों की गंध है । आगे एक खंडहर में पीली रोशनी है । एक जाना-पहचाना नारी स्वर कोई भूला हुआ गीत गा रहा है ।

सुमी, सुमी । वहां वह रहस्यमयी आकृति किसकी है ? आप उस ओर बढ़ते हैं । और तभी रोशनी बुझ जाती है । गीत थम जाता है । घुप्प अंधेरे के समुद्र में आप एक थके हुए तैराक से डूबने लगते हैं । सुमी, सुमी । आपकी भारी आवाज़ अंधेरे में गूंज रही है ।

बाहर लगातार दरवाज़े की घंटी बज रही है । आप चौंक कर बिस्तर से उठते हैं । लड़खड़ाते हुए क़दम दरवाज़े तक पहुंचते हैं । कांपते हुए हाथ दरवाज़ा खोलते हैं ।

फूलों की ख़ूशबू लिए हवा का वासंती झोंका आता है ।

अरे सुमी, तुम !

शब्द आपके गले में फंस रहे हैं । बाहर सुमी खड़ी है । बगल में मां की उंगली पकड़े हुए पुलक है । सुमी के दूसरे हाथ में थैला है जिसमें सब्ज़ियां हैं ।

नहीं, अभी रात नहीं हुई है । अभी बाहर उजाला है ।

कहां चली गयी थीं तुम ?

आज एक अप्रैल है, सुमी खिलखिलाते हुए कह रही है । आप कुछ नहीं सुन रहे । बस पुलक को बेतहाशा चूम रहे हैं ।

बाहर कहीं कोयल कूक रही है । इस बार आप बच गये । पर याद रखिए, हर दिन एक अप्रैल नहीं होता । आप जिन्हें प्यार करते हैं, उनका ख़याल रखिए ।

ये कौन ज़िम्मेदार है ?

लोग दुखी होते हैं
जब उन्हें
कोई धक्का देता है
आहत होती ही है आत्मा
धक्का खाकर ।

मैं दलित कहां जाऊं
मुझे सब धक्का देते आये हैं
मगर मेरी आत्मा ही नहीं
आहत होता है पूरा जीवन ।
न मैं यहां जा सकता हूं
न मैं वहां जा सकता हूं
मसलन
मैं एक चीज़ हूं
इस्तेमाल होता रहता हूं
निचले कामों के लिए ।

सवाल उठते हैं
मेरी छाती की ज़मीन में
कई सालों से
कि मुझे
हो जाना चाहिए थोड़ा चौड़ा
अपनी इच्छाओं में ।

रंग भरने के लिए
मगर, ये कौन ज़िम्मेदार है
शायद 'तुम' या 'मैं' ही ।

किसी ने ठीक कहा है
जहां प्रश्न शुरू होते हैं
वहां ज़िन्दगी बसती है ।

विश्वप्रताप भारती
बरला, अलीगढ़, (उ०प्र०)-202129

सुनामी

सुनामी कहें या बाढ़
वही तेज़ी वही रफ़्तार ।

यहां वहां जहां तहां
महिला उत्पीड़न, बलात्कार ।

न जाने क्यों अचानक
बढ़ गया ऐसा अनाचार ।

ऐसे-ऐसे हृदयविदारक
रोंगटे खड़े करते समाचार ।

इन्हीं ख़बरों से भरे मिलते
सारे टी०वी० चैनल और अख़बार ।

गैंग रेप और फिर मर्डर
नहीं निर्दयता का पारावार ।

सठियाए नेताओं के बेतुके
बयानों की उस पर भरमार ।

घावों पर नमक रगड़ने
बैठे जैसे हरदम तैयार ।

दुर्व्यवहार दुराचार बलात्कार
महिलाएं बन रही लगातार शिकार ।

मिला रहे बातों के कुलाबे
पर दीखता नहीं कोई सरोकार ।

कहां सुरक्षा कौन सुरक्षित
प्रश्न कचोटता है बार-बार ।

अनैतिकता के इस गर्त से
निकालेगी क्या नयी सरकार ?

ओमप्रकाश बजाज
जबलपुर (म०प्र०)

ہماری اہم مطبوعات

مسلم پرسنل لا، یکساں سول کوڈ
اور
حج وقربانی کے احکام ومسائل پر

مسلم پرسنل لا پر اعتراضات کی حقیقت	پروفیسر عمر حیات خاں غوری	70.00
مسلم پرسنل لا- اہمیت، افادیت اور ضرورت	مولانا محمد یوسف	16.00
مسلم پرسنل لا اور یکساں سول کوڈ	مولانا شمس پیرزادہ	20.00
مسلم پرسنل لا	مولانا صدرالدین اصلاحی	16.00
یکساں سول کوڈ اور مسلمان	مولانا صدرالدین اصلاحی	35.00
لفظ مطلقہ ایک علمی جائزہ	مولانا سید جلال الدین عمری	16.00
یکساں سول کوڈ تاریخ کے تناظر میں	پروفیسر عمر حیات خاں غوری	35.00
حج کس لیے؟	مولانا شمس پیرزادہ	10.00
حج کیا ہے؟	مولانا سید حامد علی	30.00
حضرت ابراہیم حیات، دعوت اور عالمی اثرات	ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی	60.00
آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا	اخلاق حسین	90.00
تفہیم الاحادیث جلد چہارم [روزہ، حج]	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	250.00
حضرت ابراہیم	مائل خیرآبادی	18.00
کلام نبوت جلد دوم [نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج]	محمد فاروق خاں	160.00
خطبات [اردو] پنجم [حقیقت حج]	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	25.00
خطبات حرم	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	12.00
کاروان حجاز (سفرنامہ حج)	ماہر القادری	45.00
مشاہدات حرمین (سفرنامہ حج)	ڈاکٹر سید اسعد گیلانی	30.00
سوئے حرم چلا (سفرنامہ حج)	مولانا سید جلال الدین عمری	32.00
حج کا پیغام (سی ڈی)	خرم مراد	30.00
قربانی	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	6.00
قربانی تاریخ، حقیقت اور اعتراضات	پروفیسر سید مسعود احمد	50.00

عید قرباں	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	8.00
حج کے احکام ومسائل	بنت الاسلام	50.00
ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی [اردو] 20X30/8	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	375.00
ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی [اردو] 23X36/32	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	240.00
ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی [اردو] 23X36/16	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	400.00
تفہیم القرآن جلد اوّل تا ششم	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	2130.00

انگریزی اور ہندی کتابیں

Muslim Personal Law and Unifrom Civil Code	Shams Peerzada	24.00
Muslim Personal Law	Edited By: Dr.F.R.Faridi Dr.M.N.Siddiqi	90.00
Every Man's Guide to Hajj and Umrah	Abdul Aziz Kamal	60.00
Fundamentals of Islam Part-V	Sayyid Abul Ala Maudoodi	32.00
अनूदित क़ुरआन मजीद 23X36/16	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी (रह)	300.00
मुस्लिम पर्सनल लॉ- धार्मिक व सामुदायिक दृष्टिकोण से	मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही	10.00
मुस्लिम पर्सनल लॉ और समान सिविल कोड	शम्स पीरज़ादा	18.00
हज और उसका तरीक़ा	सय्यद हामिद अली	20.00
क़ुरबानी (पाकेट साइज़)	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी (रह)	6.00
ख़ुतबात - 5 (हज की हक़ीक़त)	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी (रह)	22.00
हज़रत इबराहीम (अलैहि०)	साइल ख़ैराबादी	16.00
ख़ुतबाते हरम	मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी (रह)	18.00

उर्दू، ہندی اور انگریزی زبانوں میں دینی، اصلاحی، تحریکی اور نصابی کتابوں کا اہم مرکز

MMI PUBLISHERS
مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵
D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 ; Phone: 26971662, 26954341, 26946447(D)
Fax: 26947858 ; E-mail: mmipublishers@gmail.com ; Website: www.mmipublishers.net

दलित कौन ?

● डॉ॰ प्रेमलता चुटैल
(उज्जैन, म॰प्र॰)

'दलित' शब्द के व्यापक अर्थ को स्वीकृत करने वाली वैसे तो अनेक परिभाषाएं हैं, किन्तु हम कुछ का ही उल्लेख करेंगे–

1. डॉ॰ रामचन्द्र वर्मा के मतानुसार–दलित शब्द मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा या कुचला हुआ, विनष्ट किया है ।[1]

2. श्री नारायण सुर्वे की दृष्टि में–दलित शब्द की मिली-जुली कई परिभाषाएं हैं । इसका अर्थ केवल बौद्ध या पिछड़ी जातियां ही नहीं है, अपितु समाज में जो भी पीड़ित हैं वे सभी दलित हैं ।[2]

कुछ इसी प्रकार की सम्मति डॉ॰ म॰न॰ वानखड़े की भी है ।[3] इन सबमें दलित शब्द का अर्थ सीमित नहीं है, अपितु व्यापक अर्थ का द्योतन करता है । दलित शब्द का संकुचित अर्थ स्वीकार करने वाले विद्वानों का मत इस प्रकार से है–

3. पत्रकार राजकिशोर के अनुसार–दलित शब्द एक वर्गीय शब्द ठहरता है । भारत एक ग़रीब देश है । यहां की आधी आबादी आर्थिक दृष्टि से दलित ही है । यह एक राष्ट्रीय देश है । लेकिन जिन्हें दलित कहा जाता है उनका दंश कुछ और है । दलित शब्द उन जातियों के अर्थ में रूढ़ होता जा रहा है, जिन्हें पहले अछूत या हरिजन कहा जाता था । इनके लिए क़ानूनी शब्द अनुसूचित जाति है ।[4]

4. श्री केशव मेश्राम के अनुसार–हज़ारों वर्ष जिन लोगों पर अत्याचार हुआ ऐसे अछूतों को दलित कहना चाहिए ।[5]

संकुचित अर्थ में दलित शब्द का ग्रहण करने के क्रम में विद्वानों ने दलित सिर्फ़ वर्ण विशेष के लोगों को ही स्वीकार किया है । इस दृष्टि से श्री राजकिशोर जी ने अपनी परिभाषा में बहुत कुछ को समेटने का प्रयास भी किया है, उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर भी दलित की स्थिति का होना स्वीकार किया है । किन्तु अर्थ के आधार पर अमीर-ग़रीब तो हो सकते हैं–किन्तु दलित नहीं– क्योंकि हमारे समाज में दलित शब्द का आशय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत निम्न जाति के लिए ही व्यवहृत होता है ।

उपर्युक्त परिभाषाओं में डॉ॰ रामचन्द्र वर्मा, श्री नारायण सुर्वे एवं डॉ॰ वानखेड़े ने दलित शब्द को एक विस्तृत रूप प्रदान करते हुए बौद्ध एवं पिछड़ी जातियों के साथ ही उन सबको भी दलित माना है जो किसी भी प्रकार से पीड़ित, शोषित हैं । यह उनका विस्तृत दृष्टिकोण हो सकता है । किन्तु हमें उन परिस्थितियों पर भी विचार करना होगा कि यदि एक व्यक्ति निम्न वर्ग का है और दूसरा आभिजात्य वर्ग का तो क्या सिर्फ़ पीड़ित होने के कारण उसकी सामाजिक स्थिति में भी समानता रहेगी ?

यदि एक ब्राह्मण व्यक्ति पीड़ित है और एक शूद्र व्यक्ति पीड़ित है, तो क्या समाज समान पीड़ा के आधार पर दोनों व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा ? नहीं न । अर्थात ब्राह्मण पीड़ित या शोषित होने के उपरांत भी सम्माननीय बना रहेगा और शूद्र चाहे पीड़ित अवस्था में हो या श्रेष्ठ अवस्था में दोनों ही स्थिति में अपमानजनक स्थिति में ही रहेगा । यह भेद सामाजिक व्यवस्था का दोगलापन उजागर करता है । अत: दलितों का आक्रोश ऐसी व्यवस्थाओं के विरुद्ध है ।

संदर्भ

1. रामचन्द्र वर्मा-संक्षिप्त शब्द-सागर नागरी प्रचारिणी-काशी पृ॰ 468
2. नारायण सुर्वे-हंस-अक्तूबर 1992, पृ॰ 23
3. बलवंत साधु जाधव-प्रेमचन्द साहित्य में दलित चेतना-पृ॰ 22
4. राज किशोर-अगर मैं दलित होता-धर्मयुग, मई 1994, पृ॰ 22
5. रजतरानी मीनू-नवें दशक की हिन्दी दलित कविता, पृ॰ 3

हमारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें

इस्लाम एक सामान्य परिचय	—शैख़ अली तंतावी	90.00
इस्लाम एक स्वयंसिद्ध ईश्वरीय जीवन व्यवस्था	—राजेन्द्र नारायण लाल	25.00
प्यारे नबी की पाक ज़िन्दगी	—एजाज़ुल हक़ क़ुद्दूसी	30.00
इतिहास के साथ यह अन्याय	—बी॰ एन॰ पाण्डे	7.00
मेरे दावती तजुर्बात (प्रथम)	—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	25.00
ग़लत फ़हमियों का निवारण	—डॉ॰ ज़ाकिर नाइक	25.00
क़ुरआन और हम मुसलमान	—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00
क़ुरआन का पैग़ाम	—ख़ुर्रम मुराद	10.00
क़ुरआन पर अनुचित आक्षेप	—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00
हमें ख़ुदा कैसे मिला?	—अब्दुल ग़नी फ़ारूक़	100.00
इस्लाम आतंक या आदर्श?	—स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य	40.00
इस्लाम और इनसान (1-6)	—डॉ॰ सैयद शाहिद अली	84.00
दलित समस्या जड़ में कौन?	—इन्तिज़ार नईम	140.00
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) और भारतीय धर्म-ग्रंथ	—डॉ॰ एम॰ ए॰ श्रीवास्तव	18.00
इस्लामी सभ्यता	—मुंशी प्रेम चन्द्र	5.00
क़ुरआन पुकारता है "ऐ लोगो..."	—मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी	12.00
आधुनिक नारी	—नुज़हत यासमीन	10.00
इस्लाम एक मात्र रास्ता	—मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी	12.00
शैतानी धोखे के विभिन्न रूप	—डॉ॰ सैयद शाहिद अली	40.00

हमारी सभी पुस्तकें मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

MADHUR SANDESH SANGAM

E-20, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025

E-mail : madhursandeshsangam@yahoo.co.in, Ph. : 9212356332

इस प्रकार अस्तित्व में आये 'ओ०के०' और 'हेलो'

■ विद्या प्रकाश

प्रस्तुत हैं विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी की कुछ दिलचस्प बातें–

हड्डियों के दांत

वृद्धावस्था, समुचित और नियमित सफ़ाई के अभाव, हानिकारक दंत मंजन के प्रयोग आदि कारणों से दांत शीघ्र ख़राब हो जाया करते हैं। दंत क्षय की स्थिति में नक़ली दांत लगाना आजकल सामान्य बात है। नक़ली दांत लगाने का चलन लगभग 2500 साल पहले शुरू हुआ और उस समय नक़ली दांत लगाने के लिए डेंटिस्ट पोर्सलीन का नहीं, बल्कि जानवरों के दांत अथवा हड्डियों का प्रयोग करते थे।

इस कार्य के लिए विशेष रूप से दरियाई घोड़े, बैल अथवा बिल्ली की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था। इनसे बने दांत लगाने के बाद वे शीघ्र ही भूरे और बदरंग हो जाया करते थे जिनसे कुछ ही महीनों में दुर्गन्ध आने लगती थी। दंतावली की तेज़ दुर्गन्ध के कारण ऐसे व्यक्ति के पास बैठने और बदबू झेलने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती थी।

ओ०के०

आज कल समाज में बात-बात में ओ०के० शब्द का बहुत अधिक चलन है। 'ठीक है' और 'बिल्कुल सही, दुरुस्त है' के अर्थ में औपचारिक रूप से प्राय: इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।

वस्तुत: ओ०के० कोई साहित्यिक अथवा व्याकरण सम्मत शब्द नहीं है। यह अमरी की, समाज का दैनिक बोलचाल का सामान्य शब्द है तथा इसकी उत्पत्ति के पीछे एक मनोरंजक कहानी है। सन 1940 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वैन वुरेन दुबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे।

उनका जन्म न्यूयार्क के ओल्ड किंग हुक नामक स्थान में हुआ था। डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दल बड़े ज़ोर-शोर से उनका समर्थन कर रहा था तथा लोगों से ओ०के० (ओल्ड किंग हुक) को याद कर उनके समर्थन में मतदान का आग्रह कर रहा था। इस दल का नाम ओ०के० क्लब पड़ गया तथा इस प्रकार यह शब्द शीघ्र ही जनसामान्य के चलन में आ गया।

हेलो

यह मानव समाज के दैनिक बोलचाल का लोकप्रिय शब्द है। यह शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द होला से निकला है जिसका अर्थ है–'कैसे हो ? सन 1066 में नारमन हमले के समय यह शब्द इंगलिस्तान पहुंचा था लेकिन आगामी दो तीन शताब्दियों में इस शब्द के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आ गया। 1300 ईसवी तक यह शब्द ALLOW में बदल गया। आंग्ल भाषा के सुप्रसिद्ध नाट्यकार और कवि विलियम शेक्सपियर के ज़माने में यह शब्द फिर परिवर्तित होकर ALLOO हो गया।

कुछ समय के पश्चात जब टेलीफ़ोन का आविष्कार हुआ तो इस शब्द को नवीन पहचान मिली। प्रारंभिक दौर

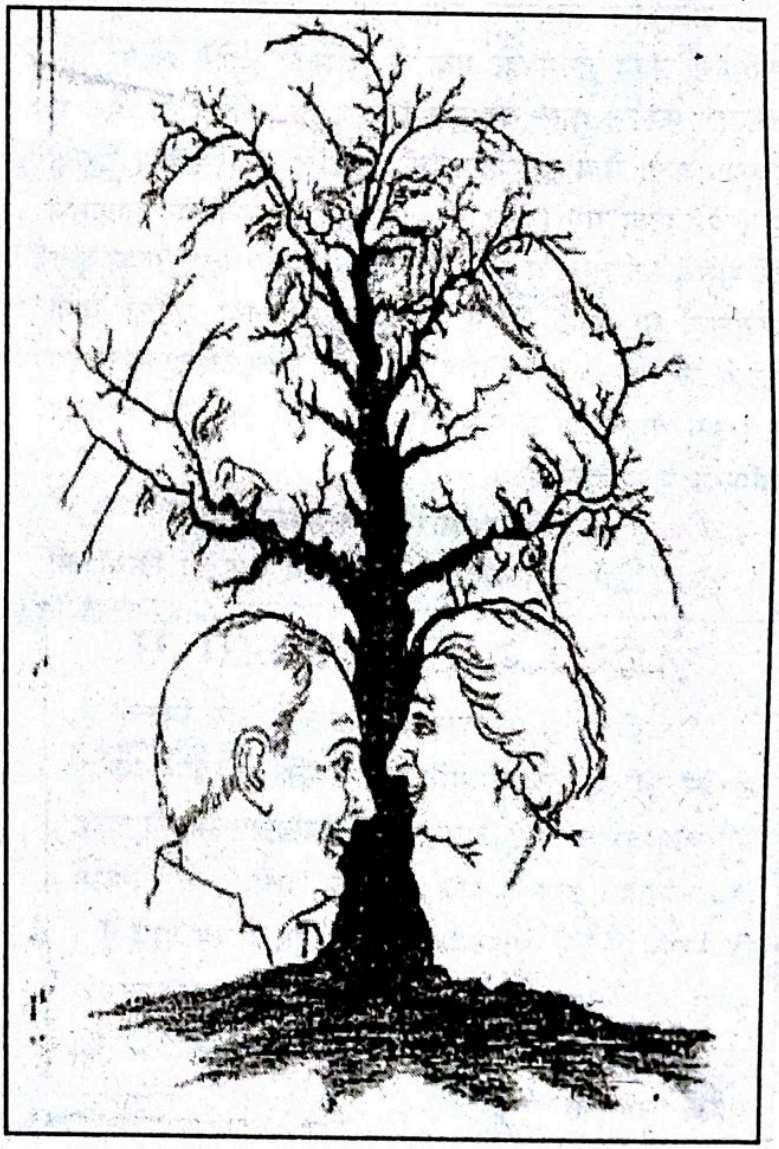

में लोग दूरभाष पर वार्ता के समय 'हेलो' कहने के बजाय पूछा करते थे–Are you there? क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी आवाज़ दूसरी तरफ़ नहीं पहुंच रही है । लेकिन टेलीफ़ोन के आविष्कारक थामस एडिसन को यह बात अच्छी नहीं लगी । उनको यक़ीन था कि फ़ोन पर उनकी आवाज़ परली तरफ़ अवश्य पहुंचेगी । जब उन्होंने पहली बार फ़ोन किया तो हैलो कहा और तब से यह शब्द फ़ोन पर बातचीत की पहल करने के लिए प्रचलित हो गया ।



माफ़िया

आजकल समाचार पत्रों तथा बोलचाल की भाषा में माफ़िया शब्द आम हो गया है जिसका प्रयोग ख़ौफ़ और दहशत फैलाने वाले बदमाश क़िस्म के व्यक्ति के अर्थ में किया जाता है । इस शब्द की उत्पत्ति का इतिहास रोचक है । यह शब्द सन 1282 में फ्रांस द्वारा सिसिली पर आक्रमण के समय अस्तित्व में आया था । उस समय एक वाक्य ख़ूब प्रचलित था–मोर्टे आला फ्रांसिया इटालिया एनेला यानी किसी फ्रेंच व्यक्ति की मौत इटली के लिए जश्न का विषय है । इस वाक्य के प्रत्येक शब्द के प्रथमाक्षर को मिलाकर माफ़िया शब्द बना है ।

टा-टा और बाय-बाय

टा-टा और बाय-बाय या गुड बाय एक ही क्रिया की अलग-अलग अभिव्यक्तियों वाले शब्द हैं । जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह आपस में विदा लेता है तो संक्षेप में गुड नाइट न कहकर गुड बाय कहा जाता है । ऐसा कहकर वे एक दूसरे के प्रति यह शुभकामना प्रकट करते हैं कि आपका दिन या रात सुखद बीते । बाय-बाय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1823 में एक शिशु द्वारा रिकार्ड की गयी रेडियो वार्ता में किया गया ।

इसके बाद टा-टा फॉर नाउ (अभी के लिए विदा दीजिए) का प्रयोग बी०बी०सी० (ब्रिटिश ब्राडकास्ट कारपोरेशन) ने वर्ष 1941 में अपने एक प्रोग्राम इटमा में किया । इस कार्यक्रम में क्राकरी धोने वाली चरित्र मिसेस मोपेप द्वारा बोले गये डायलॉग को स्वर दिया था डोरोथी समर्स ने । अंग्रेज़ी बाय-बाय को जापानी भाषा में सायोनारा कहते हैं जिसका अर्थ है हैप्पी जर्नी यानी यात्रा शुभ हो । ये सब अभिवादन सूचक शब्द हैं ।

लेखकों एवं रचनाकारों से

''कान्ति'' में प्रकाशनार्थ जो रचनाएं हमें मिलती हैं, उनकी स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना अथवा रचनाओं की वापसी के लिए अपना पता लिखा लिफ़ाफ़ा डाक टिकट सहित अवश्य भेजें । इसके अभाव में रचनाओं के विषय में हम आपको जानकारी देने में असमर्थ हैं । ध्यान रहे कि पर्याप्त डाक टिकट लगाकर प्रकाशनार्थ सामग्री भेजें, ताकि डाक, बैरंग न हो । आशा है, आपका सहयोग मिलता रहेगा ।

-संपादक

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली–6 से मुद्रित ।
फोन: 09818799223, 011-26949430
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

بسم الله الرحمن الرحيم

"नेकी यह है कि
अल्लाह की मुहब्बत में
अपना दिलपसन्द माल
रिश्तेदारों और यतीमों पर,
मिस्कीनों और मुसाफ़िरों पर,
मदद के लिए हाथ फैलाने
वालों पर और ग़ुलामों की
रिहाई पर ख़र्च करे ।"

(क़ुरआन)

Late Abdul Jabbar Sb.
Tare Kare (kntk)

Posted on 20-21 August 2014
September 2014
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.08.2014

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMEN
License No. U (SE)-73/2012-14

HOTEL
Al-Zam Zam
RESTAURANT & LODGING



HOTEL
Al-Zam Zam
RESTAURANT & LODGING

The best taste in Veg. & Non-Veg. dishes



Now At Ajni Square Wardha Road

Comfortable interior, hygienic separate preparation for Veg. and Non-Veg.
Special air conditioned hall for family.
Comfortable lodging in air conditioned and well decorated rooms.

Customer Care No :- 08796466666

Main Branch :- Central Avenue, Chandra Shekhar Azad Square, Nagpur - 440002
Branch 1 :- Plot No. 1 Hindustan Colony, Ajni Square, Beside
Chevrolet Showroom, Wardha Road, Nagpur
Branch 2 :- Opp Battuk Bhai Jewellers, Dharampeth, W.H.C. Road, Nagpur

Ph: 0712-2763131, 2732401

E-mail :- hotelalzamzam@gmail.com

Log on to :- www.hotelalzamzam.com
or like us on :- hotelalzamzam.facebook.com